खण्ड-221, अंक-4
शनिवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1883
(1 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमारसिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जो०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारास चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादमसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद बेशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमउद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हारीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बार्डर जिले घोषित करने के सम्बन्ध में सुझाव

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे निम्न जिलों को बार्डर जिले घोषित करने जा रहे हैं :

नैनीताल,—टनकपुर तक, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी नहीं ।

**२—श्री प्रतापसिंह—क्या उपर्युक्त जिलों को बार्डर एरिया घोषित करने के लिये मुख्य मंत्री के पास कोई सुझाव हाल में आये हैं ? यदि हां तो वे क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां। परन्तु इन सुझावों को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह देखते हुये कि सीमा की सुरक्षा, वहां का विकास, वहां की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सम्बन्ध नैनीताल, टनकपुर, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल और टिहरी से भी है, इन तमाम चीजों को देखते हुये इस पर पुनः विचार करके इनको बार्डर एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—बार्डर एरिया घोषित करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकार के पास अधिक साधन हों क्योंकि वहां जो बार्डर एरिया डिक्लेयर किये गये हैं उन्हें विकास के कार्यों के लिये प्राथमिकता दी गई है और जब प्राथमिकता दी गई है तो उसमें साधन भी अधिक मुहैय्या किये गये हैं। प्लानिंग कमीशन से जो अभी साधन हमें उपलब्ध हुये हैं और जिनके लिये मंजूरी प्रदान की गई है वह इतने नाकाफी हैं कि उनसे सारे एरिया में जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते-जुलते हैं किन्हीं कमियों के आधार पर वहां अभी हम वह प्राथमिकता उन योजनाओं के अन्तर्गत नहीं दे सकते हैं जो कि बार्डर एरिया में दी गई हैं। इसलिये हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी माननीय सदस्य का यह सुझाव कार्यान्वित नहीं किया जा सकता

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार इस मत की है कि जो बार्डर एरिया जिले और जो दूसरे कुमायूं के इस प्रकार के जिले हैं उनमें जो इस प्रकार से प्रशासकीय विकासोन्मुख विवेक प्रकट हो गया है उसको समाप्त किया जाय और क्या उसने इसको केन्द्रीय सरकार से प्रकट किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह अवश्य प्रदेशीय सरकार चाहती है कि यह जो अविकसित क्षेत्र है और जहां उस प्रकार का सुभीता देने की आवश्यकता है, जैसी कि बार्डर एरिया में देना सरकार ने स्वीकार किया है, वहां भी इस प्रकार का सुभीता इस क्षेत्र के निवासियों को प्रदान किया जाय लेकिन जहां के लिये वह मंजूर हो गये हैं और जहां तेजी के साथ सरकार को कार्यान्वित करना है, सरकार ऐसा नहीं समझती कि वह सारा कार्य बन्द कर दिया जाय या रोक दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या प्रदेशीय सरकार पुनः प्लानिंग कमीशन को इस बात के हेतु प्रेरित करेगी कि वह जो अतिरिक्त भू-भाग है और बार्डर एरिया से जिसका सम्बन्ध है उसके लिये कुछ अतिरिक्त ग्रान्ट दे ? क्या इस संबंध में वह जनता की इस भावना का ध्यान रखेंगे कि बिना उत्तराखंड में प्रचलित कार्य को बन्द किये उनकी अतिरिक्त विकास की मांग को पूरा किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेशीय सरकार, जितने अविकसित क्षेत्र हैं चाहे वह पहाड़ी इलाके से सम्बन्ध रखते हों या प्रदेश के अन्य भाग से, उन सब के लिये अधिक अनुदान और ऋण इत्यादि प्राप्त करने में प्लानिंग कमीशन से बराबर चेष्टा करती है और अभी उसकी चेष्टा बराबर इस प्रकार से जारी रहेगी जिससे अविकसित क्षेत्र के निवासियों को अधिक सुविधा शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तिब्बत सीमा से केवल २५ मील भीतर की जगह जो मिन्डारी ग्लेशियर से उत्तर की ओर है उसे भी बोर्डर एरिया में नहीं लिया गया है और दानपुर को भी नहीं लिया गया है जब कि पूर्व की तरफ तिब्बत सीमा से १५० मील नीचे पंचेश्वर तक बोर्डर में लिया गया है तो इस विरोधाभास का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि मैंने इस दृष्टि-कोण से इस सारे बार्डर एरिया के प्रश्न का अध्ययन नहीं किया है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी बतलायेंगे कि उनके पास जो सुझाव आये हैं वह सुझाव क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय नारायणदत्त तिवारी तथा पहाड़ी इलाके के प्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिये हैं कि जो सुभीता, जो प्राथमिकता बार्डर एरिया के निवासियों के लिये सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, सुरक्षा आदि अभी तक प्रदान की है वह सब इस सारे क्षेत्र के निवासियों के लिये भी रखी जाय और दी जाय ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जिस डेवलपमेंट परपज के लिये उत्तराखंड को बनाया गया है उस मकसद की पूर्ति नहीं हो रही है इसलिये कि पिथौरागढ़ तक उत्तराखंड में आने से और मुंसियारी तक आने से कपकोट और चम्पावत तक की सड़क आधी-आधी बन गयी है, किन्तु उनका संबंध रेलवे लाइन से नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन शेष जिलों को भी वे बार्डर एरिया घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने अभी निवेदन किया कि बार्डर एरिया में जो क्षेत्र आने से रह गये हैं उनको तो नहीं कर सकता हूं लेकिन जो असंतुलन प्रतीत होता है, उस असंतुलन को मिटाने की अवश्य चेष्टा करूंगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बार्डर एरिया घोषित करने का आधार क्या है ? क्या यह आधार है कि जिस प्रदेश की सीमा विदेशी सीमा से मिलती हो जहां से हमको आक्रमण का अन्देशा हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---बार्डर एरिया कदाचित् इसलिये घोषित किये गये हैं कि जो एरियाज दूसरे देश से मिलते हैं उन एरियाज में प्रगति उसी प्रकार से और तेजी के साथ की जाय जिस प्रकार कि दूसरे देशों में जो एरियाज पड़ते हैं निकटवर्ती वहां तेजी के साथ और प्राथमिकता देकर विकास कार्य वहां की सरकार कर रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर सूचना उपलब्ध है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि असंतुलन को दूर करने हेतु कौन कौन से प्रस्ताव उनके विचाराधीन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अब प्रस्तावों का ब्यौरा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सड़क के विषय में जैसे अभी माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा, उसे मैं असंतुलन मानता हूं कि अगर बीच का रास्ता इस तरह से न बनाया जाय जैसा कि ऊपर का रास्ता बन रहा है तो यह एक असंतुलन की बात है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक पत्र जनसंघ के विधायक श्री गोविन्दसिंह जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि बोर्डर एरिया न घोषित होने के कारण से भी और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी अल्मोड़ा जिले में सड़क बनने की कोई योजना नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरा ख्याल है कि अल्मोड़ा जिले में ८, १० या १२ मील लम्बी सड़क बनने की योजना है लेकिन मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता क्योंकि जो एक ग्रिड का फार्मूला है उसके हिसाब से वहां काफी सड़कें बन चुकी हैं और उस फार्मूले की तहत में थोड़ी ही सड़कों का निर्माण बाकी रह गया है । ऐसी ही बातचीत थोड़ा समय हुआ मेरी अधिकारियों से हुई थी और उन्होंने यह सूचना दी थी । परन्तु ब्योरे के साथ सूचना तो मैं बाद में ही दे सकता हूं ।

ब्लड बैंक में रक्त का मूल्य कम करने का सुझाव

***३---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास हाल में इस आशय की शिकायतें आई हैं कि प्रदेश में ब्लड बैंक के लिये मनुष्यों का जो खून दस रुपये में लिया जाता है वह कम से कम तीस बल्कि सौ रुपये तक में बेचा जाता है ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)---एक शिकायत इस आशय की आई है कि ब्लड बैंक, लखनऊ में मनुष्यों का जो खून २५ रुपये में लिया जाता है वह रोगियों को १०० रुपये या उससे भी अधिक में दिया जाता है ।

***४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ब्लड बैंक का संचालन किसकी संरक्षता में होता है ?

श्री धर्मसिंह---राजकीय ब्लड बैंक, लखनऊ एक अवैतनिक निदेशक की संरक्षता में है । यह पद लखनऊ मेडिकल कालेज के पैथोलाजी तथा बैक्टीरियोलोजी विभाग के अध्यक्ष ग्रहण करते हैं । अन्य स्थानों के राजकीय ब्लड बैंक वहां के चिकित्सा विभाग के स्थानीय अधिकारियों के अधीन हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि गरीब मरीजों को सरलतापूर्वक खून उपलब्ध हो सके ?

श्री धर्मसिंह---जैसे जैसे उसकी मांग होती है वह उपलब्ध तो होता ही है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास जो शिकायत आई उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या वह सच पायी गयी ?

श्री धर्मसिंह---वह शिकायत गलत पायी गयी, सही नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में मेडिकल कालेज के पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष की रिपोर्ट मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या थी ?

श्री धर्मसिंह---इसकी जांच की गयी थी और यह रिपोर्ट आई कि शिकायत गलत थी, उसमें कोई तथ्य नहीं था।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्श हैं, जो मेडिकल कालेज में भी कार्य करते हैं वे मरीजों के खून चढ़ाने में १००-२०० रुपये तक फीस के चार्ज करते हैं ?

श्री धर्मसिंह---मेरी इत्तला में तो यह नहीं है, किन्तु यह तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जो लोग चाहते हैं प्राइवेट केस कराना, उनसे वह शायद एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, जो कीमत होती है उसके अलावा । वह कितना चार्ज करते हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या यह सही है कि राजकीय ब्लड बैंक सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है और जो उसका अवैतनिक अध्यक्ष है वह केवल टेक्निकल एडवाइस के हेतु होता है ?

श्री धर्मसिंह---वह टेक्निकल एडवाइस हेतु होता है, या क्या है, इसकी सूचना मुझे नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतायेगी कि जो जांच करायी गयी वह कब करायी गयी और किसके द्वारा करायी गयी ?

श्री धर्मसिंह---जब पत्र प्राप्त हुआ था उसके बाद ही जांच करायी गयी और जो विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा ही जांच करायी गयी, उसमें कोई तथ्य नहीं था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्रश्न संख्या ३ में जो यह लिखा है कि मनुष्य खून १० रुपये में बेंचता है, इसमें सही बात क्या है, यानी कितने में खरीदा जाता है और कितने में बेंचा जाता है ? दूसरी बात यह कि जो मुफ्त में लिया जाता है क्या उसको भी बेचा जाता है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन कर दिया है कि २५ रुपये में लिया जाता है और २५ रुपये में ही बेंचा जाता है। जो प्राइवेट केसेज होते हैं उनसे कुछ फीस ली जाती है।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि राजकीय ब्लड बैंक द्वारा जो खून दिया जाता है वह केवल अस्पतालों और डाक्टरों को ही सप्लाई होता है, और लोग अगर चाहें तो उनको नहीं मिल सकता है ?

श्री धर्मसिंह---जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र हमारे पास आते हैं, और जैसा हमारे पास स्टाक में होता है, उसके अनुसार ब्लड दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है और उसको भी मिल जाता है या डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर मिलता है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, वह तो डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही दिया जाता है।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या सरकार माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध करेगी कि जनता में प्रोत्साहन तथा उत्साह उत्पन्न करने हेतु इस सदन के सदस्य अपना ब्लड डोनेट करें और इस तरह से एक आदर्श पैदा करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--माननीय अध्यक्ष से तो किसी प्रकार के अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो अच्छा कार्य है, जो भी माननीय सदस्य ब्लड देना चाहें, दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री शायद इस बात से ऐग्री करते हैं कि सब लोगों को देना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि मेरे आपरेशन के समय ५१ रुपये में ब्लड दिया गया था ? क्या कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं और किस बात से कीमत तय होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इस समय तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। २५ रुपये पहले से ही चले आते हैं, उसमें घटने बढ़ने का पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मेरा खयाल है कि २५ रुपये तो कीमत है और कुछ चारजेज और लेते हैं।

श्री धर्मसिंह--मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक ब्लड बैंक के कर्मचारियों की बात है उनको ब्लड २५ रुपये में देते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टीशनर्स को ५१ रुपये में देते हैं। मालूम नहीं माननीय सदस्य ने कहां से लिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मंत्री महोदय क्या इस बात को जानते हैं कि मेरा आपरेशन बलरामपुर हास्पिटल में हुआ और वहां के अधिकारियों, डाक्टरों ने ही ब्लड मंगाया था, कोई प्राइवेट तौर से नहीं आया था ? यह मैं जानता हूं, मेरे पास रसीद है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इसके विषय में सूचना प्राप्त करके सूचना दे सकता हूं ?

'आल इंडिया अहमक संघ' की बहराइच में स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--मैं एक सूचना जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं।

यह सुना गया है कि जिला बहराइच में एक "आल इंडिया अहमक संघ" नाम की संस्था की स्थापना हाल ही में हुई है और सोशलिस्ट नेता, उग्रसेन जी को भी इसकी सूचना है। श्रीमन्, यह भी पता चला है कि बहराइच जिले के निवासी एक माननीय मंत्री जी उसके अध्यक्ष चुने गये हैं। इस समाचार से पूरे प्रदेश में एक लहर-सी दौड़ गयी है। अतः मैं न्याय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। तथा वे माननीय मंत्री कौन हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं ? आज के दिन की महत्ता को देखते हुए मंत्री जी आज ही इसका उत्तर देने की कृपा करें, क्योंकि यही उपयुक्त अवसर है।

श्री न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अगर श्रीमन्, आपकी आज्ञा हो तो सूचना दे दूं?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे भी मौका दिया जाय, मेरा भी नाम लिया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—गवर्नमेंट को इस बात की कोई निश्चित सूचना नहीं है, लेकिन यह सुना जाता है कि स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की एक मिश्रित शाखा बहराइच में कायम हुई है, जिसको वहां के लोग "अहमक संघ" के नाम से पुकारते हैं।

(सदन में बड़े जोर से हंसी)

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर के मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर में डाका पड़ने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार जो प्रश्न आये हैं ध्यान आकृष्ट करने के लिये, उनमें से श्री रूपसिंह का ले लिया है। वह इस प्रकार है:—

"गत शुक्रवार, दिनांक २४ मार्च, १९६१ को मुहल्ला मुहम्मद जलालनगर, जिला शाहजहांपुर में हथियारबन्द डाकुओं के एक गिरोह ने एक घर पर धावा किया। जब घर के व्यक्तियों ने डाकुओं का प्रतिरोध किया तो डाकुओं ने दो व्यक्तियों को मार डाला और लूट के माल के साथ भाग गये। उपरोक्त सनसनीपूर्ण घटना से शहर व जिले की जनता में आतंक व असुरक्षा की भावना व्याप्त है। गोलियों की आवाज के बावजूद भी पुलिस की सहायता न पहुंचने व समुचित कार्यवाही सरकार की ओर से न होने से घोर क्षोभ तथा असंतोष है।

अतः मैं नियम के अन्तर्गत उपरोक्त जनजीवन से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।?

माननीय गृह मंत्री, आप कुछ इस समय कहेंगे?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, अगर गुस्ताखी न समझी जाय, तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रोज हमारे सूबे में एक या दो डकैतियां पड़ती हैं और यदि हर डाके के मुतालिक रूल ५२ का नोटिस दिया जाय तो.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि गुस्ताखी माफ हो। तो क्या आपकी स्वीकृति के बिना वह बोल सकते हैं? वहां रोज डाका.....

श्री अध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आप बिना इजाजत बोल रहे हैं। कृपया बैठें।

मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न कई दिन से आते जाते हैं, शाहजहांपुर के बारे में। हालांकि उन्होंने इसमें एक ही डकैती का जिक्र किया है, लेकिन सदन में कई बार उन्होंने कहा कि वहां डकैतियां इस तरह से पड़ती चली जाती हैं। इसलिये यह जरूरी है क्योंकि माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे और आप भी वहां से सूचना मंगावें कि कितने डाके पड़े, और कैसे पड़े इत्यादि ये बातें वक्तव्य में रहनी चाहिये। इसलिये मैंने इसे स्वीकार किया। हालांकि एक डाके का इसमें जिक्र है, लेकिन उसके साथ कई डाके इस बीच में पड़े, ऐसा उनका कहना है। एक ही डाका होता तो कोई बात नहीं थी। आप कब वक्तव्य देंगे?

श्री चरणसिंह—अब आप चूंकि फाइनली कह चुके हैं, मुझे मौका नहीं रहा। वक्तव्य मैं अगले मंगलवार को दूंगा।

सम्बद्ध साहित्य के समय पर न मिलने के कारण शिक्षानुदान के आज न लिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज शिक्षा की ग्रांट सदन में आने वाली है। हमारे बार-बार अनुरोध करने के बाद भी केवल आज ११ बजे लिटरेचर हमें मिला है। हमारे लिये इतने से समय में इसे पढ़ना संभव नहीं है, इसलिये यह ग्रांट आज न ली जाय।

संसदीय विषयक उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—यह ग्रांट १२ तारीख को आने वाली थी लेकिन त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि चूंकि कटौती का प्रस्ताव कम्युनिस्ट मूव करने वाले हैं और वे यहां से उस दिन चले जावेंगे इसलिये यह पहले ले ली जाय। हम इसके लिये तैयार भी नहीं थे। मैंने यह भी कहा था कि हमारे लिटरेचर या और भी कोई चीज तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि इसे आज ही ले लें और हमने काफी असुविधा के साथ यह आज के लिये रखी है। यह ग्रांट यदि १२ को ली जाती तो हम पहले लिटरेचर बंटवाते।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं मंत्री जी की याददाश्त ताजा करा दूं कि फरवरी में मैंने कहा था कि इस साल मार्जल बजट देर से आ रहा है और साहित्य हमेशा देर से बंटता है। उस समय माननीय उपमंत्री ने कहा था कि अब की साल हम कोशिश करेंगे कि लिटरेचर जल्दी बंट जाय। जब लाखों रुपया इस पर खर्च किया जाता है तो हमें यह जल्दी मिलना चाहिये। एक उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य के ६० रुपये के नोट रद्दी में चले गये चूंकि वह लिटरेचर पढ़ नहीं पाये थे। तो यह हमें समय से मिलना चाहिये ताकि हमें पढ़ने का भी समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष—शिक्षा का अनुदान सोमवार तक चलेगा। चूंकि कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले कम्युनिस्ट सदस्य होंगे, जैसा कि मैं समझता हूं, इसलिये वह आज शुरू कर दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पहले सूचना दी गई थी कि कटौती का प्रस्ताव कम्युनिस्ट पेश करेंगे तो उस समय क्यों नहीं मंत्रीजी ने सामग्री बंटवाई?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—यह ४, ५ दिन पहले तय हुआ था, फिर भी और ग्रांटों के लिये तो आज से ही बटवाना शुरू कर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—हमको परसों शाम पार्टी में जाने से पहले जब दफ्तर सब बन्द हो गये थे, ४।। बजे बतलाया कि वह यह चाहते हैं। आचार्यजी वगैरह से सबसे पार्टी में, जो गुप्ता जी की थी, यह तय हुआ। तो कैसे हम जल्दी लिटरेचर बंटवा सकते थे? सबसे बातें करके कल दोपहर को यह तय हुआ।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—सूचना निदेशालय

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४०,६४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये शायद समय तय हो चुका है ढाई बजे तक ?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—पहले कुछ और तय हुआ था, तो बीच में कैसे बदल गया ? हमने उनको भी एक पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल बतला दें कि कैसे कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, तो यह झगड़ा न हो।

श्री मदन पांडेय—विहप लोगों को बता दिया गया था।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—जो कार्यक्रम अंतिम रूप से बना है वह बंटवा दें।

श्री अध्यक्ष—वह बंटवा दिया गया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो मैंने सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है ऐसे विभाग से संबंध रखता है जिसे रखने की प्रत्येक सरकार को आवश्यकता होती है। कोई सरकार, चाहे वह जन-तंत्रीय हो या एकतंत्र में विश्वास रखने वाली हो, हर सरकार को इस विभाग के रखने की आवश्यकता होती है। इस विभाग के द्वारा सरकारों के कार्यक्रम, नीतियां, विभिन्न विभागों के संचालन करने के सिलसिले में आवश्यकीय चीजें जनता को पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। इसलिये यह अनुदान आवश्यकीय है। भले ही अनुदान में कुछ खर्चे में गलतियां हुई हों, कुछ कमियां विभाग ने दिखाई हों, वह दूसरी बात है। जैसा अभी माननीय सदस्यों के सामने आंकड़े रखे गये, उनसे विदित होता है कि इस साल हमने पिछले वर्ष के मुकाबिले में करीब २ लाख की घटोत्तरी इस अनुदान को सदन के समक्ष रखने में दिखाई है। मैं ऐसा समझता हूं कि ज्यों-ज्यों हम इस विभाग के कार्यक्रम को अधिक व्योरे से अध्ययन करेंगे कदाचित् हम और भी कमियां साल के अन्दर विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में दिखा सकेंगे। परन्तु जितना समय हमें अध्ययन करने का मिला है उसमें हम जितनी कमियों को देख सके, हमने उनको दूर करने का प्रयास किया है।

जैसा मैंने कहा यह अनुदान ऐसे विभाग से संबंध रखता है जो विभाग प्रत्येक सरकार को रखना पड़ता है। आजकल तो इस विभाग की और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जबकि हमने नियोजित ढंग से कार्य करना प्रारम्भ किया है। क्योंकि हममें से प्रत्येक यह जानता है कि पैदावार को बढ़ाने के लिये, आधुनिक विज्ञान की देन को अपने किसानों तक पहुंचाने के लिये, इस बात की नितांत आवश्यकता है कि इस प्रकार के विभाग द्वारा हम अपने कर्त्तव्य का पालन करें। जैसा कि इस सदन के सभी सदस्यगण जानते हैं कि इस विभाग के द्वारा जनता के बीच में उन बातों की जानकारी कराने की चेष्टा की जाती है जिनसे जनता अनभिज्ञ है, जिनकी उनको जानकारी नहीं है। हमारे यहां के किसान तो अभी आधुनिक विज्ञान की बहुत सी देनों से भी अपरिचित है इसलिये उनको कृषि के बारे में, खाद की उपयोगिता के बारे में, तथा वैज्ञानिक साधनों के अधिक उपयोग के बारे में उनको बताने की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव हो सकता है जब कि सरकार किसानों को यह बता सके कि आधुनिक देशों ने आधुनिक विज्ञान की देनों के कारण किस प्रकार तरक्की की है। इस प्रकार के उत्तरदायित्व को यह विभाग पैम्फलेट्स के द्वारा, विजुअल पब्लिसिटी के द्वारा, भाषणों के द्वारा, अखबारों में तरह-तरह की नयी योजनाओं के संबंध में प्रचार करके तथा और अनेक प्रकार से निभाता है और विभिन्न दिशाओं में उसका संचालन करता है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को उनके बीच में वितरित की हुई पुस्तिका से जानकारी हुई होगी, इस विभाग की कई शाखायें हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। अखबारों में

आर्टिफिल्स लिखाती हैं, पैम्फलेट्स लिखाती हैं, अपनी गाड़ियों के द्वारा विजुअल ऐड्स और भाषणों के द्वारा गांवों के लोगों की जानकारी को बढ़ाती हैं। इस प्रकार के कार्य तो ये विभाग करते ही रहते हैं लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस विभाग के संचालन के बारे में, मैं अधिक अध्ययन करूंगा और कदाचित् और कमी तथा कमजोरी जो इस विभाग के संचालन में हैं, उनमें सुधार कर सकूंगा और साथ ही यह भी देखूंगा कि क्या उसके खर्चे में भी कुछ कमी की जा सकती है। विभाग के लोगों को भी इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं कि आगे आने वाले वर्षों में उन्हीं कामों के लिये विभाग अपने कंधे पर जिम्मेदारी ओढ़े जो काम इन दिशाओं में महत्वपूर्ण उसे करना है, जिस दिशा में सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान मैंने आकर्षित किया।

मैंने अभी बताया कि दुनिया का कोई देश और सरकार ऐसी नहीं हैं जिसको इस प्रकार के विभाग की स्थापना करके अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति न करनी पड़ती हो। अतः मैं इस अवसर पर इस अनुदान को प्रस्तुत करते हुये सदन के सदस्यों से यही कह देना चाहता हूं कि विभाग का ध्यान पंचवर्षीय योजना के कार्यों के प्रसार के सिलसिले में ही अधिक मात्रा में रहेगा। और यदि कहीं उससे कोई विचलित होगा और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभायेगा तो सरकार का ध्यान उस विचलन की तरफ जायगा और सरकार सदा उन अधिकारियों को जोकि इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, यह आदेश देती रहेगी कि जिस प्रसारण कार्य के लिये उनको रखा गया है उस प्रसारण कार्य में वे लगे रहें और आइन्दा आने वाले वर्षों में विभाग उस कार्य को करता रहे। मैं और अधिक समय सदन का न लेते हुये इस अनुदान को सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

फिजूलखर्ची पर रोक लगाना, अनावश्यक पत्रों को न छापने पर विचार।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह बाद वाला तो नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—श्री प्रतापसिंह वाला है। अगर इसमें कोई वैधानिक कठिनाई न हो तो इसे रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, इसके पहले कि मैं सूचना विभाग के सम्बन्ध में अपनी कुछ राय व्यक्त करूं, आपके सामने जो सूचना विभाग का ४० लाख रुपये का बजट प्रस्तुत है उस के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। सारे सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ४० लाख रुपये के बजट में १६,७६,९०० रु० केवल कंटिंजेंसी के लिये है। एक जगह तो जो भी रुपया रखा गया है वह पूरा का पूरा कंटिंजेंसी के लिये है और कंटिंजेंसी के अतिरिक्त और जितने आइटम्स हैं सब में अधिकारियों का वेतन, भत्ता और मार्ग व्यय का ही विशेष ध्यान रखा गया है। मैं तो देख रहा हूं कि एक आइटम ऐसा है जिसका टोटल खर्चा ३ लाख रुपये है और उसमें से २, ६७,२०० रु० कंटिंजेंसी के लिये है। इसी तरह से साढ़े ६० लाख के खर्चे में ५२,४०० रु० कंटिंजेंसी के लिये है। यह सब खर्चा सांस्कृतिक प्रचार के नाम पर किया जाता है। मैं आगे चल कर बतलाऊंगा कि इस सिलसिले में किस तरह से वाजिदअलीशाही प्रवृत्ति का प्रयोग होता है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि चाहे एकतांत्रिक देश हो, या प्रजातांत्रिक देश हो, सब जगह सूचना विभाग की आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता

[श्री गौरीशंकर राय]

से कोई इन्कार नहीं कर सकता और खास कर हमारे देश की विशेष परिस्थिति को देखते हुये तो यहां इसकी विशेष आवश्यकता है । लेकिन आपके जरिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आदरणीय सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश के लिये किस लिये आवश्यक है ? यह आवश्यक इसलिये है कि इस देश में योजना का कार्य चल रहा है तो सूचना के जरिये लोगों में योजना कार्य के लिये उत्साह पैदा किया जाय, सहकारी समितियों का जो आन्दोलन चल रहा है, उसकी तरफ लोगों को आकर्षित किया जाय । आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि महात्मा गांधी जैसे मनीषी ने इतना बड़ा त्याग करके इस देश में राष्ट्रवादिता कायम की थी लेकिन आज चीन द्वारा आक्रमण होने के बाद यह मालूम हुआ है कि राष्ट्रवादी भावना का भी देश में अभाव है । तो इसके लिये भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार किया जाय जो सूचना विभाग ही अच्छी तरह से कर सकता है । आज सूचना विभाग की आवश्यकता इसलिये भी है कि वह जीवन के नये मूल्यों का प्रचार करे । लेकिन क्या सूचना विभाग आज यह कार्य कर रहा है ? आज का सूचना विभाग कुछ नहीं करता । न तो वह जन मानस में योजना के लिये उत्साह पैदा करता है, न सहकारिता आन्दोलन के लिये प्रचार करता है जबकि देश की प्रगतिमूलक शक्तियां पूरे जोर से सहकारिता के विरुद्ध अभियान कर रही हैं, और न राष्ट्रवाद व समाजवाद को बढ़ाने का प्रयत्न करता है । हां, एक काम जरूर करता है । माननीय मंत्रियों द्वारा अगर कहीं कोई उद्घाटन समारोह होता है तो उनके चित्र अवश्य खींचता है । अभी माननीय मुख्य मंत्री अपने चुनाव के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में गये थे तो वहां उनके फोटो खींचे गये । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्रियों के फोटों खींचने से लोगों को योजना के प्रति प्रेरणा नहीं मिलेगी और इससे लोगों में उत्साह नहीं पैदा होगा । अभी आपसे पहले डाक्टर सम्पूर्णानन्द मुख्य मंत्री थे जिनकी फोटो लाबी से हटा दी गयी और आप हट जायेंगे तो आपकी फोटो भी हटा दी जायगी । तो ऐसे फोटो से किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगी । फोटो तो इस तरह की खिचवानी चाहिये जिससे जनता को प्रेरणा मिले और योजना के प्रति लोगों को उत्साह मिले । इस तरह के फोटो खिचवाने से देश नहीं बनता, कुछ खास लोग हो सकते हैं कि जिन से प्रेरणा मिलती है जैसे महात्मा गांधी हैं या दूसरे मान्य नेता हैं उन का खिचवाइये तो कोई बात नहीं है । यह इस सूचना विभाग का काम है । मौजूदा योजना को प्रसारित करने का जो काम है वह हो तो हो लेकिन होता है यह कि मंत्रीजी जरा कहीं जायं सूचना विभाग ने खबर छाप दी, अखबारों में दे दी, जरा सी बात किसी मंत्री ने कही और वह छप गई । पिछली ३० तारीख को जो दावत मुख्य मंत्री ने विधान मंडल के सदस्यों को दी तो वह प्रसारित की जाती है सूचना विभाग के द्वारा । क्या उसका सम्बन्ध है विभाग से ? क्यों वह प्रसारित की गई और छापी गई ? आज सूचना विभाग का एक ही उपयोग रह गया है कि वह प्रजातांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने का षडयंत्र कर रहा है । आज हमारा सूचना विभाग हमारी जर्नलिज्म को और सारी पत्रकारिता को ब्राइब अर करप्ट कर रहा है और उस के द्वारा मानोपोलाइजेशन हो रहा है । यह कौन सी नीति है कि सारे एडवरटीजमेंट्स सूचना विभाग से ही दिये जायेंगे, जो सूचना होगी वह पहले यहीं से निकलेगी । प्लानिंग के लिये प्रचार की आवश्यकता हो सकती है लेकिन प्लानिंग विभाग सूचना विभाग के द्वारा एडवरटीजमेंट निकालेगा और वहां के सारे प्रसारात्मक और प्रचारात्मक कार्य सूचना विभाग के द्वारा होंगे इसमें कौन सा तर्क है । यह बीच की अनावश्यक एजेंसी क्यों बनी हुई है ? मैं इस तरह की चीज को कहूंगा कि यह और कुछ नहीं है बल्कि सारे पत्रकार जगत को ब्राइब और करप्ट करने की एक साजिश मात्र है । इन्सपायर्ड पब्लिसिटी के लिये एक मद आकस्मिक धन के नाम से करीब ७ लाख की रखी गयी है । यह किस का पैसा है जिस के द्वारा यह सारा प्रचार और सैर कराई जाती है । सूचना विभाग से इसका सम्बन्ध क्या है यह भी समझ में नहीं आता । यह हर जिलाधीश को करेसपांडेन्ट को नामिनेट करने का अधिकार क्यों दिया गया है ? इसको देखकर बड़ा ताज्जुब होता है । एडीटर को तो अधिकार हो सकता है, बात समझ में आती है कि वह अपने करेसपांडेंट हर जिले में मुकर्रर करे लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा इसकी क्या आवश्यकता हो गई । इस तरह से यहां जर्नलिज्म और

पत्रकारिता पर आक्रमण किया जाता है। मंत्रीजी जरा सोचें कि क्या यह सूचना विभाग का उपहास नहीं है ?

श्रीमन्, मैं आपसे कहूंगा कि आपके नीचे, आपकी हुकूमत के नीचे और इस सदन के मेम्बरों के साथ भी षडयंत्र होता है। यहां पर एक घंटे के प्रश्नोत्तर होते हैं परन्तु उनकी सूचना भी सूचना विभाग अपने ढंग से देता है और उन बातों को वह छिपाता है कि जिनमें सरकार का क्रिटिसिज्म होता है, वह चीजें प्रेस में नहीं जातीं केवल वही जाती हैं कि जिनमें सरकार की विरदावली होती है। इस तरह से प्रजातांत्रिक अधिकारों को जो क्षति हो रही है उसके लिये मैं इस प्रजातांत्रिक कहाने वाली सरकार से कहूंगा कि अच्छा हो कि वह इस से तो इस प्रश्नोत्तर की सदन में जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर। अगर कोई पूछता है कि बलिया में कितना खर्च हुआ और उसका उत्तर दिया जाता है कि ३ लाख १,३३३ रुपया तो वह तो सूचना विभाग फौरन निकाल देगा लेकिन जहां सरकार की आलोचना होती है वह चीज कभी सूचना विभाग नहीं निकालेगा। यह कौन सी सूचक है ?

प्रेस कमीशन बना, उस की कुछ रिकमेन्डेशन्स हुईं। उन रिकमेन्डेशन्स को संसद ने सर्वसम्मति से मान लिया। उसने कहा कि यह जो प्रेस कन्सलटेटिव बाडी है इसकी जरूरत नहीं है, उसको बन्द किया जाय। आल इंडिया जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन व यू० पी० जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन ने भी कहा कि उस को खत्म किया जाय। अंग्रेजों के जमाने में वह बाडी थी लेकिन यू० पी० सरकार ने उसको कायम रखा और उसके द्वारा आज वह अपना हित साधन कर रही है और इस तरह से इसके द्वारा करप्शन और ब्राइबरी को बढ़ाया गया है। मेरी राय है कि इस प्रेस कन्सलटेटिव बाडी को फौरन खत्म कर दिया जाय। आज क्या जरूरत है कि पत्रकारों को सरकार के खर्च पर मसूरी, नैनीताल और पहाड़ों की सैर कराई जाय, अगर वह कराई जाती है तो वह केवल प्रेस को ब्राइब किया जाता है। आज जो सूचना विभाग की हालत है उसको देखते हुये यह आवश्यक है कि इसको समाप्त ही कर दिया जाय यद्यपि उसकी आवश्यकता है लेकिन वह तभी जब कि वह ठीक तरह से संचालित हो। आज वह अनावश्यक कार्य कर रहा है, इस लिये उसका वाइन्ड अप किया जाना आवश्यक है। एक काम यह हुआ कि पिछली सरकार जब जाने लगी और साहित्य के प्रेमी जो हमारे पिछले माननीय मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने स्पेस के विषय में एक किताब लिखी और उस को सूचना विभाग द्वारा छपवाया गया। देखा जाय कि क्या सम्बन्ध 'स्पेस' की किताब का इस राज्य की नीति के प्रसार या प्रचार से हो सकता है ? मैं तो अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह भी कृपा कर एक किताब लिख कर सूचना विभाग के द्वारा अपने समय में छपवा दें कि किस तरह से कोई सकसेसफुल क्लीक बनाकर एक पार्टी पर डामिनेट किया जा सकता है। उससे काफी इन्सपिरेशन आगे लोगों को मिलेगा वर्ना मुख्य मंत्रीजी की प्रतिभा दबी रह जायगी। तो अपनी प्रतिभा के प्रसार के लिये सूचना विभाग का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, बनारस के एक मित्र आये थे, हमारे मेहमान थे। वह सूचना विभाग में गये और लौट कर मुझसे कहने लगे कि गौरीशंकर, मैंने लखनऊ में बनारस देखा। मैंने उनसे पूछा कैसे देख लिया आपने ? उन्होंने कहा कि मुझे तो यह अनुभव हुआ कि मैं पुराने "संसार" कार्यालय में या दशासुमेध पर पहुंच गया। श्रीमन्, दशासुमेध बनारस में एक स्थान है जहां पत्रकार वगैरह जाते हैं और काशी में जो छानने वाले हैं भंग के वह भी वहां जाते हैं। मैं भी गया था श्रीमन्, जब स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि वह बनारस मुझे लखनऊ में दिखाई दे गया। कुछ लोगों को नौकरी देने का एक साधन बना लिया गया है सूचना विभाग को। वार के जमाने में क्या काम उन्होंने किया उसको देखिये। बहुत ज्यादा साहित्य दिया और खर्चा कुछ नहीं और आज इस बचत के जमाने में ४० लाख का खर्चा है। इस बचत अभियान के जमाने में २ लाख की बढ़ोत्तरी एक विभाग में हो गई।

[श्री गौरीशंकर राम]

श्रीमन्, सहायक संचालकों की कतार है । एक नुमायशी सहायक संचालक हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फार एग्जिबीशंस हैं। न मालूम ऐसे कितने प्रकार के लोग हैं। उनसे काम पूछिये तो उन्हें काल्पनिक काम बताना होगा। क्या अवश्यकता है ६-६ और १०-१० असिस्टेन्ट डायरेक्टरों की ? इसके लिये कोई एक कमेटी बैठाई जाय जो यह देखे कि वास्तव में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। होता क्या है ? आज एक टाइपिस्ट रखा गया, कल अनुवादक हो गया, एक जर्नलिस्ट भर्ती किया गया, कल अनुवादक हो गया और फिर ४ महीने बाद असिस्टेन्ट डायरेक्टर हो गया ।

एक न्यूज एडीटर का सेक्शन है। मैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जैसे हमें और राजनारायण जी को कम लिखना आता है अंग्रेजी में वैसे ही वह न्यूज एडीटर हैं। एक रेडियो सेक्शन है। जातिवाद, पक्षपात तथा स्थानवाद में लिप्त है। वार के जमाने से कम्पेरीजन करें कि आपका आउटपुट क्या है और खर्चा क्या है। बचत आन्दोलन के जमाने में डायरेक्टरों की तादाद बढ़ाई जा रही है।

श्रीमन्, इस बात का ध्यान रखते हुये कि जो बुजुर्ग हैं, कल के मुख्य मंत्री हों या आज के हों उनका सम्मान करना चाहिये, बावजूद उस सम्मान के जब सार्वजनिक रुपये का अपव्यय होगा तो कहना पड़ेगा। इस सरकार के किसी मंत्री ने काशी की वेश्याओं को अपने निवास स्थान पर बुलाकर नृत्य कराया और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट से रुपया दिया गया ।

(विरोधी पक्ष की ओर से "शेम" "शेम" की आवाजें)

तो आखिर आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोई सीमा होगी ? मैं भी, चाहे मुझमें ऐस्थेटिक सेंस न हो लेकिन सांस्कृतिक कायक्रमों का विरोधी नहीं हूं, मानने वाला हूं। लेकिन आपका कला प्रेम वेश्यालयों में रहने वाले लोगों के निकट न जाय तो भला होगा। जिस प्रदेश की बैकवर्ड इकनामी हो वहां पर वाजिदअली शाह के तरीके अपनाये जायं तो इस देश और प्रदेश पर कृपया दया कीजिये। इस दरिद्र देश और प्रदेश पर कृपा कीजिये और वाजिदअली शाह की परम्पराओं को छोड़ कर इस देश और प्रदेश का संचालन कीजिये।

हमारे डायरेक्टर साहब जब दिल्ली जाते थे--एक डायरेक्टर साहब थे--तो कभी घूमते हुये आगरा जाते थे और कार आगरा जाती थी, वहां से कार पर दिल्ली जाते थे। चार-चार दिन कार में घूमा करते थे। तो आखिर अपव्यय कहां तक होगा ? मान्यवर, आप शायद ऐतराज कर दें अगर मैं अपनी जानकारी को खोलूं और शिष्टता तथा इस सदन की मर्यादा के कारण भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं कहना चाहता ।

एक अखबार निकला करता है। १५० रुपये देते हैं उनको जिनके बनाये चित्र मुख्य पृष्ठ पर छापे जाते हैं। एक "ग्राम्या" अखबार निकलता है, और भी कई अखबार निकला करते हैं, "नया दौर" निकलता है। एक अखबार निलकता है "उत्तर प्रदेश"। सब अखबार घाटे में चलते हैं। तीन भाषाओं में ये अखबार निकलते हैं और माननीय सदस्यों से आप पूछ लीजिये हरएक के पास प्रत्येक भाषा की एक-एक कापी जाती है। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक खर्चा है। सरकार को सेल को आर्गनाइज करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार से "आजकल" निकलता है। "आजकल" का बड़ा सेल है लेकिन "ग्राम्या" का कोई सेल नहीं है। कोई ४, ५ आदमी हैं जो उसके लिये लिखा करते हैं और हर विषय के वे पंडित हैं। उन्हें पैट्रनाइज करना है। लोगों को कुछ पैसा मिले इसलिये उनको पैट्रनाइज किया जाता है। एक प्रकार की कुछ लेखकों की लिमिटेड कम्पनी बनी हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पत्र तथा पत्रिकायें निकलती हैं उनके सेल को वे आर्गनाइज करें, उसमें बचत होना चाहिये। ऐसे मैटर्स छापे जायं और उनके स्तर को ऊंचा उठाइये ताकि प्रदेश के लोग उन पत्र, पत्रिकाओं का स्वागत करें।

मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा कि प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी वार के जमाने की है। अखिल भारतीय संगठन प्रेस मैन का जो है उसने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि अनावश्यक रूप से इस कमेटी को न रखा जाय और जो प्रेस मान्यता समिति बनी हुई है उसको यह अधिकार दिये जायं कि जगह-जगह संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने उनमें मान्यता समिति का कुछ हाथ हो सके।

एक बात मुख्य मंत्री जी ने कही कि दो लाख उन्होंने बढ़ा दिये। दो लाख बढ़ाने की क्या बात है? आपने किस काम के लिये बढ़ा दिये? सांस्कृतिक कामों के लिये कुछ सीमा होनी चाहिये। यह तै होना चाहिये कि सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या कहलायेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई सम्मेलन करती है तो सूचना विभाग वहां एक एग्जीबीशन लगा देता है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में रह कर कुछ पैसे की बाबत जानकारी मुझे हो गयी है। कुछ दिनों के लिये एग्जीबीशन की और जमीन खरीदने में इतना खर्च कर दिया। इसके लिये कोई सीमा नहीं है। बाकी समय मैं बाद में लूंगा जब मुझे जवाब देना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सूचना विभाग में आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो आप सूचना विभाग को समाप्त कर दें और इस पैसे को किसी दूसरे नियोजन के कार्यों में लगाया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––मैं समय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आधे दिन की ग्राण्ट है। समय आप बांट दें क्योंकि बहुत से वक्ता हैं।

श्री अध्यक्ष––१० मिनट हर एक को मिलेंगे।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये और जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है उनका स्वागत करते हुये मैं उनका ध्यान अपने बस्ती जिले के सूचना विभाग की ओर दिलाना चाहूंगा। श्रीमन्, सालों से हमने कभी भी और हमारे साथियों ने भी सूचना विभाग के कर्मचारियों को न देखा और न पहचाना। संयोगवश पिछली १९ मार्च को हमारे जिले में माननीया श्रीमती सुचेता कृपालानी गयीं और उस दिन एक नवीन शक्ल उस मीटिंग में एक व्यक्ति की देखी। वह शख्स ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे प्रान्त का नहीं है। श्रीमन्, जिस तरह से बंगाल के डाक्टर वर्मन की दवा की शीशी होती है उस शीशी के ऊपर एक फोटो रहती है, उसी तरह की शक्ल उनकी थी और उसे देख कर हमने यह पूछा कि ये कौन साहब हैं? हमें पता चला कि इन्फार्मेशन आफिसर हैं। सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रदेश में बड़े बुद्धिवादी लोग हैं। पता नहीं कैसे हमारे प्रान्त के पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने उनको चुन लिया! मैं तो मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वह भी उनको बुलाकर देख लें कि वे सचमुच बस्ती जिले के लायक हैं या नहीं और वह जमीन पर चल सकते हैं या नहीं। मैं तो गर्व के साथ कहूंगा कि हर एम०एल०ए० तथा एम० एल०सी० गांव में रहता है और गांव में ही काम करता है, लेकिन मैं पूर्ण अधिकार से कहना चाहूंगा कि हमने और तमाम हमारे साथियों ने कभी देखा नहीं कि वे कहां और क्या कर रहे हैं। जिन भावनाओं को मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त किया कि सरकार इन भावनाओं को ले कर चलना चाहती है, सरकार का यह उद्देश्य बिलकुल सही है, लेकिन मैंने देखा कि इन्फार्मेशन विभाग के पास काफी सुविधायें हैं, बड़ी अच्छी नयी जीप है, सिनेमा है, ट्रेलर भी है लेकिन प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच के लिये वे एक कमेटी जिला स्तर पर बिठायें कि अगर इस प्रकार सरकारी धन और प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का उपयोग न हो तो ऐसे आदमी को निकाल कर बाहर करना चाहिये।

सरकार का उद्देश्य जिस तरह से किफायतशारी से चलने का है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन भावनाओं को रख कर इस प्रदेश का काम करना शुरू किया है उसकी इज्जत हर नागरिक कर रहा है, लेकिन उन भावनाओं की इज्जत तभी होगी जब ऐसे निकम्म कर्मचारियों को निकाल

[श्री धनुषधारी पांडेय]

कर बाहर किया जाय। सरकार ऐसे आदमियों को पेंशन नहीं देना चाहती है बल्कि उनको देना चाहती है जिन्होंने देश के लिये कुरबानी की है, जिन्होंने आजादी के लिये अपने घरों को लुटवाया और जलवाया है और नाना प्रकार की मुसीबतों को सहा है।

हमने स्वयं कोशिश भी की कि सरकार जो विकास के कार्य कर रही है, इर्रीगेशन या कृषि उत्थान के कार्य कर रही है उनको गांवों के अन्दर फैलायें। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ उस दिन उन इन्फार्मेशन आफिसर को देखकर। उनके एक सहायक भी हैं। लेकिन जो इंचार्ज हैं उनको तो हमने कभी नहीं देखा। हमने और साथियों से भी बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि वे कभी काम नहीं करते हैं। तो मैं तो एक सुझाव दूंगा कि केवल मेरे जिले में ही नहीं, प्रान्त के हर जिले में विकास खंड हैं, वहां सोशल एजूकेशन के एक ए०डी०ओ० हैं, वहां भी भाटरें हैं, छोटे-मोटे सिनेमा भी हैं और उनका कर्त्तव्य है कि सभी चीजों का विकास करें और लोगों को उनसे अवगत करायें। वहां से अगर सरकार ऐसे इन्फार्मेशन आफिसर्स को निकाल नहीं सकती है तो इन जगहों पर उनको रखे जहां उनसे कुछ काम लिया जा सके वरना इस तरह से बेकार आदमियों को रखने से क्या फायदा ?

श्रीमन्, हमारा जिला तो बहुत लम्बा चौड़ा है और बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र भी है तिस पर भी हम और हमारे साथी बसों से, पैदल, साइकिल से, हर तरह से चल कर हर एक गांव की सूचना रखते हैं कि किसानों को क्या मुसीबत है, क्या कठिनायी है, कितनी ओले से, बाढ़ से या सूखे से क्षति हुई और उन सब बातों को माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन जिन सरकारी कर्मचारियों के पास सभी प्रकार की सुविधायें हैं अगर वे इस प्रकार निखट्टू बन कर बैठे रहेंगे तो मुझे आशा नहीं है कि सरकार का उद्देश्य प्रान्त के कोने-कोने तक पहुंच सकेगा। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करूंगा कि जो इस तरह के कर्मचारी हों उनको दूसरा जगह रखें नहीं तो उनसे माफी मांगते हुये मैं सरकार से कहूंगा कि उनसे कहे कि आपके लिये इस सरकार में कोई जगह नहीं है। अगर हमारे मुख्य मंत्री जी, मंत्री-गण और अन्य सरकारी कर्मचारिगण १८-२० घंटे काम करना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को बिठाकर पेंशन देने के लिये हमारी सरकार कदापि तैयार नहीं होगी। इसलिये मैं आशा के साथ निवेदन करूंगा कि इंफारमेशन विभाग में बहुत से सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी कोई क्वालीफिकेशन्स नहीं है, केवल मेरे या किसी और के पिट्ठू बनकर निर्वाह करना चाहते हैं, उनको निकाल कर अच्छे आदमी लाये जायं जिससे सरकार के कामों की सूचना प्रदेश के कोने-कोने में पहुंच सके और छोटे-छोटे किसान सरकार को योजनाओं से परिचित हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी निखट्टू बनकर बैठे हुये हैं उनको निकाल कर बाहर करें और अच्छे आदमियों को रखें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गौरीशंकर राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं। कुछ कहने के पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक दो मिनट की कमी रह जाय और मेरी बात अधूरी रही जाती हो तो मेरे ऊपर कृपा की जाय। सब से पहली बात यह है कि कल सूचना शाखा से "सूचना विभाग का कार्य विवरण, १९६०-६१" जब पिजन होल में मिला और उसको मैंने पढ़ा, हालांकि यह केवल तीन पृष्ठ की ही है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि जीप व सिनेमा के खरीदने के लिये ९,७८,००० रुपये का प्रबंध किया गया है तो मुझे आश्चर्य हुआ। दूसरी लाइन में देखा कि नई फिल्मों के लिये १०,७७,००० रुपया रखा गया है। बड़े अफसोस की बात है, यह प्रावीजन नया नहीं रखा गया है। हर साल कुछ न कुछ ऐसी बातें रखी जाती हैं। लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो इनमें कोई ऐसी नहीं दीखती जिससे देश में आने वाले संकट के संबंध में नौजवानों में जोश की भावना पैदा की जाने वाली

फिल्म रखी गई हो। जैसी फिल्में रखी जाती हैं उनको देखकर मुझे तकलीफ होती है। "तुम अकेले क्यों ?," "झूम उठे बादल काले", "कठपुतली" ऐसी फिल्में सूचना विभाग से प्रसारित होती हैं। मैं नहीं समझ पाया कि इनमें क्या तत्व है, क्या रहस्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई का लाखों रुपया इस तरह के मनोरंजन में खर्च किया जाय जब कि एक तरफ हमारे बच्चे नंगे धड़ंगे रहते हैं, एक तरफ बच्चों को खाना उस समय नहीं मिल पाता जब वह पढ़ने जाते हैं, एक तरफ किताबों और फीस का सवाल है और दूसरी तरफ इस तरह की मनोरंजन की चीजों में लाखों रुपया बरबाद किया जाता है। यहीं तक नहीं जैसा कि माननीय गौरीशंकर राय जी ने बताया कि बनारस से नर्तकियां लाई जाती हैं और बनारस का जो दृश्य दिखाया जाता है वह मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुनकर आश्चर्य हुआ।

एक बात और देखिये, इसी पत्रिका में बताया गया है कि २४ जिलों में एडीशनल इंफार्मेशन आफिसर्स रखे गये हैं। इनकी क्या जरूरत है ? एक सूचना अधिकारी बड़े बड़े जिलों में काम करता है। बड़ी बड़ी ५ महानगरियों में ही एडीशनल डिप्टी कमिश्नर रखे गये हैं, कहीं एडीशनल कप्तान पुलिस के नहीं रखे गये तो एडीशनल सूचना अधिकारियों के रखने की क्या जरूरत आ पड़ी ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

एक बात और कही गई है कि २,९०,३२७ रुपये की आमदनी इन पत्र और पत्रिकाओं से हुई है। अभी मंत्री जी ने भी यह बात कही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं और आश्चर्य मालूम होता है। शायद मुख्य मंत्री जी के लिये सूचना विभाग ने समझा कि यह तो थोड़े दिनों के लिये हैं, पता नहीं १९६२ में कौन हो, इसलिये उनको धोखा दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि एक पाक्षिक पत्रिका जिसका प्रकाशन केवल ३ हजार है उसका नाम "उत्तर प्रदेश" है, और "नया दौर" का प्रकाशन केवल ४ हजार है। इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन ४ हजार और ३ हजार मिला कर ७ हजार होता है, जिनकी बिक्री सिर्फ साढ़े ३ हजार रुपये की होती है। दोनों की कीमत ४, ४ आने हैं। "त्रिपथगा" की ५ हजार कापियां निकलती हैं। यह मासिक पत्रिका है जिस की कीमत १० हजार रुपये है। एक पाक्षिक निकलती है "ग्राम्या"। एक की दस आने और दूसरे की दो आने कीमत है। दोनों को मिला कर पौने ५ हजार रुपये साल भर की कीमत होती है। एक पत्रिका 'यू० पी० ऐनुअल' निकलती है जिसकी दस हजार कापियां निकलती है इसी का अनुवाद संस्कृत में निकलता है, जिसकी २ हजार प्रतियां छपती हैं। समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं जिनके लिये यह निकलती है। एक "रेडिओ फीचर" निकलता है जिसकी तादाद ५ हजार कापियां है। यह-यह पत्रिकाएं हैं जिनका मुनाफा २ लाख के करीब बतलाते हैं। यह बात समझ में नहीं आयी। अगर इस रिपोर्ट में यह दिया हो ताकि इतना प्रकाशन होता है और इतनी बिक्री होती है और उससे इतना मुनाफा होता है तो बात मान ली गयी होती। लेकिन समझ में नहीं आया कि २,९०,३२७ रुपये की आमदनी किस प्रकार हो गयी।

इसी सूचना प्रकाशन विभाग ने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम "प्रोग्रेस" रखा गया था। इसके सम्बन्ध में मैंने सदन में प्रश्न भी उठाये लेकिन आज तक उन प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिला। इससे पहले भी जिक्र किया था और फिर नये मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस "प्रोग्रेस" पत्रिका के सम्बन्ध में अपने भाषण में थोड़ा उद्घाटन करें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा। यह वही "प्रोग्रेस" पत्रिका थी जिसकी २५ हजार कापियां छपी थीं। यह अप्रैल, १९५९ में एक बार छपी, और उसके बाद नहीं छपी। २५ हजार कापियां छपी थीं। एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया गया था कि इन की कीमत ४६ हजार ८२ रुपये ५२ नये पैसे थी। मैंने पूछा कि कितनी बिकीं तो जवाब मिला कि ८ हजार ८ सौ १० रुपये की बिकीं। करीब ३७ हजार रुपये की प्रतियां सूचना विभाग के कार्यालय

[श्री शिवप्रसाद नागर]

में रखी हुई हैं, जिनको किसी ने नहीं खरीदा। और जो बिकीं उनकी बिक्री कैसे हुई ? अध्यक्ष महोदय, जो लोग देहातों में रेडियो रखते हैं, जिनको सूचना विभाग की तरफ से रेडियो दिये गये, उन लोगों को ये पत्रिकाएं जबरदस्ती भेजी गयीं और उनसे दो रुपये प्रति, कंट्रीब्यूशन लिया गया। देहात के लोग एक शब्द अंग्रेजी का नहीं जानते, एक भी सभापति अंग्रेजी नहीं जानता, उनको यह पढ़ने को दी गयी। इसकी छपाई किस प्रकार हुई ? बम्बई में छपायी गयी और इसकी कोई एडिटर थीं, कुमारी सरला सहानी, वह यहां से इसका प्रूफ देखने हवाई जहाज से बम्बई गयीं। यह वह पत्रिका है जिसकी यह रामकहानी है। इसमें कुल १६ पन्ने हैं। श्रीमन्, १६ पन्ने की किताब बाजार में पांच आने में मिलती है, मगर सूचना विभाग की यह पत्रिका २ रुपये की है। अभी तक किसी भी सूचना विभाग की पत्रिका में यह नहीं छपा है कि जो प्रतियां बाकी बची थीं उनका क्या हुआ। मैंने बार-बार प्रश्न किया लेकिन सही जवाब नहीं मिला।

उन्होंने दो कलेंडर, भी छपवाये हैं–"शक"–दूसरा "शकाब्द"। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मंत्रियों में, विधायकों में, सूचना विभाग के समस्त अधिकारियों में कोई इसको" तारीखें पढ़ कर बता दे कि कौन सी तारीख है, कौन-सा महीना है। "शक–और शकाब्द का समझने वाला कोई उत्तर प्रदेश में पंडित नहीं मिला कि तारीख पढ़ कर बता दे। यह छः छः महीने के छमाही कैलेंडर हैं और इनकी कीमत कितनी बैठी है ? एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि दोनों कैलेंडर २० हजार और ११ हजार छापे गए–कुल ३१ हजार छपे। मैंने पूछा कीमत कितनी लगी तो बताया रु० ४१,९३९.९९ न०पै० बैठे और एक कैलेंडर की कीमत बड़ी हैरत के साथ मैं इस सदन में बयान करता हूं कि १ रु० साढ़े दस आने बैठती है। मैंने पूछा कि ४१,९३९.९९ न० पै० जिसमें लगे उनसे वसूल कितने हुए तो बताया गया कि १०,०३९.६९ नये पै० की बिक्री हुई। ४१ हजार में १० हजार की बिक्री हुई और ३१,८७० रु० ३० न० पै० के कैलेंडर पड़े हुए हैं जिनकी कि छः महीने की मियाद थी, अब उनकी बिक्री का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो यह समझ में नहीं आता कि २ लाख, ढाई लाख, ३ लाख का मुनाफा दिखाते चले जाते हैं, यह कहां से चला आता है ? मैं तो समझता हूं कि यह सब धोखा है। वह समझते हैं कि नये नये मुख्य मंत्री हैं और इस समय झगड़े में हैं। और झगड़ा भी कैसा है ? कोई खास झगड़ा नहीं है। एक दल कहता है कि मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दो प्रेसीडेंट बने रहो, दूसरा कहता है कि प्रेसीडेंट पद छोड़ो।

तो—"दो दगाबाजों के कब्जे में है जोबन इनका
किसी के हाथ में चोली, किसी में दामन इनका।"

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप तो कविता करने लग गए।

श्री शिवप्रसाद नागर—वह तो तुक की बात आ गई थी।

श्री सईद अहमद अन्सारी (जिला सहारनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जो नागर जी ने यह फरमाया कि नये मिनिस्टर्स हैं इन्हें कुछ पता नहीं है तो जरा वह यह बतला दें कि वह कैलेंडर किस सन् का है ?

श्री शिवप्रसाद नागर—१८८० शकाब्द छपा हुआ है। सन् नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, कुछ पीछे वालों का भी खयाल कीजिये, काफी दिन हो गए, मेरे ऊपर नजर ही नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष—आपको मौका मिलेगा। आप कृपा करके बैठें।

***श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिव प्रसाद नागर जी के बोलने के बाद मेरी समझ से तो कोई बात रह नहीं गई है कि जो सूचना विभाग की बाबत मैं कहूं। लेकिन कम से कम मुझे एक बात तो यह कहनी है कि इस सूचना विभाग को अगर मैं कह दूं तो यह कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा प्रचार है, और कुछ नहीं है। इसलिये कि सूचना विभाग के अधिकारी या कार्यकर्त्ता जो हैं वह सरकार की बातों की तो तारीफ सूचना विभाग के जरिये करते हैं लेकिन कभी किसी सूचना विभाग के अधिकारी ने यह सूचना भी दी कि कितनी डकैतियां, कितनी चोरियां, कितनी राहजनी और कितने कत्ल प्रदेश में हुए या कहां-कहां सैलाब आया या और विपत्ति आयी? यह भी तो उसका काम है। सूचना विभाग का तो मैं यह मतलब समझा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो नयी-नयी बातें हों उनकी वह सूचना जनता को और सरकार के तमाम मुहकमों को दे तब तो सूचना विभाग उसका नाम हो सकता है और अगर केवल सरकार की तारीफ वह करता है तो उसको कांग्रेस पार्टी का एक मुहकमा समझना चाहिये।

अब आप देखिए कि १३ तो आफिसर हैं, उन पर खर्च होता है २ लाख रुपया और ४६२ जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उन पर खर्च होता है ७ लाख रुपया। तो होता क्या है? सीधी सीधी बात है कि एक तो कांग्रेस के प्रचार की बात है और दूसरी यह कि कांग्रेस सरकार अपने चचा, भतीजे, ताऊ, वगैरह जो होते हैं उनके लिये एक नया मुहकमा खोल देती है और उनको उस जगह पर आफिसर बनाकर कह दिया कि खूब मजे उड़ाओ।

मोटरें दे रखी हैं हर जिले में सूचना अधिकारी को। और करते क्या हैं वह? सिनेमा देखा, बाजार देखें, कहीं मेला हुआ उसको देखा और हमने अपनी आखों से देखा कि गांवों में जब ये मोटर लेकर जाते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई उनकी तरफ देखता नहीं है कि ये सूचना अधिकारी आये हैं, उनकी बात तो सुने क्योंकि वह तो सरकार की तारीफ करेंगे। अब कांग्रेस सरकार से जनता ऊब गई है और जब ऊब गई तो तारीफ की बात क्यों सुनें। अगर किसी की तारीफ करने में उनको दिलचस्पी हो तब तो वे सुनेंगे लेकिन जब दिलचस्पी नहीं है और घृणा है तो क्यों सुने?

सिनेमा दिखाने के लिये एक मोटर भी उनको दे रखी है। शहरों में और कस्बों में जहां पर रोज सिनेमा होते हैं वहां पर सूचना अधिकारियों को भेजने की क्या जरूरत है कि वह जाकर दिखावें। अगर दिखाना ही है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च ही करना है तो जिनसे पैसा लिया जाता है उनको दिखाना चाहिये। शहरों या कस्बों में दिखाने की क्या जरूरत है?

अभी हमारे भाई शिवप्रसाद जी नागर ने बतलाया कि जितनी पत्रिकायें छपती हैं वह सब बेकार जाती हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का होता है। एक तरफ तो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कागज के लिये तरसते रहते हैं और उनको कागज नहीं मिलता है और दूसरी तरफ यह सरकार खुद अखबार छपवा कर और किताब छपवा कर सूचना विभाग से उस कागज को बेकार कर देती है। छपाई बेकार जाती है कागज बेकार जाता है। इधर कागज इतना तेज हो गया है कि बच्चों को लिखने-पढ़ने के लिये नहीं मिलता है और दूसरी तरफ यह हालत है कि इतना कागज बेकार कर दिया जाता है।

गांव सभा को आपने रेडियो दे रखे हैं। जो गांव सभा के सभापति हैं वह जानते नहीं हैं कि किस तरह से उसको चलाया जाता है। एक दफा जब उन्होंने उसकी मशीन को घुमाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालकराम]

और इधर उधर किया तो वह बेकार हो गया। जितने रेडियो दे रखे हैं वह सब बेकार हो गये। मेरे खयाल से उनमें २, ४ भले ही चलते हों बाकी सब बेकार पड़े हुये हैं। अगर जांच करके देखा जाय तो यह मालूम हो जायगा। ऐसी सूरत में मैं यह कहूंगा कि सरकार सूचना विभाग को तोड़ दे। यह जो किसानों और गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा है इसको दूसरी योजना के काम में लगाया जाय तो अच्छा है जिससे प्रदेश का कुछ भला हो। मैं तो यह समझता हूं, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि सीधे-सीधे यह पैसा किसानों को दिया जाय, वह इससे अपनी पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उससे देश का भला होगा और किसानों का भला होगा और साथ ही सरकार का भी भला होगा।

श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं ऐसा सोचता था कि इस अनुदान पर ज्यादा लम्बी बहस नहीं होगी। इस पर टीका-टिप्पणी कम हो तो अच्छा है। मेरा खयाल है, जब से मैं आया हूं अक्सर यह देखता हूं कि चाहे वह सही अनुदान ही क्यों न हों और दूसरे अनुदान जो सरकार इस सदन में प्रस्तुत करती है उन पर प्रायः कुछ लोगों ने यह अपना कर्त्तव्य समझ लिया है कि उनकी आलोचना करें। आलोचना स्वस्थ होनी चाहिये जिससे सरकार या मुख्य मंत्री को प्रकाश मिले कि क्या खामियां हैं और कहां तक दुरुस्त करना है और क्या-क्या बातें हैं यह सब सूचना उनको मिले ताकि उस विषय की खामियां दूर हो सकें। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी-ऐसी बातों को सदन में रखना जो विधायक होने के नाते हमारे स्टैंडर्ड से, उचित नहीं है, उसके आगे हमें नहीं जाना चाहिये। जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि विभाग में ऐसे-ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो अनुपयुक्त है और बहुत सारे विशेषण उन्होंने दे डाले। मेरी समझ में सूचना विभाग की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी पर है जिनपर हमें पूर्ण विश्वास है, उनपर उसकी जिम्मेदारी छोड़ दें और वह देखें कि कौन कर्मचारी कैसा है। वह देखेंगे कि कैसा काम चल रहा है और अगर नहीं चलेगा तो उसको निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विधायक चुन जाने के बाद हम समझते हैं कि सारी क'ब्लियत का ठेका हमीं ने ले रखा है और जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं, चाहे जितने ही योग्य हों, हम उनकी भर्त्सना करने लगते हैं, यह उचित नहीं है।

इस विभाग को क्यों आगे ले चलना चाहिये, इसके लिये मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रदेश, जैसा कि आये दिन हम सुनते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी जो सामान्य विवाद चल रहा था उसमें बहुत सारी बातें इधर से भी और उधर से भी कही गयीं उनको सुनने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं और जितने विकास के काम हो रहे हैं यह विभाग उन सबसे सम्बन्धित है। इसके जिम्मे एक बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि वह सरकारी नीतियों का जो कि सरकार किसानों के लिये, शिक्षकों के लिये, या उद्योग-धंधों के लिये, कर रही है या तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह कौन-कौन-सी चीजें शामिल कर रही हैं, उसका इरादा क्या है, वह किस तरह से प्रदेश को उठाना चाहती है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं उनको वह पत्रों, पैम्फलेटों, या आकाशवाणी द्वारा, मेलों में या अन्य जगह अपनी सूचनायें प्रसारण करके उस जनता को जो कि बिचारे अनपढ़ हैं, जो देहातों में किसान रहते हैं उनको सारी चीजें मालूम नहीं है, मेरे ख्याल में यह विभाग उनके लिये बहुत महत्व-पूर्ण साबित हो रहा है। कुछ शिकायतें आयीं कि किसी-किसी जिले में सूचना अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह तो होता ही है। हर विभाग में कुछ ज्यादा चुस्त काम करने वाले हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह से आफिसरों को सलामी देकर अपनी नौकरी को सुरक्षित रखते हैं और काम से जी चुराते हैं और हर जगह ऐसी बात होती है।

मेरे खयाल में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और तृतीय पंचवर्षीय योजना का आरम्भ होने जा रहा है, इसमें हमारे सूचना विभाग का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। भले ही उनमें काम करने वालों की निन्दा या स्तुति की जाय, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसने महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। अभी प्रजा समाजवादी पार्टी के जिन साहब ने एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने ऐसी बातें कही हैं कि जो उनकी दृष्टि से शोभनीय रहीं हों, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से वह शोभनीय नहीं थीं।

वेश्यावृत्ति का जहां तक प्रश्न है इस प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले, सारे हिन्दुस्तान से अगला कदम उठाया और उसको प्रायः बन्द सा कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि किसी के चरित्र के बारे में यह कहना कि कैसा है और उसके आंकने का मापदंड किसी सदस्य में हो तो मैं नहीं कह सकता। हमारे घर में जो देहात के लोग हैं, हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है कि जब हम अपनी बहिन और बेटियों को पढ़ाने के लिये भेजते हैं और वह १० या १२ वर्ष की हो जाती हैं तो हमारी जो मातायें हैं वह उसका विरोध करती हैं कि अरे, इसको क्या क्लार्क होना है, बाबूगीरी करनी है। तो यह बहुत सी चीजें हैं और बहुत से लोग तथा इस सदन के कुछ सदस्यगण भी इस प्रकार के हैं कि अगर किसी सांस्कृतिक सम्मेलन में किसी संभ्रान्त महिला द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा हो तो उसे वह वैश्या ही समझते हैं, यदि किसी पुरुष द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा हो तो वे उसे भड़ुआ ही समझेंगे। तो अपने अपने विचार हैं। विधायक महोदय आगे बढ़े तो कहने लगे कि काशी के दशाश्वमेध घाट की झलक सूचना विभाग में देखने को मिलती है। मुझे गर्व है कि ऐसे ऐसे माननीय सदस्य भी हैं जिन्होंने सुन्दर संसदीय परम्परा की यहां स्थापना की है। काशी विश्वविद्यालय की ही झलक है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश की सरकार, चाहे वह पिछली सरकार हो अथवा इस समय की वर्तमान सरकार, उत्तरदायीपूर्ण ढंग पर काम कर रही है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य नागर जी ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, कई बातों की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है और मैं समझता हू कि माननीय सदस्य का जो सदन में प्रथम कर्त्तव्य है उसे माननीय नागर जी ने जो प्रस्तुत किया है। उन्होंने बतलाया कि इंफार्मेशन डिपार्टमेन्ट में कहां कहां कमियां हैं, और उस पर किस प्रकार ध्यान दिया जाना चाहिए। जो सूचना विभाग के पत्र और कलेन्डर आदि निकलते हैं और दूसरी जगहों पर जो अनावश्यक खर्च हो रहा है, उसे कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, और प्रदेश के किसानों का रुपया बचाया जा सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस ओर ध्यान दें।

कुछ और बातें हैं जिन को सुन कर ही सदन में मुझे बोलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। वैसे हम तो वर्कर हैं और हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि प्रदेशीय सरकार जो कुछ कर रही है वह उत्तमोत्तम कार्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूचना विभाग के कार्य कांग्रेस पार्टी के प्रचार के कार्य हैं। ऐसा कहने वाले विरोधी दल के लोग हैं, किन्य यदि वे लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे और हमारी पार्टी में किसी दिन शामिल हो जायेंगे तो उस समय उनको अपनी गलतफहमी समझ में आयेगी। यह सूचना विभाग सरकारी कार्यक्रमों और सूचनाओं, नीतियों आदि को पहुंचाता है गरीबों और किसान मजदूरों तक जिनके लिये यह सरकार काम कर रही है। मैं देख रहा हूं कि लाल बत्ती हो गयी और मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा कहना यही है कि इस विभाग में जो पत्रों और कलेन्डरों आदि में जो अनावश्यक खर्च हो उसको खत्म करने की कोशिश की जाय और मैं समझता हूं कि इसे माननीय मुख्य मंत्री जी तथा ऊंचे अधिकारियों को देखना चाहिये। कौन कर्मचारी किस तरह का है, कैसा नहीं है, इस प्रकार की छींटाकशी करने का, मैं समझता हूं, हमें अधिकार नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में उस विभाग की देखरेख का काम है और वे उसे आशा है उचित ढंग से चलायगे। इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि अधिक से अधिक सूचना केन्द्र स्थापित

[श्री लोकनाथ सिंह]

हों वहां उसके साथ ही यदि लाइब्रेरी आदि भी बनायें तो अधिक सुन्दर होगा। इन शब्दों के के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, सूचना विभाग की बात मैंने सुनी, लेकिन सूचना के मतलब पर अभी कोई नहीं पहुंचा। सूचना किसे कहते हैं ? केवल सच बात ही सूचना हुआ करती है। सूचना हर एक युग में होती है। सूचना वीरों की चीज होती है। वीर शक्ति की बातों के लिये सूचना हुआ करती है। आज की सूचना नाच गाने की, उन्हीं पुराने वीरों के नाम बतलाने की है। जो वीर होते हैं, श्रीमन्, वह थोड़े होते हैं। श्रीमन्, जो चालाक होते हैं वे वीर नहीं होते। सूचना के बारे में कहता हूं कि सूचना पूरी नहीं मिलती। सूचना उस समय महाभारत में भी दी जा रही थी। महाभारत काल में भी, आप को मालूम होगा, संजय धृतराष्ट्र को हर बात की सूचना दिया करता था कि वीर आगे बढ़ रहे हैं, पांडवों की सेना पीछे हट रही है। वीर बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। किन्तु आज इस सरकार की तो सूचना ही अजीब है। इनकी सूचना तो नाच–गाने की सूचना होती है, कितने पैर टूटे इसकी सूचना होती है, कितनों का सुहाग मिट गया इसकी सूचना होती है, कितने घर उजड़ गये इसकी सूचना होती है। लेकिन इसकी सूचना नहीं होती कि आजादी की लड़ाई में कितनों के हाथ पैर टूटे। काम की सूचना कोई नहीं होती। आज कितनों पर डंडे पड़ रहे हैं, कितने ही देशभक्त ११० और १०९ में चालान कर के जेल भेजे जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने ८०-८० मील रेलवे लाइनों को उखाड़ फेंका था, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने में पूरा सहयोग दिया था, आज उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब आप बजट पर आ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं बजट पर ही आ रहा हूं, श्रीमन्। आज टैक्स हम दें, हर मुसीबत को हम सहें, काम करने में आगे हम बढ़ें, किन्तु फायदा उठाने वाले यह लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज बजट का २० प्रतिशत रुपया गांव पर खर्च होता है और ८० फीसदी रुपया शहरों पर खर्च होता है। शहरों को आबाद किया जा रहा है और गांवों को बरबाद किया जा रहा है। सूचना दी जाती है केवल नाच और गाने की।

"अभ्यं भंजनं चाक्षणोः रूपान छत्रधारणम्
कामं क्रोधं लोभंच नर्तनम् गीतवादनम्।।

यह सभी चीजें एक ब्रह्मचर्य के लिये वर्जित है। जूता पहनना, नाच देखना, क्रोध करना, आदि जितनी बातें हैं यह सब उनके लिये वर्जित हैं। मेरे घर में ११ आदमी हैं और उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है, किन्तु उनके किसी बच्चे की फीस माफ नहीं है। ११ आदमी जेल गये, लेकिन किसी की फीस माफ नहीं।

(लाल बत्ती होने पर)

१० मिनट और लूंगा श्रीमन्। मेरे साथी हो पुराने, खानदान को मत भूलो।

श्री अध्यक्ष—२ मिनट हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—

कोयल के सुत कागा पाले शब्द से पहिचान है,
स्वर्ण की जंजीर बाँधें, श्वान फिर भी श्वान है।
सच्ची कहता है कवि तो आपका अपमान है,
शायरों को सत्य कहने पर सदा अभिमान है।

बनता है ईमान वाला जोकि बेईमान है,
बेईमानों का जगत में फिर क्या अपमान है।
नेत्रहीन विहीन सुन वे और बहिरे कान हैं,
वास्तव में ये पशु हैं और मृतक समान हैं।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कटौती के प्रस्ताव पर माननीय गौरीशंकर राय जी ने कई बातें यहां पर रखीं। उनको सुनने के बाद एक नतीजे पर हम पहुंचे हैं, जैसा कि अभी भाई लोकनाथ जी ने कहा कि आज भी समाज के ऐसे कुछ लोग हैं जो सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। अभी मुख्य मंत्री जी ने पार्टी दी, उसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया और उसमें जो भजन हुआ श्री जलोटा का, वह स्मरणीय भजन था। और ऐसी कुछ लड़कियां और हमारी बहिनें आती हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम को पूरा करती हैं तो विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उत्साह-पूर्वक उस भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक सूचना विभाग का ताल्लुक है, इस प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर इसी सूचना विभाग के अतिरिक्त और किसी प्रकार से कहीं प्रचार नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले हम और हमारे साथी काश्मीर गये थे। वहां के सूचना विभाग के बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां हर गांव में एक रेडियो है और जो खबर प्रदेश की, देश की या विदेश की होती है, उसको वहां के ग्राम-वासियों को सुनाया जाता है और सूचना अधिकारी इतने सजग हैं कि हर जिले में जो सेंटर हैं उनसे खबर आती रहती है कि कहां क्या हो रहा है। इस प्रकार देश और विदेश की सूचना और राजनीति की खबरें सब को सुनने को मिलती हैं। आज यह चीजें वहां पर नहीं पायी जाती हैं।

अभी माननीय बालकराम जी ने एक आलोचना की, जिसको सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ, कि रेडियो की क्या जरूरत है? आज देहातों में सूचना जाती है। जहाँ पर गांवों में रेडियो है वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज विधान मंडल में क्या चीज़ नयी हुई, आज कौन सी योजना विधान मंडल अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा रखी गयी। इन सब की सूचना गांव समाजों को रेडियो के द्वारा मिलती है। रेडियो से लोग गाना भी सुनते हैं और दुनियां के समाचार भी सुनते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक ग्राम सभा को एक रेडियो दे दें जिससे दुनियां के समाचार को जान सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें।

गोंडा जिले में सूचना विभाग का काम बहुत ढीला है। पता नहीं वहां के लिये सरकार की क्या मंशा है। वहां के सूचना अधिकारी को सरकार ने एक पिकअप दे रखी है जो ८-७ मील ही चल पाती है। लेकिन कहीं देहात में चली जाती है तो एक दो मील ही चल कर खड़ी हो जाती है फिर कहीं बैलगाड़ी के द्वारा ही उसको लाना पड़ता है। अभी गौरी शंकर राय जी ने कहा कि कंटिन्जेंसी में बहुत ज्यादा रुपया रखा गया है। लेकिन वह तो इसीलिये रखा जाता है कि मेले आदि के मौकों पर सूचना अधिकारी उसको खर्च कर सकें। लेकिन जिस प्रकार का सूचना विभाग का कार्य होना चाहिये वैसा कार्य नहीं हो रहा है। सूचना विभाग को इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता को ज्यादा से ज्यादा सूचना मिल सके, ऐसा कार्य करना चाहिये। पहले जो डायरेक्टर साहब थे उन से पिकअप बदलने के लिये कहा था वे भी चले

[श्री गंगाप्रसाद]

गये । अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पिकअप को बदल कर जीप देने की कृपा करें ताकि गोंडा जिले में सूचना विभाग का कार्य तेजी से हो सके ।

हमारा नैपाल से बोर्डर मिलता है । नैपाल में क्या-क्या हो रहा है, यह तो सब को मालूम ही है । हमारे यहां बहुत से कम्युनिस्ट भाई पहुंच गये हैं और तरह-तरह की बातों का प्रचार कर रहे हैं । जैसा बालकराम जी ने कहा कि सूचना विभाग कांग्रेस का प्रचार करता है, ऐसी बात नहीं है; वे जनता का प्रचार करते हैं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कठपुतली का नाच न दिखाये क्योंकि उससे जमींदारों और राजाओं की पुरानी याद ताजी होती है, बजाय उसके यदि खेती वारी के काम के बारे में दिखाया जाय तो अधिक लाभ होगा । कठपुतली पर हजारों रुपया खर्च करने से समाजवाद नहीं आयेगा गरीबी दूर नहीं होगी । इसलिये मंत्री जी कठपुतली के नाच को बंद करें, जिससे कठपुतली पर जो रुपया व्यय होता है उसकी बचत हो कर अच्छे और जनपयोगी कार्य हों । हर मुल्क में, हर राज्य में यह चीज है कि वह अपनी विचारधारा को प्रसारित कर सके कि उसके क्या विचार हैं । जहां तक 'ग्राम्या' अखबार द्वारा प्रचार करने की बात है, अगर सरकार चाहती तो हर ग्राम पंचायत के लिये यह अनिवार्य कर देती कि उसे इस पत्रिका को लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई चीज नहीं की है । इसलिये सरकार के लिये यह कहना कि किसी पार्टी-बाजी की बात इसके अन्दर है यह सही नहीं है । मेरी राय में हर सूचना केन्द्र पर ग्राम पंचायतों के लिए इस अखबार को भेज दिया जाया करे तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है ।

दूसरी बात जो मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी जब मैं भावनगर कांग्रेस में गया था तो मैंने देखा कि सूचना विभाग की तरफ से हर जगह बड़े अच्छे ढंग से पैम्फलेट वगैरह लगे हुए थे तथा पर्चे बांटे जा रहे थे जिसमें योजना सम्बन्धी सारी जानकारी दी हुई थी । आज हमारे यहां बड़े बड़े मेले होते हैं जिनमें सूचना विभाग की गाड़ी तो भले ही चली जाय और पर्चे आदि बांट दिये जायं, लेकिन योजना सम्बन्धी कोई किताब आदि उनकी तरफ से नहीं दी जाती । अगर इस तरह का इन्तजाम कर दिया जाय कि लोगों को योजना सम्बन्धी किताबें दी जायं तो उससे जनता का लाभ हो सकता है और इस राज्य की जो सही चीज है वह जनता में वितरित हो सकती है ।

एक बात और है । आज कितनी डाकुमेंटरी फिल्में बनी हैं लेकिन सहकारिता सम्बन्धी कोई फिल्म नहीं बनी है । माननीय मुख्य मंत्री जी खासकर इस बात पर ध्यान दें कि सूचना विभाग द्वारा सहकारिता के सम्बन्ध में फिल्म जरूर बनायी जाय क्योंकि उससे गरीबों का लाभ हो सकता है और उससे जनता भी फायदा उठा सकती है, जो सहकारिता के विरुद्ध आवाज बुलन्द करते हैं वह सब समाप्त हो जाय और समाजवाद को लाने में सरलता हो सके जनता को रोटी कपड़ा मिल सके ।

श्रीमन्, एक बात और है कि पहले जो सूचना कमेटियां बनी थीं वे खत्म हो गयीं । मेरा सुझाव यह है कि जिला स्तर पर सूचना कमेटीज को फिर बनाया जाय और हर एम० एल० ए० को उस की सूचना दी जाया करे कि आप के क्षेत्र में फलां जगह फलां दिन सूचना विभाग की गाड़ी आ रही है जहां उसके द्वारा प्रचार कार्य होगा ।

आज सूचना विभाग में बहुत गड़बड़ी है जिसकी वजह से उस विभाग द्वारा जितना प्रचार कार्य होना चाहिये वह सही मान में नहीं हो रहा है । मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी ।

अन्त में एक बात मुझे और कहनी है कि रेडियो के सब पैसे पंचायतों को देने पड़ते हैं । कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं । तो सरकार को चाहिये कि वह रेडियो बैटरी का सारा पैसा अपनी तरफ से पंचायतों को दे । उससे जनता का लाभ हो सकता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गौरीशंकर राय के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। इस सूचना विभाग के अन्तर्गत तीन किस्म की योजनायें पहले से ही चल रही थीं। एक तो सामुदायिक, दूसरी प्रशैक्षणिक और तीसरी विशेष प्रचार की योजना। श्रीमन्, इसको अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि इस विभाग का बजट दिन प्रति दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। सन् १९४६–४७ में जहां इसके ऊपर १४ लाख रुपया खर्च हुआ वहां पिछले वर्ष ४४ लाख रुपया खर्च किया गया और इस साल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उन्होंने बतलाया कि इसमें थोड़ी सी कमी की गयी है और उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके ऊपर काफी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस विभाग की तरफ खींचा जा सकता है। आज तक जिस तरह से इसके ऊपर अपव्यय किया गया है, मैं समझता हूं कि वह इस प्रदेश के काबिल नहीं है। आप देखेंगे कि बिल बनाने के लिये जो कर्मचारी रखे गये थे, अगर उनके काम को देखा जाय तो मुश्किल से सन् १९५३–५४ में जो उन्होंने बिल बनाये, एक कर्मचारी पर एक दिन में ५२–५३ में १.४ का हिसाब आया और १९५३–५४ में २.२, १९५४–५५ में २.०३, १९५६–५७ में ४.४ और १९५७–५८ में ४.६। उसका खर्च उस वक्त ४०लाख के करीब था और इस तरह से आप देखें कि प्रशासन विभाग जो है उसका बजट १९५६–५७में ६२लाख रुपए था का। उस समय जो ८ क्लार्क बिल के थे, उन्होंने जो काम किया वहां, वह सूचना विभाग के क्लार्कों के अनुपात में बहुत ज्यादा था। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विभाग में जो बिल क्लर्क रखे गये उन में काफी कमी हो सकती है और इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इस तरह काफी रुपए की बचत हो सकती है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि इस विभाग में क्षेत्रीय या रीजनल सूचना अधिकारी नियुक्त हुये। मैं समझता हूं कि इन की भी कोई आवश्यकता नहीं है और वह हेडआफिस में पड़े रहते हैं। अब उनको ३ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। जब वह चाहते हैं कि सूचना विभाग अच्छी तरह से काम करे, इसके पहले आप देखें कि इस विभाग को नियोजन विभाग के अन्तर्गत रखा गया था, लेकिन पिछली सरकार पर दबाव डालकर विभाग के लोगों ने कहा कि हम इस तरह से काम न कर सकेंगे, हमें स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाय और नतीजा यह हुआ कि सरकार ने उसको अलग कर दिया। आज नियोजन के युग में जब प्रसार की आवश्यकता है तो इसको अलग करने की क्या आवश्यकता थी? अब कोई जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर नहीं रखी और सारी जिम्मेदारी से बच गया। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि नियोजन विभाग के अन्डर में ही इस को रखा जाय और उसका अंकुश इस विभाग पर रखा जाय और यह क्षेत्रीय अधिकारी जो अलग से बने हैं उन को न रखा जाय, वह पोस्ट ही खत्म कर दी जाय। इससे काफी रुपया सरकार को बच सकता है।

इसी तरह से अगर सरकार इन तीनों अधिकारियों के दौरे के कार्यक्रम को देखे तो इन्होंने काफ़ी दौरा किया है और उससे कोई लाभ नहीं हुआ है और जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ है और खर्च अधिक हुआ है तो इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि पब्लिसिटी अफसर मुकर्रर किये गये हैं। मैं समझता हूं कि उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। इनके हटाने से भी काफी रुपए की बचत हो सकती है। समय कम है इसलिये थोड़े में ही मैं अपनी सब बातें कहे देता हूं।

इसके अलावा जिलों में अतिरिक्त सूचना अधिकारी रखे गये हैं। आज जो माननीय मुख्य मंत्री हैं, पहले जब वह इस विभाग के मंत्री थे तो उनकी नीति यह थी कि जहां से दैनिक अखबार निकलते हैं केवल वहीं पर यह अधिकारी रखे जायं, लेकिन आज हर जिले में रख दिये गये हैं और उनका वहां कोई काम नहीं है। अगर उन का वहां कोई काम है तो सरकार बताये। सरकार इस पर विचार करे कि ५ कवाल टाउन्स को छोड़कर बाकी जहां-जहां भी यह सूचना अधिकारी हैं उनकी पोस्ट को समाप्त किया जाय। इससे सरकार को काफी रुपये की बचत हो सकती

[श्री ऊदल]

है और अगर आवश्यक समझा जाय तो जहां पर कि दैनिक अखबार निकलते हैं केवल वहीं उनको रखा जाय, लेकिन जहां कोई इस तरह की चीज नहीं है, कोई दैनिक अखबार नहीं निकलता, कोई सरकार के विषय में टीकाटिप्पणी नहीं निकलती, कोई आलोचना नहीं होती, वहां इन अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इसी तरह से जिले के जो सूचना अधिकारी हैं उनका देहातों में महीने में १८ दिन का दौरे का कार्य क्रम होता है। लेकिन १८ दिन का जो दौरे का कार्यक्रम है वह कागज पर ही है। मैं यह नहीं कहता कि वह बिलकुल दौरा नहीं करते लेकिन इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि वह दौरे कागज पर ही न रह जायं। जो सरकार की मंशा है कि देहातों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाय, अगर यही मंशा है तो वह काम सुनियोजित ढंग से होना चाहिये।

इसी तरह फिल्म जो बनवाई गईं उसमें मैंने देखा कि विभाग द्वारा जो फिल्में तैयार कराई गईं उनमें कम पैसा खर्च हुआ और कम्पनियों द्वारा जो तैयार कराई गई उनमें ज्यादा खर्च हुआ। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस साल के बजट में फिल्म तैयार कराने के लिये जो रुपया रखा गया है वह फिल्म किसके द्वारा तैयार कराई जायेंगी? मैं चाहता हूं कि उसे विभाग के द्वारा ही तैयार कराया जाय। उससे भी काफी बचत हो सकती है।

इसी तरह से इस विभाग का काम यह हो गया है कि जितने बड़े-बड़े अफसर हैं (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, ५ मिनट हमको दे दें, बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो श्रीमन्, २३ अफसरों को ७५ अखबार दिये जाते हैं और सूचना विभाग खरीद कर देता है। तो क्या मैं यह समझ लूं कि जो अफसर पांच-पांच, चार-चार और तीन-तीन हजार वेतन पाते हैं और टी०ए०, डी० ए० लेते हैं उनको अखबार पहुंचाने की जिम्मेदारी सूचना विभाग की है? दो तीन अफसर तो ऐसे हैं जिनको आठ-आठ अखबार दिये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस विभाग ने जो काम किये हैं वह बहुत गैर जिम्मेदारी से किये हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये और यह जो अखबार अफसरों को सूचना विभाग की तरफ से दिये जाते हैं इनको बन्द किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

इसी तरह से एक बात बहुत जरूरी कहनी है। एक दिन एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि बहुत से सरकार के विभाग ऐसे हैं जो अलग-अलग अपना प्रकाशन करते हैं और अपनी सूचना प्रसारित करते हैं। क्या मैं जान सकता हूं सरकार से कि क्या उन सबको मिलाकर एक में नहीं किया जा सकता? श्रीमन, १३ विभाग हैं सूचना विभाग के अतिरिक्त जो अलग-अलग अपनी किताबें और पुस्तिकायें वगैरह निकालते हैं, मैं समझता हूं कि यह भी अपव्यय है और मुख्य मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये। इन १३ विभागों में से कम से कम ९ विभागों को तो आप सूचना विभाग में केंद्रित कर सकते हैं। इससे काफी पैसे की बचत होगी। इसी तरह से स्टाफ जो है वह भी काफी बढ़ गया है। जितनी बातें मैंने कहीं हैं उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें है जिनकी जानकारी सरकार को करनी चाहिये।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सूचना विभाग के बारे में जांच की जाय और अगर सरकार सहमत हो तो उसके लिये एक छोटी सी कमेटी का निर्माण किया जाय। इस विभाग में लाखों रुपये का अपव्यय होता है, इसलिये मेरी मांग है कि एक कमेटी का निर्माण होना चाहिये।

श्री राजबिहारीसिंह (जिला वाराणसी)—माननीय, आज सूचना विभाग के बजट पर दोनों तरफ से जो स्पीचेज हुई मैंने उनको ध्यान से सुना। यह विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर मेरी अपनी एक निजी राय है। पारसाल भी मैंने उसका जिक्र किया था और इस साल

पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं। यह विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें अगर कोई आदमी कमी करने की बात करता है तो मैं सोचता हूं कि वह सूचना विभाग को नष्ट कर देना है। सूचना विभाग कोई व्यापारियों का विभाग है, बनिये की दुकान है कि एक पैसे का सौदा खरीदा जाय और दो पैसे फायदे के हों? सूचना विभाग वह विभाग है जिसके द्वारा सरकार जो काम करती है, प्रदेश में सरकार की जो नीति होती है, प्रदेश की जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, उनका प्रचार किया जाय। जो पुरानी चीजें हैं उनका संरक्षण तथा उनका प्रचार सूचना विभाग करता है। अपने देश तथा प्रदेश में क्या खास-खास चीजें हैं उनका प्रदेश भर में सूचना विभाग इतने सुन्दर ढंग से प्रचार करे कि दुनिया के लोग अपने प्रदेश की ओर आकर्षित हों। जब मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा लचर है। ए०आई०सी०सी० में जाइये या किसी भी कांफ्रेंस में जाइये, सबसे ज्यादा रद्दी हमारे प्रदेश का सूचना विभाग होता है। एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश का सूचना विभाग आप देख लें, उनके जितने तीर्थ स्थान हैं उनका इतना बढ़िया तथा खूबसूरत चित्रण किया जाता है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारे प्रदेश में काशी, मथुरा तथा अयोध्या हैं, मिर्जापुर के स्पाट्स हैं, जंगल हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी हालत में सूचना विभाग में पैसे की कमी करना मेरी समझ में नहीं आता।

आज तो सूचना विभाग को और अधिक पैसे की जरूरत है। सूचना विभाग ने एक और दायित्व अपने ऊपर लिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसने एक गुट्ट का काम करना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान मैं सूचना विभाग की विज्ञप्ति की ओर दिलाना चाहूंगा। सभासदों को मालूम होगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने ३० तारीख को एक दावत दी थी मेम्बरों से मिलने के लिये। अखबारों में छपा "होली मिलन" और सूचना विभाग की तरफ से जो विज्ञप्ति दी गई अखबारों को उसकी हेडिंग थी "मुख्य मंत्री की दावत में भूतपूर्व मंत्रीवादी शामिल"। यह सूचना विभाग का नया काम हो गया। इसलिये उसे पैसे की और जरूरत है। देश तथा प्रदेश की पुरानी परम्पराओं को कायम रखने के लिये उसे पैसे की और जरूरत होगी। इसमें किसी तरह की कटौती की बात नहीं हो सकती।

इस विभाग में जो काम होते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जितनी योजनायें हैं उनका फिल्म होता है। जो योजनायें होती हैं वे लेजिस्लेचर के मेम्बरों के लिये नहीं हैं। मैं नागर जी को बतलाता हूं कि नैनीताल में सूचना विभाग की फिल्म्स दिखलाई जाती हैं। जिनके पास पैसा नहीं है कि सिनेमा जा सकें, थियेटर जा सकें वे सूचना विभाग की फिल्मों द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

कठपुतली की बात गंगा प्रसाद जी ने कही। प्रदेश की बहुत पुरानी चीज है। इसको कायम रखना चाहिये और कायम रखने के लिये आप इसे नया रूप दे दीजिये। नये ध्येय जो हों उनपर इसे लाइये, सहकारिता पर लाइये।

कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, तो सूचना विभाग के जो आफिसर हैं वे कांग्रेस-माइंडेड होने चाहिये। अगर नहीं होते हैं तो प्रदेश चौपट हो जायगा। अगर दूसरी पार्टियों की विचारधारा के लोग सूचना विभाग में आ जायेंगे तो उसी दिन सरकार को चौपट कर देंगे। ऐसे ही आदमी रखे जाने चाहिये जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मिलती जुलती हों और अगर दूसरी पार्टियों के लोग सूचना विभाग में जाते हैं तो वे कांग्रेस की नीति के खिलाफ बात करेंगे, तो कैसे यह बात चल सकती है? इसलिये जो इस रीति नीति के मानने वाले हों ऐसे आदमियों को सूचना विभाग में तरजीह देनी चाहिये नहीं तो सूचना विभाग चल नहीं सकता।

[श्री राजबिहारीसिंह]

बड़ी बातें पत्रिका, डायरी और कलेन्डर की उठायी गयीं। मैं फिर कहता हूं कि आज जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कलेन्डर और डायरी छपती हैं वे बाजार में ५–५ रुपये में बिकती हैं। लेकिन उनका महत्व होता है। आज सूचना विभाग की जो डायरी है, जो पंचांग है, आप देखें, हर इम्तहान देने वाला उनको खरीदता है। तो कुछ ऐसे काम हैं सूचना विभाग के, जिनको आप इगनोर नहीं कर सकते, उनको चलाना बहुत जरूरी है। हां, किफायतशारी होनी चाहिये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किफायत करें तो उसके लिये भी सूचना विभाग को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि वह लोगों में एक जोर भरे और हर काम में किफायतशारी की भावना पैदा करें। आपको मुट्ठी भर वाली बात याद होगी। सन् ३०–३२ के आन्दोलन में जो करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था वह मिल मालिकों से नहीं मांगा गया था बल्कि दहात के रहने वालों से एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके इतना बड़ा राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया गया था। तो वह भावना सूचना विभाग में भरनी चाहिये कि वह देहात के लोगों में भी अल्प बचत की भावना भर। किफायतशारी के माने यह नहीं हैं कि आप सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के टी० ए० वगैरह में कुछ बचत कर लें। अब लग्न के दिन आने वाले हैं। जहां बारातें जायं वहां सूचना विभाग को जा कर लोगों में यह प्रचार करना चाहिये कि अल्प बचत के क्या-क्या लाभ हैं। तो सूचना विभाग में कमी करने की बात समझ में नहीं आती।

भाई गौरीशंकर जी का मैं जवाब नहीं देना चाहता। उनको काशी से बड़ा प्रेम है। वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि काशी से जो पापी होता है वह बहुत डरा करता है और वहां से हजारों मील दूर बैठता है, क्योंकि अगर कहीं गंगाजी की एक छींट भी उसके ऊपर पड़ गयी तो वह पापी नहीं रह जायगा। कहा गया कि काशी की वेश्या बुलाई गयी। मैं कहता हूं कि अगर उसके पास कला है तो उस कला का आदर होना चाहिये। हम गिरे हुओं को ऊपर उठाना चाहते हैं। आज आप वेश्याओं को गृह लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। अगर किसी वेश्या के पास कला ह तो उस कला का प्रदर्शन बड़े लोगों म होना चाहिये, समासदों के सामने होना चाहिये न कि गुंडों और लफंगों के सामने हो। अगर किसी में कला है तो उसका प्रदर्शन हिम्मत के साथ होना चाहिये जिससे कि वह वेश्या, वह छोटा आदमी समझे कि हमें ऊपर उठाया जा रहा है, हमारी इज्जत की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर––मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय राजबिहारी जी ने कहा कि मैंने नैनीताल में सूचना विभाग की फिल्मों को देखा होगा ....

श्री अधिष्ठाता––आपको मैं अवसर नहीं देता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––अधिष्ठाता महोदय, जब जनतंत्र विश्व रंग मंच पर अपने परीक्षा काल से गुजर रहा हो और हिन्दुस्तान के चारों तरफ तानाशाही के बादल मंडरा रहे हों ऐसे अवसर पर मैं भी समझता हूं कि सूचना विभाग की आवश्यकता है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सूचना विभाग का जो स्वरूप सन् ३७ में अंग्रेजों के जमाने में जब इसकी स्थापना हुई थी तब था उस समय से आज तक उसमें कोई फर्क आया है? सन् ३७ में इसके जरिये अंग्रेजों का प्रचार होता था। आज अगर उसका वही स्वरूप रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। मैं राजबिहारी जी की बड़ी कद्र करता हूं। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग को कांग्रेस-माइंडेड होना चाहिये। मैं इसे गलत समझता हूं। आज हमें राजभक्त अफसरों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी देशभक्त अफसरों की जरूरत है। आज नेशनल-माइंडेड आफिसरों की आवश्यकता है, वे मुख्य मंत्री जी के भक्त हो सकते है, मेरे भक्त हो सकते हैं, लेकिन इससे देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप की

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि सूचना विभाग का मतलब है, सरकारी नीति का प्रचार करना और मंत्रियों के भाषणों का प्रचार करना। लेकिन मान्यवर, आज इस स्वरूप को बदलना होगा। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में कृषि विभाग का अलग सूचना व्यूरो है, फारेस्ट विभाग का अलग सूचना व्यूरो है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में प्रत्येक विभाग के अलग-अलग सूचना व्यूरो रखने की क्या जरूरत है? प्रदेश में केवल एक ही सूचना विभाग होना चाहिये।

दूसरे आज इस बात की आवश्यकता है कि हम, देखें कि दूसरे देशों में वहां का सूचना विभाग क्या काम करता है? दूसरे प्रदेशों में सूचना विभाग संविधान का संक्षिप्त रूप छपवाकर जनता में वितरित करता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि बंकिम चटर्जी का जो बंदेमातरम् राष्ट्रीय गीत है उसको छपवाकर सूचना विभाग द्वारा जनता में बटवाया जाय। इसी प्रकार से हमारा गान "जन, मन, गण" को भी छपवाकर बांटा जाय। आज बोर्डर पर क्या हो रहा है? आज चीन की ओर से प्रचार किया जा रहा ह कि हमारे यहां गरीबी नहीं है और एक टेबिल पर खाने के लिये भंगी और एस० पी० को बिठाया जाता ह और कहा जाता है कि भोटिया भाइयो देखो, हमारे यहां चीन में आदमी आदमी में कोईफर्क नहीं है, एक ही मेज पर एक एस० पी० और एक भंगी खाना खा सकता है। मैं आज मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बोर्डर की उपेक्षा आज आप के सूचना विभाग ने की है। वहां के लोगों को मालूम नहीं कि क्या हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? यह इस विभाग का काम है।

दूसरे यह जो कहा जाता है कि इस विभाग द्वारा कांग्रेस का प्रचार नहीं होता है, ठीक नहीं है। मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि एक पंचायत राज मैगजीन है जिसकी १९५६–५७ में ४० हजार प्रतियां छपी थीं और १९५७–५८ म ६९ हजार छापी गईं १९५६–५७ म इसकी ग्राहक संख्या ३६ हजार थी जो १९५७–५८ में बढ़ कर ६७,३०० हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी का प्रचार इसकी संख्या बढ़ा कर नहीं किया गया?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि ११ लाख रुपया इस विभाग का बाकी पड़ा है। कांग्रेस राज्य में यह रुपया कम नहीं है। जब माननीय गुप्त जी से वार्डर जिलों के लिये कहते हैं तो वे कहते हैं कि रुपया नहीं है। लेकिन यह ११ लाख रुपया आज तक वसूल नहीं हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपको तो नहीं होती होगी क्योंकि आप जानते हैं कि कल सम्पूर्णानन्द जी थे, आज आप हैं और कल न जाने कौन होगा? हमें आपके व्यक्तिगत झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। यह देश का प्रश्न है मैं इसका जवाब चाहता हूं।

एक बात और है श्रीमन्, सूचना विभाग में कोई नियम नहीं है। जैसे अफसरान नियुक्त होते गये उनकी तनख्वाहें लगती गईं। शायद मुख्य मंत्री जी कहें कि गलत बात नहीं कहना चाहिये। इसीलिये मैं इस प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के अध्याय १९ में से पृष्ठ ८३ पर पढ़ देना चाहता हूं कि—"समिति ने महसूस किया कि सूचना विभाग ने विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन क्रम निर्धारित किये हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार प्रतीत नहीं होता और ऐसा मालूम होता है कि जिस समय जैसा पदाधिकारी अथवा कर्मचारी मिला उसी प्रकार मनमाने ढंग से उसका वेतन-क्रम निर्धारित कर दिया गया। समिति की राय है कि सरकार इन वेतन-क्रमों पर पुनः विचार करे"। मैं जानना चाहता हूं कि यह हाउस की समिति है और इसकी ६९ सिफारिशें हैं—उनके सब के लिये तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पत्र पत्रिकायें सूचना विभाग से निकलती हैं वह प्रजातंत्र के तरीके को बढ़ान के लिये निकलती हैं और प्रजातंत्र के बारे में लेख निकलते हैं। मैं चाहूंगा कि एक आध उदाहरण दिया जाय कि कौन सा ऐसा लेख लिखा गया जिससे गांव में नई चेतना व नई जाग्रति हुई हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति विरोधी दल में नहीं है जो जनतंत्र पर लेख न लिख सकता हो या कोई आदमी

[श्री प्रतापसिंह]

ऐसा विरोधी दल में नहीं है जो यह लेख न लिख सकता हो कि "हरिजनों का उद्धार कैसे हो ?" यह विभाग कांग्रेस पार्टी का नहीं है बल्कि देश का विभाग है। हमारा भी इस विभाग पर उतना ही अधिकार है जितना आपका है।

प्रेस कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में कहा गया है कि खर्चा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, इसके बढ़ने का क्या कारण है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

मान्यवर एक मजाक की बात है कि बिजली के बल्ब फ्यूज हो सकते हैं लेकिन हजारों रुपये का बिजली का सामान खरीदा जाता है। जितनी स्टेट में प्रदर्शनी होंगी क्या सब में सामान खरीदा जायगा ? इस पर भी समिति ने कहा है "हर प्रदर्शनी में कई हजार रुपये का बिजली का सामन खरीद लिया जाता है। क्या जो सामान एक बार खरीद लिया जाता है वह उसके बाद काम में आने योग्य नहीं रहता है ? समिति समझती है कि इसमें अपव्यय होता है और काफी बचत की गुंजायश है। एस्टीमेट्स कमेटी एक बहुत जिम्मेदार कमेटी है। उसकी यह सिफारिश है। मान्यवर, इंग्लैन्ड जहां की पार्लियामेंटरी प्रथाओं को हम अपनाते हैं वहां वोट आन अकाउंट होने के बाद वह एस्टीमेट्स कमेटी के पास जाता है। यहां क्या है ? कांग्रेस पार्टी में आपस में झगड़ा हो गया है और ३१ मार्च तक बजट नहीं पास हो सका तो वोट आन अकाउंट रख दिया। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है कि वोट आन अकाउंट को एटीमेट्स कमेटी के पास भेजा जाय जो उसकी छानबीन करे। इस ओर कोई कदम नहीं उठा।

हम सरकार को बराबर ध्यान दिलाते रहे कि रिहंद डैम में गड़बड़ी पड़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से बराबर यही जवाब दिया जाता रहा कि नहीं साहब बहुत अच्छा चल रहा है। आज अखबार में आया है कि रिहंद डैम जुलाई अगस्त तक नहीं बन पायेगा। इंजीनियर्स ने राय दी सरकार को कि बिड़ला के कारखाने को बिजली न दी जाय, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती की। सरकार एक्सपर्ट्स की राय नहीं मानती है तो किसकी राय मानती है ?

एक भाई ने कहा कि आज सूचना विभाग का बजट कम हो रहा है। लेकिन यह देखा जाय कि १९४७ में इसका कितना बजट था ? १९४७ में इसका बजट १४ लाख रुपया था और कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में यह ४४ लाख रुपया तक हो गया। जब अंग्रेज थे तब तो इसका बजट १४ लाख रुपया था और कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में यह ४४ लाख रुपया हो गया। विभाग का बजट और विभिन्न ब्युरोज का बजट जो कि विभिन्न सहकारी विभागों में है, दोनों का हिसाब लगाया जाय तो ४० लाख का बजट तो सूचना विभाग का है और इतना ही बजट इन विभिन्न ब्युरोज का भी होगा। दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि १९४७ में नया डाइरेक्टरेट खोला गया था। लेकिन आज तक डाइरेक्टरेट और विभाग में फर्क नहीं किया। मैं चाहता हूं कि दोनों में फर्क हो ताकि हम दोनों के खर्चे अलग अलग बांट सकें। जो लोग डाइरेक्टरेट में काम करते हैं उनको वही वेतन मिलना चाहिये जो कि विभागाध्यक्ष के लोगों को मिलता है।

दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप और आपके चीफ सेक्रेटरी बार्डर पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपका यह विभाग है। इसके द्वारा वहां की फोटो खींची जायं। फोटो ली जाय कि गर्ब्यांग कितना नीचे आ गया है, काली नदी कहां से बहती है। इस विभाग से एक पुस्तिका निकलती है "सूचना एवं प्रचार।" मेरे पास इसकी एक प्रति है। इसमें कुल ३२ पेज हैं। उसमें १६ से ज्यादा फोटो हैं। राजबिहारी सिंह जी ने कहा कि बनारस की भी फोटो होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि स्थानों की फोटो हो एक फोटो है जिसमें मुख्य मंत्री जी हजरतगंज में सूचना केन्द्र का उद्घाटन कर रहे हैं। उसके बाद केन्द्र के रेलवे मिनिस्टर की फोटो है, वह कुछ और कर रहे हैं। यह किताब फोटो से भरी पड़ी है। सूचना विभाग क्या यही प्रचार करता है ? व्यक्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा करनी चाहिये सिद्धांत की और उस पर काम करने

वालों की। प्रचार इसका होना चाहिये कि देश की गरीबी कैसे दूर की जाय न कि किसी किताब में केवल फोटो छाप दिये जायं ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे डिपार्टमेन्ट के स्वरूप को बदलना चाहिये । मान्यवर, किसानों का एक इलाका है थरुहाट । सिंचाई पर इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वहां के लोगों को यह भी पता नहीं है कि सिंचाई से क्या लाभ है । क्या इस पर सूचना विभाग एक किताब नहीं निकाल सकता ? लेकिन किताब तो वह निकलेगी जिसमें मंत्री जी का नाम होगा । मान्यवर, अगर आप अनुसूचित जातियों पर एक आर्टिकल लिखें तो वह नहीं छपेगा, लेकिन मसानी जी का डेमोक्रेसी पर आर्टिकल छप जायगा । मैं तो कहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी का भी आर्टिकल गन्ने के ऊपर छपना चाहिये। अगर मसानी जी का छप सकता है तो उनका भी और दूसरों का भी छपना चाहिये । लेकिन जो बुनियादी लोग हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं उनका नहीं छपेगा । अगर जवाहर लाल जी अपने बाद किसी और जवाहर लाल को नहीं पैदा कर सकते तो इस देश का दुर्भाग्य है, लेकिन हमको तो पैदा करना चाहिये । पूज्य पंत जी के निधन के बाद आजदेश इस बात के लिये आगाह कर रहा है कि आज कलेक्टिव लीडर-शिप की देश को आवश्यकता है, अगर देश को हमें बनाना है । माननीय मुख्य मंत्री जी यह तो जरूर कहते हैं कि पी०एस०पी० को कांग्रेस में आ जाना चाहिये बिना सोचे समझे लेकिन यह कभी नहीं कहते हैं कि देश में कलेक्टिव लीडरशिप कैसे बढ़ेगी । इस कार्य में जनता का सहयोग सूचना विभाग के जरिये प्राप्त करना चाहिये ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरी बोलने की इच्छा तो नहीं थी किन्तु विपक्षी महानुभावों के कुछ विचारों को सुनकर के मेरे अन्दर प्रेरणा मिली और बाध्य होकर के मैंने अपने विचार को प्रस्तुत करना आवश्यक समझा । मझे दुख इस बात का हुआ अपने मित्र प्रताप सिंह जी का भाषण सुनकर कि जहां वह एक तरफ यह कहते हैं कि सूचना विभाग की आवश्यकता ही नहीं है वहां उसी समय साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि भारत की सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं । मैं तो समझता हूं कि इस समय ऐसे ही समय में और भी आवश्यकता है कि सूचना के द्वारा गांवों के अन्दर उन ग्रामीणों तक भी इन बातों की जानकारी कराई जाय कि आज देश में किस चीज की आवश्यकता है और देश में आश्यकता हो अगर उनको तैयार करने की तो नवजवानों के अन्दर भी वह भावना भरें कि किस प्रकार से आजादी की रक्षा के लिये उनको तैयार रहना चाहिये, उस तरह वह उसके लिये तैयार रहें ।

अधिष्ठाता महोदय, सूचना की आवश्यकता इसलिये केवल नहीं होती है कि जैसा कि हमारे विपक्षी महानुभावों की तरफ से कहा गया है । मैं तो कहता हूं कि सूचना की आज आवश्यकता ही नहीं, परमावश्यकता है कि प्रदेश की सरकार कौन-कौन से कार्य कर रही है, विकास के कार्य कौन-कौन से कर रही है, और कौन कौन से कार्य उसको करने हैं, इन सब का प्रचार व साहित्य के द्वारा करें । कहीं साहित्य न पहुंच सके तो गांवों में मनोविनोद के साथ, नाटक, कठपुतली और सिनेमा के जो चलचित्र आदि हैं उनके द्वारा वह प्रचार कार्य किया जाय । आज मैं देखता हूं कि बहुत से किसान जो गांवों में रहते हैं सिनेमा का नाम तो वह सुना करते हैं लेकिन कभी उनको सिनेमा देखने का अवसर नहीं मिलता। वहां गांवों में जब जिला सूचना अधिकारियों द्वारा चलचित्र दिखाये जाते हैं तब उसमें गांवों के विकास की भी बातें होती हैं और किस तरीके से उन्नति की जा सकती है, वह भी दिखाया जाता है । प्रेम, भ्रातृत्व भावना आदि की भी चीजें आती हैं, सैकड़ों रुपया व्यय करके जो तीर्थ स्थानों को नहीं देख पाते उनको उन स्थानों को भी दिखाया जाता है । मनोविनोद के साथ साथ उनको यह चीजें भी मालूम हो जाती हैं । सरकार ने इसी प्रकार इस प्रचार के हेतु एक प्रकाशन शाखा के द्वारा, क्षेत्र प्रचार के द्वारा, तथा

[श्री अयोध्याप्रसाद आर्य]

सामूहिक श्रवण शाखा के द्वारा कार्य किया है। क्षेत्र प्रचार शाखा के अन्दर भजन मंडलियां है और कठपुतली आदि भी। सामूहिक श्रवण शाखा में, अल्प मूल्य में केवल ७५ रुपये में गांव सभा के प्रधानों को रेडियो प्राप्त होता है, उनके द्वारा गांवों के अन्दर प्रचार होता है जहां गांव की जनता एकत्रित होकर देश की बातों को सुन सकती है। मैं समझता हूं कि उससे अपने देश का और अपना भी कल्याण होता है।

मान्यवर, यह बड़ी खुशी की बात है और मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं उसका विरोध नहीं करेगा, उनको छोड़कर जिनको केवल दोष ही दोष दिखाई देता है, गुण नहीं दिखाई देता, यद्यपि मैं नहीं कहता कि विरोधी पक्ष की आवश्यता नहीं है उसकी परम आवश्यकता है स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिये, लेकिन मैं समझता हूं कि वे भी मानेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं इसलिये कि ऐसे बहुत से कवि तथा लेखक है जो धनाभाव के कारण अपने साहित्य का प्रकाशन नहीं करा पाते। आज मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सूचना विभाग के द्वारा ३ सौ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन होने की योजना है। इनमें से ४६ तो छप चुकी हैं और ५० से अधिक की पांडुलिपियां तैयार हैं और शेष को लेखकों द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। क्या इससे कल्याण नहीं होगा ? लेकिन माननीय मित्रों ने इसकी चर्चा तक नहीं की है।

प्रकाशन शाखा के द्वारा "त्रिपथगा" मासिक और "ग्राम्या" पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। उसमें कितने कितने सुन्दर और जनकल्याणकारी लेख छपते हैं। साथ ही साथ "उत्तर प्रदेश, नाम से एक मासिक अंग्रेजी में और उर्दू में "नया दौर" भी प्रकाशित होता है।

इन सब बातों को देखते हुये इस सूचना विभाग के अनुदान में जो कटौती वाला प्रस्ताव आया है उस पर विवाद तो होना ही नहीं चाहिये था। खुशी की बात है कि जब हमारा देश परतंत्र था और अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय भारतवर्ष की आजादी के लिये कितने ही नौनिहालों, कितनी ही माताओं और बहिनों ने हिस्सा लिया। उन स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की जीवनियां लिखने का प्रयास हुआ है, जिसके लिये ६ आदमियों की एक समिति भी बनी है और मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा कार्य होगा और जिन महानुभावों ने आजादी के युद्ध में भाग लिया है उनका जीवन चरित्र उसमें छप जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—श्री उग्रसेन जी, आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री उग्रसेन—दो मिनट और दे दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता—समय नहीं है, मजबूरी है।

श्री उग्रसेन—मान्यवर, माननीय गौरीशंकर राय के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सूचना विभाग का काम जहां सृजनात्मक होना चाहिये था वहां भ्रमात्मक है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आपने भी, श्रीमन्, देखा होगा कि मई, १९६० में सोशलिस्ट पार्टी ने पांच लोक कल्याणकारी मांगों को लेकर सारे हिन्दुस्तान में सिविल नाफरमानी को चलाया। उसके सम्बन्ध में सूचना विभाग कम से कम २५ हजार पोस्टर बड़े बड़े छपवाकर प्रदेश के कोने कोने में भेजे कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग ट्रेनों को गिराना चाहते हैं और डाकखानों को लूटना चाहते हैं। इस तरह का भ्रम उसने फैलाया था गांव के स्तर पर। सूचना विभाग के अधिकारी जो जिले के स्तर पर रहते हैं उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर इस तरह का भ्रम फैलाया। यह सूचना विभाग उस तरह का काम नहीं करता है जैसे कि दूसरे देशों में किया जाता है। मैंने बर्मा के सूचना विभाग को देखा है। अगर कोई आदमी बर्मा के पोर्ट पर उतरता है तो उसको सारी इत्तिला बर्मा के बारे में देते हैं और जानकारी कराते हैं। उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग यह काम करता है कि अगर कोई झांसी के रास्ते से घुसा या ऊपर से कोई घुसा या बिहार के रास्ते से घुसा तो उसके लिये भ्रम फैलाना शुरू कर देता है और उसको खुद भ्रम में डाल देता है।

एक बात मैं आपको और बतलाऊं और सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि सूचना अधिकारी कलेक्टर का पी०ए० होता है। जिले में जो सूचना अधिकारी रहता है वह कलेक्टर साहब के इशारे पर चलता है। एक सूचना अधिकारी से मैंने सूछा कि आखिर क्या बात है कि तुम कलेक्टर के साथ दौरे पर चलते हो, तो उसने बताया कि उनके आदेश का परिपालन करने के लिये हम साथ में रहते हैं। इसलिये यह जो सूचना अधिकारी जिलों में रखे गये हैं यह कलेक्टर के पी०ए० हैं। कलेक्टर साहब अगर कहीं पर दावत में गये तो उनकी भी विज्ञप्ति निकल गई। मालगुजारी की वसूली के लिये और शीतकालीन दौरों के लिये सूचना विभाग की विज्ञप्ति निकल जाती है। अगर कहीं पर ओला गिर गया और किसानों का नुकसान हो गया तो उसके लिये विज्ञप्ति नहीं निकलती है। इतनी बाढ़ आई मगर उसका लोगों को पता भी नहीं दिया। सीतापुर में बाढ़ आई, जौनपुर में बाढ़ आई और लखनऊ में भी आई पर लोगों को आगाह करने के लिये उस विभाग ने क्या किया ? बाढ़ आनी शुरू हो जाती है, लेकिन यह सूचना विभाग मौन बैठा रहता है। सीतापुर के कलेक्टर ने खबर भेजी कि लखनऊ में बाढ़ जोर से आनेवाली है। मगर सूचना विभाग ने कोई खबर यहां के नागरिकों को नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि सारा लखनऊ डूब गया। जो उसका असल काम है वह काम वह नहीं करना चाहता है और न वह काम लिया जाता है। भ्रम में डालने वाला काम करता है जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो।

हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी हो गई है, लेकिन अब भी अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां सूचना विभाग से जितने सरकुलर जिलों के अन्दर जाते हैं वह सब अंग्रेजी में जाते हैं। कुछ पत्रिकायें छपती हैं वह भी अंग्रेजी की छपती हैं। एक नाम "उत्तर प्रदेश" है। उनके ऊपर का जो कवर होता है वह बहुत बढ़िया कागज का होता है। और बहुत कीमती पेपर लगाया जाता है। उसकी भला क्या जरूरत है ? माननीय सदस्यों के पास "आजकल" उर्दू की पत्रिका भेजी जाती है। जो अंग्रेजी 'उत्तर प्रदेश' पत्रिका निकलती है वह भी माननीय सदस्यों के पास भेजी जाती है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके पास भी वह भेजी जाती है। मेरे पास भी वह पत्रिका गयी थी जब मैं जेल में था। उसमें लेख ऐसे निकलते हैं जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की दिलचस्पी रहती है। आर्केलाजी पर लेख निकलते हैं और पेन्टिग पर लेख निकलते हैं जिससे दिलचस्पी रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं।

फिल्म के बारे में सुझाव दूंगा कि उनकी शूटिंग बम्बई में न कराई जाय। फिल्म की शूटिंग होती है मंसूरी में या और ऊपर। इस तरह से उसके लिये बहुत रुपया व्यय किया जाता है। अगर फिल्म छुआ-छूत मिटाने के लिये बनाई जाय तो उसको जनता बहुत पसन्द करेगी। प्रीतिभोज खाने का उसमें नकशा दिखाया जाय तो उससे लाभ होगा। एक फिल्म इस तरह की बनी है उसको जनता बहुत पसन्द करती है। आज अपने प्रदेश में साम्प्रदायिकता बहुत छाई हुई है। मैं सूचना विभाग से पूछना चाहता हूं कि इस साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिये इस विभाग ने क्या काम किया ? पडरौना में, मुरादाबाद में और फिरोजाबाद में दंगे हुये, उनको मिटाने के लिये इसने क्या किया ?

सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्दर वेश्या का नाच हुआ। उसमें कुछ अधिकारी भी गये। एक मंत्री जी के यहां होने की बात थी, लेकिन बाद को वह जंगल में किया गया। मुझे सूचना है कि सिद्धेश्वरी बाई का नाच हुआ एक अरण्यपाल की अध्यक्षता में। अगर इस रुपये को पिछड़े इलाके के लोगों को दे दिया जाता तो उससे उनका कितना लाभ हो सकता था। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम न किये जाय जिससे इतने रुपये का व्यर्थ खर्च हो और सूचना अधिकारी जिलों के अन्दर कलेक्टर के पी०ए० न बनाये जायं। वह रचनात्मक कार्य करें और भ्रमात्मक कार्य न करें। इन शब्दों के साथ में गौरीशंकर राय जी के कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, सूचना विभाग का कार्य सरकार के कार्यों का प्रलाप है....

श्री अधिष्ठाता---आप ५ मिनट में भाषण समाप्त कर दें ।

***श्री बलदेवसिंह**---जो आपका आदेश होगा वैसा ही करूंगा । मुझे महाकवि तुलसी दास की एक चौपाई याद आ गयी ।

"सूर वीर करनी करें, कहि न जनावहिं आप।
विद्यमान रण पाय रिपु, कायर करहिं प्रलाप ।।"

जो कायर होते हैं वही अपने कार्यों का बार बार यशगान किया करते हैं और जो वीर होते हैं वे अपने कार्यों का वर्णन कभी नहीं करते । तो यह विभाग सरकार ने इसीलिये रखा है कि अपनी बुजदिली को, कमजोरी को छिपाते हुये, अपना प्रचार देश, प्रदेश में कराती रहे । मैं माननीय राजबिहारी सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं जिन्होंने खुले दिल से यह कहा कि इस विभाग की नीति ही कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने वाली होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इसी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही है और जो उन के विचार में था वह उन्होंने कहा । यदि वे इस बात को भी स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता कि वह किस गुट को प्रोत्साहन दे । अगर दो गुट रहें तो वह विभाग किस गुट की नीति गावे, इसका स्पष्टीकरण उन्हें कर देना चाहिये था ? क्योंकि कभी कोई हुकूमत में रह सकता है और कभी कोई । माननीय गौरीशंकर राय जी ने कहा कि इसके सारे साधन सरकार के प्रचार के लिये हैं ।

समाजवादी देशों में सूचना विभाग सदा सरकार के पास होता है और इसी कारण रूस को लोहपट वाला देश माना गया है । वहां उसने इस नीति का प्रतिपादन किया है । सूचना विभाग से देश और प्रदेश की कितनी उन्नति हो रही है इसका शायद सरकार को भान नहीं है । राजबिहारी जी ने यह कहा कि वे नैनीताल के फ्लोर पर जाकर गरीबों को सिनेमा दिखाते हैं, अपने दुसरे खेलों का प्रदर्शन करते हैं । तो लखनऊ या नैनीताल में वे भले ही गरीबों को कुछ दिखाते हों, मैं तो एक काश्तकार हूं, गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में तो आज तक सूचना विभाग की गाड़ी दिखायी नहीं दी । यह विभाग पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार गांवों में प्रदर्शन नहीं होते और इस प्रदेश के लाखों गांव ऐसे हैं कि जहां उनका पहुंचना नामुमकिन है । तो इस विभाग पर ४० लाख रुपया व्यय करना नितांत अनावश्यक है और इससे कोई लाभ प्रदेश का नहीं है और न यह सरकार की नीति का प्रतिपादन करता है । आज हम सरकार से जानना चाहते हैं कि चीनी पंचमांगियों का हमला अपने देश की सरहद पर बड़े जोरों से हो रहा है, क्या उसकी सूचना इस विभाग ने प्रदेश और देश के लोगों को दी? हमारी १२ हजार स्क्वायर मील जमीन उनके कब्जे में चली गयी, लेकिन सूचना विभाग बोला भी नहीं और न सरकार ही बोली । जब देश में हंगामा हुआ तो सरकार तो बोली, लेकिन यह सूचना विभाग खामोश ही रहा । तो यह मंत्रियों का खिलवाड़ है और उन के इशारे पर काम करता है । इससे देश को कोई फायदा नहीं हो सकता । इस सूचना विभाग की नीति, उसका काम ठीक नहीं है । माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा कि सूचना विभाग अपने कार्यों के, खेलों के प्रदर्शन में कठपुतली का खेल दिखाता है और उसमें वे राजा रानी का प्रदर्शन करते हैं ताकि लोगों में वही भावना जाग्रत हो जाय । तो मैं श्रीमन् यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस राजा रानी के खेल को बन्द कर दें । उसकी जगह पर वे नेता और नेत्री की तस्वीर दिखाया करें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, अंत में मैं चन्द बातों का जवाब देना चाहता हूं और कुछ बातें माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में रखता हूं । मैं इस बात का हामी नहीं हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि हर काम के लिये कमेटी बिठाई जाय, किन्तु सूचना विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना वहां पर धन का अपव्यय हो रहा है, कि उसके लिये में जरूर चाहता हूं कि एक छोटी सी कमेटी बिठाई जाय और वहां की सारी चीजों को देखा जाय। कुछ बातें इस प्रकार हैं ––

आपको मालूम होगा कि बनारस में एक भार्गव भूषण प्रेस है और इन्फार्मेशन विभाग का सारा कार्य वहीं से होता है। छपाई का जो रेट मार्केट में है, उससे कहीं ज्यादा दाम वहां पर दिये जाते हैं और वहीं से छपाई का सारा काम होता है। वह कमेटी इस बात को देखे कि मार्केट में छपाई का क्या रेट है और क्या जो कीमत भार्गव भूषण प्रेस को दी जाती है उससे सस्ती कीमत पर बाजार में दूसरी जगह वही कार्य हो सकता है या नहीं ?

दूसरे, आप फोटोग्राफ सेक्शन को लीजिये। वहां पर भी काफी मात्रा में धन का अपव्यय और भ्रष्टाचार है। आलोचना की दृष्टि से नहीं, किन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करायें कि मुख्य सचिव के यहां जो अभी शादी थी वहां पर सूचना विभाग के फोटोग्राफर्स ने कितने फोटो खींचे और कितना उस विभाग की सामग्री का इस्तेमाल हुआ। आपको मालूम है कि रील कितनी मंहगी आती है। अगर आप इस बात की जांच करायें कि कितनी रील खरीदी जाती हैं और कितने फोटो तैयार किये जाते हैं और कितने वास्तव में हैं, तो आपको सही बात का पता चल जायेगा। आज अधिकारियों के घरों में आपको ऐसे फोटो मिलेंगे जो सूचना विभाग द्वारा खींचे गये हैं। आप इन सब बातों की इन्क्वायरी करके आश्चर्य में पड़ जायेंगे। जो रीलें वहां मंगायी जाती हैं उनका हर प्रकार से दुरुपयोग होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक कमेटी बनाई जाय जो इस प्रकार के मामलों की जांच करे।

एक मामला और है जिसकी जांच होनी चाहिये। भार्गव भूषण प्रेस ने एक आफिसर के नाम व्यक्तिगत चेक भेजा। उदाहरण के लिये जैसे १० हजार के लिये किसी चीज का आर्डर दिया गया और छापी ५००० ही गयीं। तो इस तरह की बातें होती हैं। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि जिस अधिकारी ने इस चीज को प्वाइन्ट आउट किया उसी अधिकारी को शंट कर दिया गया और जो कुसूरवार थे, जिनको सजा मिलनी चाहिये थी, उनको सजा नहीं दी गयी। इस मामले की भी, मैं चाहता हूं, यह कमेटी जो बनाई जाय वह जांच करे।

इसके अलावा इस बात की भी जांच होनी चाहिये कि उस विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। जहां-जहां पर अनावश्यक कर्मचारी हैं, उनको हटा दिया जाय। मेरे पास प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है, उसमें काफी सिफारिशें हैं, मैं हर एक की तरफ सदन का ध्यान नहीं दिलाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी उन सिफारिशों को देखें और उन पर विचार करें। इसमें लिखा है कि २४ एडीशनल इन्फार्मेशन आफिसर्स हैं जिनमें १९ आफिसरों की जरूरत नहीं है। उनको क्यों नहीं हटाया जाता। इस किताब में एक ही नहीं, कितने ही सुझाव दिये हैं जिनसे लाखों रुपये की बचत हो सकती है। उन्होंने यह भी लिखा है कि सूचना सचिवालय और सूचना संचालकालय अलग अलग होने चाहिये और उन्हें यथा-सम्भव शीघ्रातिशीघ्र अलग करने के लिये कदम उठाना चाहिये तथा सूचना संचालकालय में विभागाध्यक्ष के कार्यालय के वेतन-क्रम लागू करने चाहिये। इससे उन्होंने बताया है कि करीब ८६,०४० रुपये से लेकर २,१९,१८० रुपये तक की बचत हो सकती है। मैं पूछता हूं कि आप बचत करते समय इन सिफारिशों को अपने सामने क्यों नहीं रखते ?

दूसरी सिफारिश यह भी की है कि पत्र सूचना शाखा के कार्यों के बारे में सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि समिति समझती है कि उसमें काफी कमी की जा सकती है। समिति की यह भी राय है कि इस समय जो स्टाफ है उसमें आधे की कमी कर दी जाय। इससे भी उन्होंने करीब २५,००० रुपये वार्षिक की बचत बताई है। इसमें यह भी सिफारिश है

[श्री गौरीशंकर राय]

कि समिति सूचना विभाग द्वारा विभागीय सचिवों तथा सूचना विभाग के पदाधिकारियों के लिये समाचार–पत्र तथा पत्रिकाओं का सरकारी रुपये से क्रय किया जाना उचित नहीं समझती है और इसको बन्द कर दिया जाय। तो इस तरह की कई सिफारिशें हैं। पढ़ने में तो समय लगेगा। सरकार उनको देखे और उन पर विचार करे। इस समिति की रिपोर्ट पढ़ने से लगता है .....

श्री अधिष्ठाता––आर्डर, आर्डर। आप कृपाकर जो सदन में प्रश्न उठे हैं उन्हीं का उत्तर दें।

श्री गौरीशंकर राय––मैं तो प्रश्न मंत्री जी के उत्तर के लिये उठा रहा हूं और जितने भी प्रश्न उठे हैं, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता। राजबिहारी सिंह जी ने कहा कि कला की गुण-ग्राहिता होनी चाहिये और वेश्याओं को आमंत्रित करना चाहिये। मेरी तो यह राय है कि कला और गुण-ग्राहिता के लिये हमें वेश्याओं के घरों तक नहीं जाना चाहिये और नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैं आपकी गुण-ग्राहिता की दाद देता हूं, लेकिन कृपया इस दरिद्र देश की इकानामी पर अधिक भार मत डालिये। आपने सिद्धेश्वरी देवी का नाम लिया, उनको आप अपने घर पर बुलाइये। बहुत से लोगों के पास पैसे हैं, वह खर्च करें, यह उनकी निजी चीज है।

उनका कहना है कि सूचना विभाग का अधिकारी "कांग्रेस-माइंडेड" होना चाहिये। मैं उनका समर्थन तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि राष्ट्रवादी होना चाहिये। जो आज का बेसिक कार्यक्रम है, सेक्युलरिज्म का, उसका प्रचार करने वाला होना चाहिये और समाजवाद, प्रजातंत्र, सहकारिता जो मूल तत्व हैं जिनके ऊपर आज की सरकार की नीति है उनकों सीमा का स्पष्टीकरण करने वाला होना चाहिये। मैं स्वयं नहीं जानता कि किस फांसी के तख्ते से उतार कर होने वाले शहीद को, कांग्रेस-माइंडेड को, उन्होंने रख दिया। कांग्रेस माइंडेड वह नहीं हुआ जो गुप्ता जी के पीछे-पीछे रहे, कांग्रेस-माइंडेड वह हुआ करते हैं जो राष्ट्रीय आन्दोलन में काम किये हों, जिनकी राष्ट्रीय भावनाएं परिपक्व हों––वह नहीं जिन्होने सरकारी धन का अपव्यय किया हो।

सूचना संचालक के लिये एक सम्पचुअरी अलावेंस की व्यवस्था है, जैसी कि राज्यपाल के साथ होती है। तनख्वाह से ज्यादा की वह रकम है। पांच आदमी उनके पास गये। आर्डर दिया कि चाय लाओ। डिपार्टमेंट की पिक-अप गयी, नाश्ता आया, सामान आया। जैसे कि मुगलिया जमाने में, बादशाहों के जमाने में दरबारियों के सामने हुआ करता था, वैसे ही हो रहा है। मेरे मित्र ज्यादा खर्चा चाहते हैं, लेकिन इस से अधिक देना इस गरीब देश के लिये उचित नहीं है।

कुछ और बातें कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर कहता हूं कि कृपया अपनी बर्थ-डेट पर पुस्तकों को न समर्पित करावें और सूचना विभाग से लोगों को इस सम्बन्ध में रुपया न दिलावइये। सूचना विभाग द्वारा रुपये का दुरुपयोग बहुत हो लिया। यह वेश्याओं के माध्यम से कला-स्नेह समाप्त कीजिये, वरना इस प्रकार प्रदेश के साथ अन्याय करेंगे। यज्ञ होता था, पंडितों की पूजा होती थी तो यह पूंजी की रकम भी सूचना विभाग से दी जाती रही है। ऐसी चीजें अब बन्द होनी चाहिये। पी० टी० आई० जैसी एजेंसीज की दूसरी बात है, लेकिन नयी-नयी एजेंसी खुल जाती हैं, गौरीशंकर राय एन्ड कम्पनी एक खुल गयी और उसको भी २० हजार रुपया दे दिया, इस प्रकार से दो-चार को फ्लैटर करने के लिये अनुदानों में रुपया देकर रुपये का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये।

आज हम देखते हैं कि फोटोग्राफी के सारे सामान का दुरुपयोग होता है। जितनी रील्स आयी हैं सब बाबा आदम के जमाने की। जब हम लड़के थे तो इस प्रकार की रीलें

देखा करते थे कि ताऊन से कैसे बचो, हैजे से कैसे बचो। वैसे ही आज की हैं। कहीं भी कोआपरेटिव मूवमेंट, सेक्युलर मूवमेंट को, देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रस्थापन करने वाली कोई चीज दिखाई नहीं देती। इन रीलों के देखने से लगता है कि हमारी सरकार के मस्तिष्क में सफाई नहीं है कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या बनाना चाहती है। वह तो जवाहरलाल नेहरू के डंडे के प्रेशेर में समाजवाद को मानते हैं।

अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सूचना विभाग द्वारा चीन का प्रचार हो रहा था, डा० सम्पूर्णानन्द के जमाने में। चीन के साथ हमारा मुकाबला और उसी का प्रचार करना! उनसे जब कहा गया तो उन्होंने मना किया। ठीक से देखना चाहिये कि राष्ट्रवादी तत्व इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या नहीं। मैं यह मानता हूं कि इनफार्मेशन डिपार्टमेंट वालों का पंचमांगीय दृष्टिकोण तो नहीं है, लेकिन आज जब हम संकट-काल में हैं तो इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय तत्वों का होना बड़ा आवश्यक है। मैं श्री प्रतापसिंह जी से सहमत हूं कि राज्य-भक्त कर्मचारी नहीं होने चाहिये, देश-भक्त होने चाहिये और देश की मान्यताओं को ऊंचा करने वाले होने चाहिये।

राजबिहारीसिंह जी ने कहा है कि सूचना विभाग अब ग्रुप का काम करता है। वे मुख्य-मंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। मैं इतनी ही तरदीद करता हूं कि "अब" शब्द हटा दिया जाये चूंकि पहले भी करता था।

मैंने कहा कि पुरानी सड़ी-गली फिल्में हटाई जानी चाहिये।

सूचना विभाग को स्वस्थ बनाने के लिये मैं फिर कहूंगा कि मंत्री जी एक समिति बनावें, ताकि अपव्यय को वह देखे। जिलों में कहीं मंत्री, उप-मंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जाते हैं तो भले ही वह कांग्रेस का काम करने जाते हों या कैसा ही लेक्चर देने जाते हों, इनफार्मेशन की जीप उनका कार्य पूरा कराती है। लाउडस्पीकर भी उसका इस्तेमाल होता है। अगर मंत्री जी ने कहा कि यह गलत है तो मैं उनको १० सबूत देने के लिये तैयार हूं। इनफर्मेशन अफसर का काम जिले के कलेक्टर के घर दौड़कर प्रेस वालों की खातिर करना और अपने तरीके की न्यूज निकलवाना हो गया है। मंत्रियों के साथ जर्नलिस्ट या अखबारनवीस जाता है उनकी स्पेशल पब्लिसिटी करने के लिये। यह किस कोड में है? सूचना निदेशालय के अधिकारियों के लिये एक कोड आफ कन्डक्ट होना चाहिये। रोज सुना जाता है कि सूचना वाले किसी होटल में पिट गये, यहां झंझट हो गया, वहां झंझट हो गया।

मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन अपव्यय को रोकने के लिये हमारे कटौती के प्रस्ताव को मानेगा।

*सूचना उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--श्रीमन्, मैं उन तमाम सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने आज की बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने जो राय जाहिर की या सुझाव दिये, उनसे हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा होता यदि बोलते वक्त वह एक बात का ध्यान रखते जो मुख्य मंत्री जी ने शुरू ही में इस अनुदान को पेश करते वक्त कही थी कि आज के जमाने में, खासकर जब प्लानिंग का काम हो रहा है, हर सरकार के लिये यह जरूरी है कि एक ऐसी एजेंसी हो जिसके जरिये सरकार के कामों की, लक्ष्यों की और योजनाओं की जानकारी जनता को होती रहे, ताकि उनकी पूर्ति के लिये जनता का सहयोग हासिल हो सके। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार यह कोशिश करेगी कि सूचना विभाग इन्हीं लाइन पर अपना काम चलावे। बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि सूचना विभाग कैसे काम करे और मुख्य मंत्री जी ने जो इस सम्बन्ध में कहा, उनमें बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रऊफ जाफरी]

अन्तर नहीं है। जहां एक तरफ यह है कि सूचना विभाग जनता के सहयोग के लिये सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाता रहे, दूसरी तरफ यह बात भी है कि डैमोक्रेटिक सैट-अप में जब तक ऐसी जनता न हो जो चीजों को जानती हो और समझती हो तब तक वह सही वक्त पर राय कायम नहीं कर सकेगी और इलैक्शन के वक्त भी सही राय कायम नहीं हो सकेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि फलां साल में ५४ हजार या .....

श्री प्रतापसिंह—११ लाख बतलाया और एस्टीमेट्स कमेटी के पेज को कोट किया।

श्री रऊफ जाफरी—ठीक है। मैं अपने को सही कर लेता हूं। यह कहा था कि इलैक्शन के जमाने में वे इतने क्यों छप गये ?

श्री प्रतापसिंह—मैंने यह कहा कि ११ लाख रुपये की वसूली नहीं हुई। मैं कन्क्रीट मिसाल देता हूं और उनका जवाब चाहता हूं।

श्री रऊफ जाफरी—आपने यह भी कहा था कि एक बारगी उस सन् में क्यों इतने ज्यादा छापे गये ? मैंने नोट किया है। बहरसूरत, मेरे कहने का मतलब यह था कि जनता की जानकारीपे को बढ़ाने की भी जरूरत है जिसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि चीजों को ज्यादा तादाद में छाप कर जनता तक पहुंचाया जाय। प्रचार के कार्यों में यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि हमारी प्रणाली, तरीका, सही है या नहीं। लेकिन अगर हम यह देखने लगें कि इससे हमें कितना फायदा या नुकसान हुआ रुपये-पैसे के हिसाब से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रचार ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम दिखला सकें कि दो लाख का खर्चा हुआ और ढाई लाख की आमदनी हुई।

यह भी कहा गया कि कंटिंजेंसी में बहुत बड़ी रकम दिखलाई गई है। सूचना विभाग के कार्यों में यह जरूरी होता है कि कंटिंजेंसी की मद ज्यादा रहे। वह काम ही ऐसा है। यह दूसरी बात है कि किसी चीज की, जैसे जीप की, खरीदारी दिखला दी गई हो, लेकिन बाकी काम उस हेड में आते हैं। यह तो मैंने जनरल तरीके से कहा।

अब मैं कुछ एतराजात के बारे में कहना चाहता हूं। वर्क-लोड के लिये कहा गया कि उसे देखा जाय कि कितना है और कितने स्टाफ की जरूरत है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दो लाख रुपये की बचत तो अभी दिखाई गई है, जैसे पिछले साल ४२ लाख का था और इस साल ४० लाख है। लेकिन अभी इस बात पर विचार किया जा रहा है कि किस-किस जगह से उसमें बचत हो सकती है, क्या वर्क-लोड हो, कितने अफसर हों, किस तरीके पर वे काम करें। इन सब बातों पर विचार हो रहा है। कोशिश इस बात की होगी कि हम जल्दी फैसला करलें।

श्री गौरीशंकर राय—बचत नहीं हुई है। वोट आन एकाउन्ट में ३ लाख ले चुके हैं।

श्री रऊफ जाफरी—पहले हिन्दी समिति का प्रावीजन एजूकेशन के बजट में होता था। अब वह ३ लाख का इस डिपार्टमेंट में ले लिया गया है। इस तरह से वह ४३ या ४४ लाख का है। इसे हटा दिया जाय तो वह बचत २ लाख की है। इस बात को महसूस किया जा रहा है और आज ही नहीं, पहले भी कई दफा मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर, जिनमें सूचना विभाग भी शामिल है, वह यह देख रहे हैं उसमें कितने आदमियों की जरूरत है, क्या वर्क-लोड होना चाहिये, क्या है, और बाकी आदमियों को

कैसे एबजार्ब किया जाय। थर्ड प्लान हमारा शुरू हो रहा है, आज से तो उसकी तारीख भी आ गई। उसमें बहुत से आदमियों की जरूरत होगी। तो यह देखा जायगा कि कहां आदमी लगाये जा सकते हैं।

एक यह भी एतराज हुआ कि सूचना विभाग का एक ही काम है कि वह जहां मंत्री लोग जावें वहां पहुंचे, उनकी तस्वीर ले और पब्लिसिटी करे, या यह विभाग कांग्रेस को पब्लिसिटी करता है। मंत्री जब किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं तो वे पब्लिक के काम से ही जाते हैं। आम तरीके पर वे जाते हैं तो किसी डेवलपमेंट के काम के लिये या ऐसे ही जनता के काम के लिये जाते हैं। जब मंत्री लोग कहीं जाते हैं और सूचना विभाग उनको कवर करता है तो वह ऐसी जगह उनको कवर करता है जहां वे किसी पब्लिक फंक्शन पर जाते हैं। आमतौर पर वह कोई डेवलपमेंट का काम होता है और वहां उसके बारे में ही स्पीचेज होती हैं अथवा बचत के सिलसिले में या वालेन्टरी लेबर के सिलसिले में वहां कोई बात होती है। लेकिन अगर कोई मंत्री एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है या सोने के लिये जाता है तो सूचना विभाग उसको कवर नहीं करता। इसलिये सूचना विभाग जो पब्लिसिटी करता है वह मंत्रियों की नहीं करता है बल्कि पब्लिक की करता है।

यह भी कहा गया कि सूचना विभाग कांग्रेस के जल्सों में जाता है। यह बात भी सही है। क्योंकि सरकारी पालिसी से संबंधित और डेवलपमेंट के कामों से संबंधित जो बहुत से जल्से होते हैं उनमें कांग्रेस के लोग ही ज्यादा सहयोग देते हैं, उनको वे ही आयोजित करते हैं, वे मीटिंग्स आर्गेनाईज करते हैं और उनको बुलाते हैं, उसकी बहुत दिनों पहले से तारीख मुकर्रिर होती है। क्योंकि वहां बहुत जनता इक्ट्ठा होने वाली होती है इसलिये वह एक बहुत अच्छा मौका होता है डेवलपमेंट के कामों का प्रचार करने का। अगर दूसरे दल वाले भी ऐसे कामों के लिये जल्से करें और सूचना विभाग में संबंध स्थापित करें तो सूचना विभाग उनके जल्सों में भी जायगा, क्योंकि सूचना विभाग तो सरकारी स्कीम्स और सरकारी नीति का ही प्रचार जनता में करना चाहता है।

इस पर भी नाराजगी प्रकट की गयी कि सूचना विभाग कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करता है। यह सबको ही मालूम है कि यहां जो सरकार बनती है वह बहुमत दल की बनती है, जिसकी चुनाव से पहले एक नीति होती है, उसका एक प्लेटफार्म होता, उसका एक घोषणापत्र होता है, जिसको कबूल करके जनता उसको सरकार बनाने के लिये मेजोरिटी में चुन कर भेजती है। जब उस दल की सरकार बनती है तो जाहिर है कि वही सरकार की नीति होती है और उसका प्रचार ही उसको जनता में करना चाहिये। लिहाजा जो कुछ इस बारे में कहा गया वह शायद गलत समझने की वजह से कहा गया।

एक बात यह भी कही गयी कि सूचना विभाग अखबारों को आर्टिकिल देकर और लेखकों को पैसा देकर करप्ट करता है। यह मेरी समझ में नहीं आया। बहरसूरत अगर किसी चीज का इश्तहार देना है तो वह दिया ही जायगा। अगर हम किसी चीज को अखबार में निकालना चाहें और उनका मीडियम इस्तेमाल करना चाहें तो सिवा इसके और क्या तरीका है कि हम उनको इश्तहार दें? उसके लिये भी गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं कि किन-किन अखबारों को दे सकते हैं। इसमें यह भी है कि जो इतने दिन से चल रहा हो, और जिसका सर्क्युलेशन इतना हो, तो केवल ऐसे ही अखाबरों को इश्तहार देते हैं। आप यह भी देखेंगे कि अगर कोई अखबार हमारी राष्ट्रीय नीति के खिलाफ चलने वाला होता है तो उसको नहीं देते हैं। तो इश्तहार एक नियम की पाबन्दी के साथ अखबारों को दिया जाता है, उसके लिये कोई करप्शन की बात नहीं है।

अगर हम यह न करें, इश्तहार अखबारों को न दें तो ऐसी और कोई बात समझ में नहीं आती कि किस सूरत से हम अपने काम को आगे बढ़ावें।

[श्री रऊफ जाफरी]

इसी तरह से लेखकों की भी बात है। कहा जाता है कि ८-१० लेखक ही हैं जिनके लेख छपा करते हैं लेकिन उस वक्त यह नहीं मालूम किया गया कि कितनी छपी हुई किताबों पर सूचना विभाग की तरफ से कितने लेखकों को प्राइज दिया गया है। इस बात को आपने नहीं देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छोटे लेखक हैं, उनको भी मदद करनी होती है। अब यह कहना कि जिनके लेख उसके अखबारों में निकलते हैं उन्हीं की मदद सूचना विभाग करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यह दूसरी बात है कि सरकार के हर काम को शक व शुबहा की दृष्टि से देखा जाय और उसमें मोटिव को लाया जाय। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सूचना विभाग जितने काम करता है उसमें किसी किस्म के सुधार की गुंजायश नहीं है, उसमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजायश है और उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान है और सुधार करने की पूरी कोशिश की जा सकती है।

किसी बात का ठीक-ठीक अन्दाजा करने के लिये यह जरूरी है और खास कर जब हम सदन में हों, कि बहुत मुबालगे से काम न लिया जाय। एक सदस्य ने इनफार्मेशन आफिसर के लिये कहा कि जब वे देहातों में पहुंचते हैं तो उन्हें कोई पूछता तक नहीं और उनके पास कोई आदमी नहीं आता है। हो सकता है कि उनका तजुर्बा ऐसा रहा हो कि ऐसा कभी हुआ हो लेकिन ऐसा तभी हुआ होगा जब कि इनफार्मेशन आफिसर अपने किसी निजी काम से वहां गया होगा। ऐसी हालत में तो मजमा इकट्ठा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आमतरीके से इनफार्मेशन आफिसर जब देहात में पहुंचते हैं तो उनका पहले से प्रोग्राम तय होता है और यह निश्चित रहता है कि फलां जगह मीटिंग होगी या मेले वगैरह में पहुंचते हैं तो वहां भी मैंने देखा है कि लोग काफी तादाद में उनकी मीटिंग में आते हैं। मैंने खुद भी मेलों में देखा है, क्योंकि मैं हमेशा सरकार में तो रहा नहीं हूं, एम० एल० ए० रहा हूं, वैसे भी रहा हूं, जब कहीं सूचना विभाग की ओर से मीटिंग होती है या कोई फिल्म शो होने को होता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होत हैं। इसलिये यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सूचना आफिसर क पहुंचन पर लोग नहीं आते।

जहां तक पब्लिकेशन के सिलसिले की बात है यह बात कही गयी कि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनके कार्य को इकट्ठा किया जा सकता है। जहां तक १३ विभागों में से ९ विभाग के कार्य को एक साथ कर देने की बात है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले कहा था यह बात सरकार के विचाराधीन है और यह बात सोची जा रही है कि जहां तक मुमकिन हो उनके प्रचार करने के कार्य को इकट्ठा कर लिया जाय और इस सूरत से बचत की जाय। इस किस्म के बहुत से सुझाव आये हैं और माननीय ऊदल जी ने भी बहुत से सुझाव दिये कि किस जगह कितने बिल क्लार्क हैं, और किस जगह क्या कमी की जा सकती है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो केवल पर्चे का ही काम करते हैं, तो ये सब बातें विचाराधीन हैं और इसी आधार पर माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि पहले दो लाख को देख लिया जाय और जब ये सब बातें हो जायेंगी तो उम्मीद है कि काफी बचत होगी। बचत के माने यह नहीं हैं कि सूचना विभाग के काम को घटा दिया जाय या कम कर दिया जाय। इसके काम को बढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन जो काम उसको करना चाहिये वही काम करे और इस वक्त कम से कम जो इकोनामी हम करते हैं उससे काम में अपनी जगह पर किसी किस्म की कमी नहीं आनी चाहिये। यही दृष्टिकोण रहेगा और इसी हिसाब से इन सब बातों को देखा जायगा। मैं ने पहले ही अर्ज किया कि जो कुछ कहा गया है और जो सरकार की नीति है उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। हमारा आप का नजरिया एक ही है, इसलिये जो भी सुझाव दिये गये हैं उन सब पर यह सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। वह हम कर भी रहे हैं और हमारा आगे भी इरादा है कि जो कुछ भी राय

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

सदन में जाहिर की गई है उसको नजर के सामने रखते हुये, अपने काम को आगे बढ़ाते हुये और सूचना विभाग का असल मकसद पूरा करते हुये जो भी एकानामी हो सकेगी वह की जायगी। इन चन्द शब्दों के साथ मेरी गुजारिश है कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, केवल एक प्रश्न पूछ लूं कि इस साम्प्रदायिक तनाव को दूर करने के लिये यह सूचना विभाग क्या कर रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—बहुत-सी चीजें होती है जिनको बार-बार उठाने से, उन का जिक्र बार-बार करने से, जिन को ज्यादा अहमियत देने से वह और बढ़ जाती हैं। जैसे चोरियों और डकैतियों आदि के विषय में रोज यहां एक न एक सवाल आ जाता है। इससे लोगों में एक तरह का डर, एक तरह का हैजान और सेन्सेशन सा फैल जाता है कि जैसे कोई सेफ्टी नहीं है जान माल की, इस कदर डाके हो रहे हैं कि जिन्दगी महफूज नहीं है। एक, दो जगह की बात कभी-कभी उठ जाय तो सोचने की बात हो सकती है लेकिन बार-बार बात उठाने से बात बजाय बनने के और बिगड़ती है। हमारा सब का नजरिया एक ही है कि आपस में एकता बढ़े और उसके लिये बराबर यह सरकार और इस का विभाग चाहे कोई भी हो कोशिश करता है। यही हमारी नीति है और रहेगी।

श्री गौरीशंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत-सी बातों का मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जायं, मैं आप को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। फिजूलखर्ची पर रोक लगाना तथा अनावश्यक पत्रों को न छपने पर विचार करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ४०,६४,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३—समाज कल्याण

***शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)**—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३–समाज कल्याण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ५०,५९,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३—समाज कल्याण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ५०,५९,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—शिक्षा

***आचार्य जुगलकिशोर**—उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—शिक्षा के अतर्न्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १९,३६,०५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य जुगल किशोर]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान की स्वीकृति के लिये माननीय सदस्यों के सामने रखते हुये मैं आप के द्वारा जो इस विषय की बजट में विशेष बातें हैं उन की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है जिसका यह बजट शिक्षा विभाग की तरफ से पेश किया गया है । इस बजट में १९ करोड़ ३६ लाख ५ हजार २०० रुपया रखा गया है, जिसमें ४ करोड़ २६ लाख ३५ हजार ९०० रुपया प्लान स्कीम्स के संबंध में है । यह सारी रकम जो इस अनुदान में मांगी गई है यह हमारे स्टेट के पूरे बजट का १३.७ परसेन्ट है । इसके अलावा जो शिक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जा रहा है, उसके अलावा भी अन्य विभागों द्वारा भी शिक्षा के संबंध में कुछ खर्च किया जा रहा है । वह सब मिला कर करीब २० करोड़ ८७ लाख ४० हजार ८०० रुपया होता है जो कि हमारे सारे बजट का १८ परसेन्ट है । यों तो कहने के लिये यह बहुत अच्छी रकम है लेकिन अन्य देशों के मुकाबिले में कुछ कम अवश्य है । फिर भी जैसी हमारी देश की परिस्थिति है उसको देखते हुये मैं समझता हूं कि जितना भी इस विभाग को दिया जा सकता है वह दिया गया है । हमारी बहुत सी दिक्कतें हैं जैसा कि माननीय सदस्यों का मालूम भी होगा । प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के द्वारा, हायर सेकेन्ड्री स्कूल के टीचर्स के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा हमारे पास बहुत-सी मांगें आती हैं लेकिन धन के अभाव के कारण हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं । इस बात का हमें बहुत खेद है ।

इस बात के कहने में मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश में गांव-गांव में आज शिक्षा के लिये काफी दिलचस्पी है, काफी मांग है और जगह-जगह स्कूल खुल रहें हैं । बिना इस बात की फिक्र किये हुये कि उनको अनुदान प्राप्त होगा या नहीं होगा अपनी हिम्मत पर लोग स्कूल खोल रहें हैं । ऐसे-ऐसे स्कूल मुझे भी गांवों में कई जगह देखने को मिले हैं । मुझे बड़ी खुशी हुई कि किस हिम्मत के साथ ऐसे स्कूल उन्होंने कायम किये हैं और चला रहे हैं । यह उत्साह की बात है और भविष्य के लिये हमारे दिल में एक भावना इससे पैदा होती है कि हमारा देश शिक्षा के संबंध में और अन्य कामों के संबंध में आगे बढ़ने के लिये तैयार है । साधनों की कमी के कारण दुर्भाग्यवश वह उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा है जितनी की हम चाहते हैं ।

यह जो धनराशि की मांग की गई है उसका विभिन्न कार्यों में, शिक्षा के विभिन्न स्तरों में किस प्रकार विभाजन होगा, यद्यपि बजट की जो कापियां मिली हैं माननीय सदस्यों ने उसमें पढ़ा होगा, तब भी संक्षेप में उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि मालूम हो जाय कि यह रुपया किस तरह से खर्च किया जायगा । यूनिवर्सिटीज और हायर एजूकेशन के लिये नार्मल बजट में १ करोड़ ५६ लाख ३८ हजार २०० रुपया है और प्लान की मद में २४ लाख ३३ हजार २०० रुपया है । कुल रुपया १ करोड़ ८० लाख ७१ हजार ४०० है । यह कुल बजट का ८.० परसेन्ट है। सेकेंडरी एजूकेशन पर नार्मल खर्चा ४ करोड़ १५ लाख ९२ हजार ५०० रुपया है और प्लान में ६४ लाख ९४ हजार २०० । कुल है ४ करोड़ ८० लाख ८६ हजार ७०० । यह टोटल बजट का २२.५ परसेन्ट है । अब मैं खास तौर से आता हूं प्राइमरी एजूकेशन पर । इसके लिये नार्मल बजट ७,५१,५८,००० रुपया है । प्लान में २,४८,९९,६०० रुपया है । कुल १०,००,५७,६०० रुपया है और सारे बजट के अनुपात में ४०.४ परसेंट है । यह बात जाहिर करती है कि गवर्नमेंट प्राइमरी एजूकेशन पर कितना महत्व देती है और उसे आगे बढ़ाने में कितनी कोशिश कर रही है । सोशल एजूकेशन में जो विभाग हैं उसमें मिसलेनियस विभागों के ऊपर करीबन ४ करोड़ ७४ लाख रुपया खर्च होता है । बाकी छोटी-छोटी मदें हैं उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ९ लाख ५१ हजार रुपया रूरल अपलिफ्ट पर है । १९४६-४७ में इस विभाग की शिक्षा के लिये कुल ३करोड़ २३लाख रुपये मिलते थे जो उस वक्त के बजट के अनुपात में १० परसेंट था । १९५८-५९ में १६ करोड़ यानी १४.२ परसेंटट था । १९५९-६० में १६ करोड़ और १९६०-६१ में १७ करोड़ था यानी १२ परसेंट था । १९६१-६२ में १९ करोड़ रुपया है और कुल बजट का १३.७ परसेंट है ।

अब थर्ड प्लान में क्या हमने लक्ष्य रखे हैं कि उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमने प्रथम वर्ष में इस योजना में क्या-क्या चीज रखी हैं उसको मैं बतलाना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूलों में जिनमें लड़के और लड़कियां पढ़ती है उस संबंध में हमारा लक्ष्य है कि ५ वर्ष में १६,५०० स्कूल खोले जाय। इस वित्तीय वर्ष में रूरल एरियाज में हम २,५०० प्राइमरी स्कूल लड़कों के लिये और १,००० लड़कियों के लिये खोलेंगे। शहरों में १८० स्कूल लड़कों के लिये और २९० स्कूल लड़कियों के लिये खोले जायेंगे।

इस तरफ भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आमतौर से यह बड़ी शिकायत है और कुछ हद तक वह सही शिकायत है कि हमारे यहां जो ६ वर्ष से ले कर ११ वर्ष तक के बच्चे हैं जो स्कूलों में जा सकते हैं उनकी संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६५ लाख हो सकेगी और इस वर्ष १९६१-६२ में ४३ लाख हो जायगी। इसमें बालक होंगे ४४ लाख और बालिकायें होंगी २१ लाख और इस वर्ष ३३ लाख लड़के और १० लाख लड़कियां होंगी। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक केवल ६२ फीसदी बच्चे स्कूल जा सकेंगे जब कि यह लक्ष्य है कि ८० फीसदी कम से कम जायं और बालकों के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह लक्ष्य है और ऐसी योजना उन्होंने बनाई है कि १०० फीसदी हमारे बच्चे जा सकें। परन्तु साधनों की कमी के कारण और अर्थ के अभाव के कारण तथा टीचरों के काफी संख्या में न होने के कारण, खासतौर से लड़कियों को पढ़ाने वाले टीचरों की कमी के कारण, हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। फिर भी मैं समझता हूं कि पिछले दस साल के बीच में जो प्रगति हुई है वह काफी संतोषजनक है।

श्री प्रतापसिंह—एम आफ एजुकेशन पर भी कुछ बोलिये।

आचार्य जुगलकिशोर—वह मैं आपको बतलाऊंगा। सीनियर बेसिक स्कूल जिनको कि हम जूनियर स्कूल कहते हैं जो ५ वीं से ८ वीं जमात तक होते हैं उसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि हम ४२ सरकारी स्कूल खोलें लड़कों के और ६० लड़कियों के। १६५ प्राइवेट स्कूल्स को अनुदान दिया जायगा। इसके अलावा जो मौजूदा ८५५ स्कूल हैं जिनको अनुदान नहीं दिया जाता है उनको अनुदान दिया जायगा। इस वर्ष भी ८ स्कूल लड़कों के लिये खोले जाये और १२ लड़कियों के लिये। इसके अलावा ३३ प्राइवेट स्कूल लड़कियों के लिये खोले जायेंगे और १६० स्कूल ऐसे होंगे जिनको अनुदान दिया जायगा। यह बताने में शायद ज्यादा समय लग जायगा कि कितनी संख्या में बच्चे दाखिल होंगे, अगर आप चाहेंगे तो बाद में बतला दूंगा।

अब मैं आपका ध्यान कुछ उन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनके ऊपर सरकार इस अनुदान द्वारा खर्च करना चाहती है। इसमें जिन क्लार्क्स, टीचर्स और पियन्स को १०० रुपये या उससे कम मिलते हैं उनको एडिशनल डियरनेस एलाउन्स देने की व्यवस्था है। इसके अलावा ५ वर्षों में लड़कियों को ९८५ वजीफे भी दिये जायेंगे जिसमें से इस वर्ष ३९५ को दिये जायेंगे। लड़कियों को किताबों की सहायता के लिये ७८८ वजीफे पांच वर्ष में दिये जायेंगे जिसमें से इस साल ३९४ दिये जायेंगे। इसके अलावा लड़कियों की संस्थाओं में उनके लिये पांच साल में १०० कामन रूम्स बनाये जायंगे जिसमें से २० इस साल बनेंगे। इसी तरह दोनों के लिये मेरिट स्कालरशिप पांच साल में ९,०३२ दिये जायेंगे जिसमें से ३,८४४ इस वर्ष दिये जायेंगे। इसी तरह से मेरिट बुक एड पांच साल में ७,००० बालक-बालिकाओं को दी जायगी जिसमें से इस साल ३,५०२ को दी जायगी। जो अन्डर डेवलप्ड एरियाज कहलाते हैं वहां ५०० स्कूलों को विशेष अनुदान दिया जायगा। इसका मतलब यह होगा कि वहां पर कोई डेफिसिट नहीं रहेगा। जो हाई स्कूल्स में लायब्रेरीज हैं उनकी सहायता के लिये १ हजार लायब्रेरीज को सहायता दी जायगी पांच साल में और इस वर्ष ९२ को दी जायगी। इसी तरह पांच साल में सेकेंड्री स्कूल्स में साइंस की टीचिंग के लिये ४२५ लड़कों के स्कूलों को और १३० लड़कियों के स्कूलोंको सहायता दी जाय ी और इस वर्ष ८५ लड़कों के स्कूलों के लिये और २६ लड़कियों के स्कूलों के लिये दी जायगी।

[आचार्य जुगलकिशोर]

बिल्डिंग ग्रांट जो नान-गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें ५०० को पांच वर्ष में दी जायगी और ४० को इस साल दी जायगी । बिल्डिंग के लिये नान-गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस को पांच साल में १,४५४ को दी जायगी और इस साल १९४ को दी जायगी। इस तरह से नान-गवर्नमेंट स्कूलों के लिये बसेज आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये गवर्नमेंट की कोशिश है, जहां-जहां पर असुविधायें हैं और खास करके लड़कियों के रहने के लिये होस्टल और टीचर्स के लिये क्वार्टर्स रूरल एरिया में बनाने के लिये गवर्नमेंट को कोशिश है ताकि देहाती हल्के में लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ सके और ज्यादा संख्या में अध्यापिकाएं गांवों में जा सकें । इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा के लिये लाइब्रेरी वगैरा की बिल्डिंग के लिये सरकार की कोशिश है ।

गवर्नमेंट की तरफ से एक नये डिग्री कालेज के खोलने की बात है । गवर्नमेंट की तरफ से काशी विद्यापीठ को रेगलर अनुदान की लिस्ट पर लाया गया है । नये गवर्नमेंट नार्मल स्कूल लड़कों के लिये १९ और लड़कियों के लिये ७ पांच वर्षों में और इस साल ३ लड़कों के लिये और २ लड़कियों के लिये खोलने का विचार है। एक संस्था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है जिसके जरिये ५ साल में ८,१०० लड़कियों को ट्रेनिंग दी जायगी और इस साल ९०० लड़कियों को ट्रेनिंग दी जायगी। इसी तरह से हमारे यहां एक सैनिक स्कूल खोला गया है जिसमें २,५०० केडेट्स ट्रेन किये जायंगे और इस साल ५०० केडेट्सट ट्रेन किये जायेंगे यह, फिगर्स मैंने तृतीय पंचवर्षीय योजना में से सदन के सामने पेश की हैं ।

बहुत-सी योजनाओं को पूरा करने के लिये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यद्यपि धन का अभाव है तब भी हमारी कोशिश है कि जितनी ज्यादा संख्या में जितनी ज्यादा सहायता हम दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे । लेकिन खास तौर से बेसिक एजूकेशन के लिये और प्राइमरी शिक्षा के लिये हम बहुत चिंतित हैं । हम चाहते हैं कि गांव-गांव में बेसिक एजूकेशन अच्छी तरह से चले । लेकिन बहुत-सी शिकायतें आती हैं । सम्भव है सदस्यगण भी जाहिर करेंगे । हमारे पास आती हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं करते हैं । इनके बहुत से कारण हैं उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन सब से बड़ा कारण यह है कि उनके ऊपर निरीक्षण उतनी सख्ती से नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिये । सम्भव है टीचर्स की पे कम है इसलिये वह दिलचस्पी कम लेते हों । तब भी मैं समझता हूं कि बेसिक एजूकेशन के स्तर को ऊंचा करने के लिये इस बात की आवश्यकता है, यद्यपि हम ने अभी तक निश्चय नहीं किया है लेकिन विचार कर रहें हैं कि एक बेसिक एजूकेशन बोर्ड बनायें जिसका उद्देश्य होगा कि इसकी तरक्की कैसे हो, इसकी कमियां कैसे दूर की जायं और कैसे इसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाय। एक तो प्रपोजल यह है । दूसरा यह कि एक छोटी-सी कमेटी बनायें जो आज की समस्याओं के ऊपर विचार करके सरकार को सिफारिश करे । मैं समझता हूं कि इस तरह से जो बेसिक एजूकेशन बोर्ड बनेगा और कमेटी के सुझावों द्वारा जो विशेषज्ञों की होगी अवश्य बेसिक एजूकेशन की खामियों को दूर करने में हम सफल होंगे ।

मैंने पहले ही सदस्यों का ध्यान दिलाया था कि गवर्नमेंट बहुत फिक्रमन्द है कि हमारी कन्याओं की शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कमेटी कब तक बनेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस पर विचार कर रहे हैं । अभी तक अन्तिम निश्चय नहीं किया है । मैंने बहुत हद तक मश्विरा किया है और मैं समझता हूं कि इस तरह की कमेटी बनेगी तो उपयोगी साबित होगी और अगर जल्दी से जल्दी बनने की बात होगी तो जल्दी ही बनेगी ।

श्री मदन पांडेय---इस मंत्रिमंडल के काल में बन जायगी या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं माननीय सदस्यों का ध्यान द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर दिलाना चाहता हूं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई । इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में हमने करीब १४ करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया है । हमारी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान में १० लाख और बालक और करीबन तीन लाख बालिकायें ज्यादा तादाद में संस्थाओं में जाने लगी हैं । प्राइमरी स्कूल हमारे प्रदेश मे ६ हजार ७५ खुले हैं । बिल्डिग की मरम्मत के लिये १,००० रुपये फी स्कूल २ हजार ३ सौ ३८ स्कूलों को सहायता दी गयी है । फी म्यूनिसिपल बोर्ड को १० हजार के हिसाब से ८० म्यूनिसिपल बोर्ड स को रुपया दिया गया बिल्डिग बनाने के लिये । हर एक बेसिक स्कूल की बेसिक एजूकेशन की सहोयता के लिये सामग्री और पुस्तकों के लिये १०० रुपया अनुदान दिया जाता है । इस तरह से २४ लाख या इससे कुछ ज्यादा दिया जाता है । १ से ६ कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने पर १ करोड़ रुपया खर्च होता है । मैं यह कहना भूल गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह भी निश्चित किया गया है कि जो हमारी बालिकायें गांव में रहती हैं, १५ हजार से ज्यादा जिस कस्बें की आबादी है वहां पर आठवीं जमात तक की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी । इस पांच वर्ष के दौरान में २ हजार रुपये के हिसाब से एक हजार ३४२ क्वार्टर्स गांवों में बने हैं । ५९ नार्मल स्कूल खुले हैं । इसी तरह से सीनियर बेसिक स्टेज यानी ६ठी से आठवीं जमात तक ८ लाख ६० हजार बालक और बालिकायें हैं । उनकी एज के लिहाज से यानी ११ से १५ वर्ष तक १८ परसेंट बालक और बालिकायें पढ़ते हैं, यद्यपि बालकों की संख्या ज्यादा है, बालकों की संख्या ३० परसेंट है और बालिकाओं की केवल ५ परसेंट है । सीनियर बेसिक स्कूल १३५ खोले गये हैं । ३३० क्राफ्ट के स्कूल खोले गये हैं । ३१३ स्कूलों में जनरल साइंस शुरू कर दी गई है । ४० जूनियर स्कूलों में एग्रीकल्चर शुरू कर दिया गया है । १ हजार ४० स्कूलों को लाइब्रेरी दी गई है । तीन में गवर्नमेंट जें० टी० स्कूल खोले गयें हैं । म्यूजिक २० स्कूलों में खोला गया है ।

इसी तरह से सेकेन्डरी एजूकेशन को ले लें । ५ गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गये हैं । नये स्कूल्स २९६ हैं । २५ स्कूलों को प्लेग्राउन्ड्स के लिये रकम दी गई है । १० हजार रुपये के हिसाब से बिल्डिग ग्रान्ट दी गई है, ९५ स्कूलों को लाइब्रेरी ग्रान्ट दी गई है, ४७२ स्कूलों को २,५०० रुपये के हिसाब से ७ स्कूलों को जो बैकवर्ड एरिया में है उनको सरकार ने प्राविंशलाइज कर लिया है । हाई स्कूल जो इन्डरमीडियेट स्तर पर लाये गये, ९ हैं । मल्टी परपज स्कूल्स ५९ हैं । गोरखपुर और वाराणसेय यूनिवर्सिटियां कायम हुई हैं । हिन्दी और सोशल साइंस इंस्टीट्यूट्स खोले गये हैं। एन० सी० सी० और ए० सी० सी० की नई यूनिटें खोली गई हैं जिसमें कि सीनियर डिवीजन में ३,७५२ और जूनियर में १,३७१ तादाद है । टीचर्स ८०० और कैडेट्स ४ हजार हैं । माडेल संस्कृत पाठलाशायें भी खोली गई हैं यह संस्कृत पाठशालायें और अरेबिक मदरसे २३१ की तादाद में खोले गये हैं । यह हमारी प्रगति है जिसके थोड़े-बहुत आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये ।

श्री प्रतापसिंह—आल राउंड प्रोग्रेस हुई है ।

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । मैं माननीय प्रतापसिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है । मैं सोच ही रहा था कि क्या शब्द इस्तेमाल करूं । आल-राउंड प्रोग्रेस हमारी हुई है । इसके ऊपर हमको गौरव करना चाहिए । मैं मानता हूं शिक्षा मंत्री की हैसियत से कि हमारे शिक्षा-क्रम, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं । परन्तु जैसा कि इन आंकड़ों से माननीय सदस्यों को मालूम हुआ होगा गवर्नमेन्ट ने इन दस सालों में काफी शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में और खास तौर से इसके प्रसार में काफी कामयाबी प्राप्त की है । हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में और न केवल प्रदेश में ही बल्कि हमारे देश में भी खासतौर से जहां पर कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर हमारे समाज का संचालन होता है वहां पर हर व्यक्ति को न केवल प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिले बल्कि ऊंची से ऊंची शिक्षा और कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा अवश्य मिले और विशेष तौर से बालिकाओं को यह सुविधा प्राप्त हो ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

इन तमाम प्रयत्नों का एक ही उद्देश्य है और वह यह कि हम किस तरह से अपने देश में एक नया समाज कायम कर सकें जिसमें कि हमारे शिक्षित नागरिक अपने देश के प्रति जो उनका कर्त्तव्य है, उसके पालन में जो उनकी शक्तियां हैं उनका पूरे तौर से उपयोग कर सकें। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात को मानने वाले हैं कि बिना शिक्षा के मनुष्य की शक्तियां सुप्त रहती हैं, उनका विकास नहीं हो सकता। कुछ शिक्षा का दुरुपयोग भी होता है लेकिन ज्यादा तर उसका सदुपयोग ही होता है और बिना शिक्षा के मैं समझता हूं कि कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जरा यह बता दीजिए कि नये सेंसस में....

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि बार-बार बीच में टोकना उचित नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आप इस तरह से मिनट-मिनट पर टोकें।

आचार्य जुगलकिशोर—मैं थोड़ा-सा जिक्र करके बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव देंगे और जो आलोचनायें करेंगे उसके ऊपर हमारे साथी तथा इस पक्ष के बोलने वाले अपने विचार प्रकट करेंगे। लेकिन दो एक बातों की तरफ मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे यहां आज काफी शिकायत इस बात की है, मुमकिन है कि वह शिकायतें आयें भी कि ग्रान्ट्स वगैरह के मिलने के बारे में दिक्कतें होती हैं। मैं मानता हूं कि ग्रान्ट्स के बारे में कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन सब से बड़ी दिक्कत जो है वह धन का अभाव है। और इसलिए जितने इंस्टीटीशंयूस सहायता चाहते हैं, उनको अनुदान मिलता है मैं मानता हूं कि बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। उनके खिलाफ हो सकता है कि कोई रिपोर्ट भी न हो, तब भी अगर सहायता नहीं मिलती तो यह कभी न समझा जाय कि गवर्नमेन्ट उनकी सहायता नहीं करना चाहती है। उनको गवर्नमेन्ट जो कुछ भी अनुदान देती है वह इसी ख्याल से देती है कि अच्छे से अच्छे स्कूलों को सहायता मिले और समय पर मिल जाय।

आज एक और बड़ी भारी सामाजिक समस्या है। मैं उस विवाद में तो पड़ना नहीं चाहता लेकिन कुछ इशारा कर देना चाहता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे शिक्षित नवयुवक बेकार रहते हैं। दूसरे यह कि यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा तादाद में विद्यार्थी जाने लगे हैं कि जो शायद ऊंची शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके लिए कोई और जरिया नहीं है कि वह किसी और काम में लग जायं, इसलिए वह यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अनुशासनहीनता का भी यह एक कारण है यद्यपि उसके और भी कारण हैं। लेकिन यह एक समाज के लिए बड़ी चिन्ता की बात है कि हमारे शिक्षित नवयुवक आगे कोई काम न होने के कारण हायर एजूकेशन की तरफ जाते हैं। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे हायर एजूकेशन को एन्करेज करने के लिये और ऐसे व्यक्तियों को दूसरी तरफ ले जाने के लिये कोई कोशिश कर सकते हैं। आज जगह-जगह हमारे टेक्निकल स्कूल्स और कालेजेज खुल रहे हैं और हमें आशा है कि ५–१० वर्षों के बीच में ऐसा कोई शिक्षित नहीं रहेगा जो समाजोपयोगी धंधों पर न लग सकें।

मैंने अभी जैसा जिक्र किया था कि १५ हजार से ज्यादा आबादी के जो कस्बे होंगे। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यह गलत मालूम होता है। पता लगाने पर मालूम हुआ है कि १५ हजार से कम आबादी के कस्बों में ८वीं कक्षा तक की लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा दी जायगी।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके जो भी सुझाव होंगे उनको जहां तक होगा पूरा करने और अमल में लाने की कोशिश की जायगी।

श्री बलदेवसिंह—इन १५ हजार से कम की आबादी में कितने स्कूल्स बने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसका जवाब आंकड़े मंगाकर जब सदस्यों के भाषण हो जायेंगे उनको सुनने के बाद दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण है फलस्वरूप विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण और समाजवादी दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता।

श्रीमन्, आज यह सरकार की कार्यक्षमता के अभाव का परिचय मिला है। जैसा कि हर विभाग में होता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा विभाग भी उस दोष से मुक्त नहीं है। आज जब इस अनुदान को इस सदन में पेश किया जा रहा है उसके कुछ घंटे पहले हमारी शिक्षा सम्बन्धी रूप-रेखा जो सरकार की तरफ से प्रकाशित हुई है मिली। इस रिपोर्ट को देखने के बाद श्रीमन् मुझे अरिस्टाटिल का वह वाक्य याद आ गया कि दुनिया में सब से बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता नहीं है। यह बात अक्षरशः हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग पर लागू होती है। यदि इस रिपोर्ट को देखें तो इसके प्रारम्भ में ही लिखा है—"शिक्षा द्रुतिगति से प्रगति के सोपानों पर अग्रसर है"। आगे इसी रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षा का सभी दिशाओं में संख्यात्मक और गुणात्मक विकास हुआ है। श्रीमन्, जिनको हमारे प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र की जानकारी है, हमारे प्रदेश के शिक्षा जगत् में जो विकास हो रहा है उससे जो परिचित हैं वह यह जानते हैं कि हमारा प्रदेश देश के शिक्षा जगत् में होने वाले परिवर्तनों में बहुत पिछड़ा हुआ है और यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है।

सब से पहला प्रश्न इस बात का है कि यदि शिक्षा विभाग अपनी कमजोरियों को नहीं देखता और वास्तविकता पर परदा डालने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि उन कमियों को दूर करने के लिये वह कदम नहीं उठाये जायेंगे जो अपेक्षित हैं। आज वस्तुस्थिति क्या है ? यदि पूरे देश की सन् १९६१ की जनगणना देखें और जो शिक्षा के आंकड़े हैं उनको देखें तो पता चलेगा कि आज सारे देश में उत्तर प्रदेश का १६ वां स्थान है। आज से १० वर्ष पहले जो स्थान था उससे एक इंच भी आगे हम नहीं बढ़े हैं। सन् १९६१ की जनगणना के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा की प्रगति जिस तरह से हो रही है वह चिन्ता का विषय है। इस तथ्य के होते हुये भी यदि प्रदेश का शिक्षा विभाग इस बात का दम भरता है कि शिक्षा जगत् में हम द्रुतगति से प्रगति कर रहे हैं तो यह वास्तविकता पर पर्दा डालने के सिवा कुछ नहीं है। मुझे माननीय शिक्षा मंत्री का भाषण सुनने के बाद और भी मायूस होना पड़ा कि जिन आंकड़ों को उन्होंने इस सदन के सामने पेश किया है और जिन आंकड़ों का उनके बजट साहित्य के अन्दर उल्लेख है उससे मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि माननीय शिक्षा मंत्री इस बात पर प्रकाश डालते कि क्या हम शिक्षा जगत् में विकास की ओर नहीं बल्कि अवनति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहता था कि वह बताते कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है ? मैं चाहता था वह बताते कि पिछले साल हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट का रिजल्ट जो ३८ और ४१ परसेन्ट रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जो छात्र फेल हुये हैं उसका क्या कारण है ? हमारे विश्वविद्यालयों से निकले हुये छात्र आज इस तरह से भटक रहे हैं कि जैसे वे लक्ष्यविहीन हों, जिस प्रकार से लक्ष्यविहीनता आज छात्रों के अन्दर पैदा हो रही है, हमारे शिक्षा जगत् के आचार्यों में आज जो इस प्रकार से असन्तोष बढ़ रहा है और उनके सामने अनेक समस्यायें खड़ी हो रही हैं, मैं चाहता था कि माननीय मंत्री इस मौलिक विषय के ऊपर प्रकाश डालते लेकिन उनकी बातों को सुन कर मुझे बड़ी मायूसी हुई।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि आजादी के १३ साल के बाद भी हम अपनी शिक्षा के विषय में अपना कोई आदर्श निश्चित नहीं कर पाये हैं। हमारे राष्ट्र ने जिस आदर्श को स्वीकार किया था, पूज्य बापू ने जिस आदर्श को सामने रखा था उसके अनुरूप हम अपनी शिक्षा में परिवर्तन नहीं कर पाये हैं। हमने अपने यहां समाजवाद की रचना करने की घोषणा की है कि हमारी शिक्षा भी उसी के अनुरूप होगी तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम अभीतक आगे नहीं बढ़ पाये हैं।

बेसिक शिक्षा की बात कही गयी। मैं चाहता था कि सन् १९३७ में हुई वारधा कान्फ्रेन्स को मंत्री जो को याद करना चाहिये जिसमें पूज्य महात्मा गांधी की अध्यक्षता में शिक्षाविदों के सम्मेलन में निश्चय किया गया था कि हमारे देश की आजादी के बाद देश में क्या शिक्षा प्रणाली होगी जिससे हम अपने छात्रों के अन्दर कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये रचनात्मक कार्य प्रस्तुत करने के लिये दे सकें। डाक्टर जाकिर हुसैन ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, मैं जानना चाहूंगा उस को कहां तक लागू किया गया? क्या यह बात सत्य नहीं है कि हमारे प्रदेश की शिक्षा में हर स्तर पर ऐसी बाधा उपस्थित हुई है जो शिक्षा के लिये हानिप्रद हुई है? आप प्राइमरी एजूकेशन पर ४२, ४३ फीसदी खर्च करने जा रहे हैं। यह धनराशि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत कम है जो कि वह अपने यहां खर्च करेंगे। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है? जब दूसरे प्रदेशों के अन्दर हालत यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होते होते ६० फीसदी बच्चे ६ से ११ वर्ष तक के बच्चे स्कूलों में होंगे तो हमारे प्रदेश में केवल ४० फीसदी ही बच्चे ६ से ११ साल के स्कूलों के अन्दर होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास के अन्दर दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होते होते ७५ फीसदी बच्चे ६ से ११ साल के स्कूलों में होंगे, तब भी वहां की सरकार शिक्षा के ऊपर २० फीसदी खर्च कर रही है। परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये क्या इस बात का जस्टिफिकेशन है, क्या इस बात का औचित्य है कि जब हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत में पिछड़े हुये हैं तब हम १३ फीसदी ही खर्च करें? कैसी हम प्रगति कर रहे हैं? पिछले आंकड़े इसके औचित्व के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। प्राइमरी शिक्षा निश्चय ही हमारी आधारशिला होगी लेकिन स्थिति क्या है? इस वक्त हमारे प्रदेश में ६७ लाख बच्चे ६ से ११ साल तक की उम्र के हैं जो स्कूलों में होने चाहिये लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि ३७, ५२, १८५ ही केवल बच्चे स्कूलों के अन्दर हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका यह पहला बजट प्रस्तुत किया गया है, के समाप्त होने पर हमारी स्थिति क्या होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर जबकि पूरे प्रदेश के अन्दर ८० फीसदी बच्चे स्कूलों के अन्दर होंगे तब उत्तर प्रदेश में केवल ५६ फीसदी ही बच्चे स्कूलों में होंगे। इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है? यह गम्भीर समस्या है जिस पर शिक्षा मन्त्री जी को और शिक्षा विभाग को सोचना चाहिये था लेकिन खेद है कि वे इस पर उदासीन हैं।

नर्सरी स्कूलों की बात कही गई। इस पुस्तिका में कहा गया है कि हम प्रगति कर रहे हैं और शिक्षा विभाग को इस पर बड़ा सन्तोष है। अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि एक हजार बच्चों के पीछे ३ बच्चों का औसत आता है जो इन नर्सरी स्कूलों में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां ·३ फीसदी बच्चे नर्सरी स्कूल में जाते हों और सब से बड़ा औचित्य वहां की शिक्षा प्रगति के लिये समझा जाय और वहां की सरकार भी इस प्रगति से सन्तोष कर ले तो यह केवल हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है।

इसके बाद मैं सेकेन्डरी स्कूल की बात पर आता हूं। सेकेन्डरी स्कूलों की जो दशा है वह अत्यन्त शोचनीय है। मैं समझता हूं मुदालियर कमीशन और आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने अपने सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किये थे। खेद है सरकार ने उन सुझावों पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस बात को महसूस किया कि वे कमीशन की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की गई? कैसे इस देश की शिक्षा में हम उन्नति करें इस

के लिये एक कमीशन का निर्माण किया था। इस सरकार ने आते ही पहला काम यह किया कि उस सेकेंडरी एजूकेशन आयोग को उसके चेयरमैन और सदस्यों की जानकारी के बिना अचानक एक दिन समाप्त कर दिया और जब कहा गया कि उसका जस्टिफिकेशन क्या है, तो सरकार कहती है कि हमारा लक्ष्य रुपये की बचत करना है, हम इकनामी करना चाहते हैं। यह इकनामी किसी काम की नहीं होगी। अगर प्रदेश के साढ़े सात करोड़ नागरिक उचित शिक्षा न पायें, अगर उनके सामने कोई लक्ष्य न हो, कोई आदर्श न हो, तो शिक्षा निरूद्देश्य होगी और आप की यह इकनामी किसी काम की न होगी। इकनामी के बहुत से साधन रोज इस सदन में बतलाये जाते हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

माध्यमिक शिक्षक संघ ने बार-बार सरकार से मांग की और बतलाया कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों की क्या दशा है। प्राइवेट संस्थाओं पर व्यक्तिगत लोग हावी है और उनको व्यापार के दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार से यह मांग की कि माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य हो किन्तु जबतक वह ऐसा न कर सके तबतक सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षा संस्थाओं की नौकरी को कानूनी दर्जा दिया जाय। मैं कम्युनिस्ट सदस्य होने के नाते ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं, हमारे वह शिक्षक जो शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, यह उनकी मांग है। जिस प्रकार से व्यापार की दृष्टि से यह संस्थायें संचालित हो रही हैं, जिस प्रकार से उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और जिस प्रकार से अध्यापकों की महत्ता और गुरुता को ठुकराया जा रहा है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका अंत करने की मांग उन्होंने की थी। जब सरकार ने इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में अमेंडमेंट किया तो इन के लिये आवश्यक कदम उसमें क्यों नहीं उठाये गये, यह मैं जानता चाहता हूं। जहां व्यापार किया जाता है, जहां छात्रों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है उन संस्थाओं को सरकार अपने हाथ में क्यों नहीं लेती? सरकार ने एक कदम उठाया भी तो कहा कि उनकी मान्यता छीन लेगी, लेकिन उसके बाद वह उन अध्यापकों, छात्रों और स्कूल के साथ वह कैसा व्यवहार करेगी, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस विषय में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज है।

यूनिवर्सिटी में जो हालत है उसकी चर्चा इस सदन में काफी हो चुकी है। विश्वविद्यालय जो शिक्षा के उच्चतर लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रांगण होते हैं, उनके लिये सरकार ने जो कदम उठाये, जिस प्रकार उन के अधिनियमों में सरकार ने परिवर्तन किये, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने पार्टी पालिटिक्स को अपने दिमाग में रख कर उन सारे परिवर्तनों को किया है। सरकार के सामने यह लक्ष्य नहीं था कि इस उच्चतम स्तर की शिक्षा संस्था को सही दिशा दें। हमारी मांग थी और उसके लिये सरकार वचनबद्ध थी, इस सदन के सम्मुख भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि इंटरमीडियेट एजूकेशन के लिये वे एक कंप्रिहेंसिव बिल लायेंगे, यूनिवर्सिटीज के लिये वे एक कंप्रिहेंसिव बिल लायेंगे, उन्होंने यह भी कहा था कि प्राइमरी स्कूलों के लिये भी वे एक कंप्रिहेंसिव बिल लाने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे बिल कब आने वाले हैं? वह समय कब आने वाला है कि जब सरकार यह समझेगी कि अब एक कंप्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत आ गयी है, जो शिक्षा जगत में बेसिक बातें हैं उनकी तरफ वह कब ध्यान देगी। मैं समझता हूं कि उनकी उपेक्षा करना एक घातक चीज है।

दूसरी मांग हमारी यह है कि जो हमारे टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। सरकार ने उनके लिये दो आंसू बहाये हैं, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि टेक्निकल शिक्षा हर स्तर पर आज बढ़ रही है। लेकिन पिछले तीन वर्षों के आंकड़े अगर हम देखें तो हमारी टेक्निकल संस्थाओं की संख्या तीन वर्ष पूर्व जो १९९६ थी वह घटते-घटते १९१५ रह गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हमारा कदम क्या प्रगति की तरफ बढ़ रहा है या अवनति की तरफ हम जा रहे हैं ? हम आगे जा रहे हैं या पीछे ? कुछ ठोस सुझाव भी दिये गये हैं जिनको किसी तरह नजरन्दाज नहीं किया जा सकता।

श्रीमन्, संस्कृत के विकास पर हमारे यहां बड़ा जोर दिया गया है। हमारे देश में तीन कमीशनों की भी स्थापना हुई थी—राधाकृष्णन् कमीशन, वी० जी० खेर कमीशन, मुदालियर कमीशन—इन सभी ने इस बात को माना है कि संस्कृत के विकास के लिये प्रयत्न करना चाहिये चूंकि यह हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि एक कमीशन का इसके लिये निर्माण किया जाना चाहिये। इसके बाद बंगाल विधान परिषद् के अध्यक्ष, श्री सुनीतकुमार चटर्जी की अध्यक्षता में भी एक कमीशन का निर्माण हुआ था और उसने भी संस्कृत के विकास के लिये अपने सुझाव दिये। लेकिन हमारी सरकार उन सुझावों की अब तक मखौल उड़ाती रही है। उसके जीते जागते उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने तो उसके विकास के लिये एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी वाराणसी में स्थापना की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो और विद्यालय हैं, जिनकी ओर अभी तक आप का कोई ध्यान क्यों नहीं गया है जिनकी दशा दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है, उनके लिये आपने क्या किया। आज वहां के छात्रों को आप ने ग्रेजुएट की मान्यता तो दे दी है मगर जो वहां के अध्यापक हैं उनको जो वेतन दिया जाता है उसकी ओर आप का ध्यान नहीं गया। प्रधानाध्यापक को १२०-२००, रुपये वेतन मिलता है और कुछ अध्यापक ७५–१०० रुपये ही वेतन पाते हैं। तो आज यह असमानता क्यों है ? इस असमानता को दूर करने के लिये आपने क्या कदम उठाये ?

अभी दो जी० ओ० निकले हैं जिसके अनुसार आप ने आदर्श संस्कृत विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिये ६० रुपये की अधिकतम ग्रान्ट दी है। जो डेफिसिट ग्रान्ट दी है वह भी ४०–६५ रुपये तक है। यह तो बड़ी दुखद बात है। आज संस्कृत के जो विद्यालय हैं उनकी इस तरह से उपेक्षा करना न तो देश के ही हित में है और न प्रदेश के ही हित में है। सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसे आज बदलने की जरूरत है।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मौलिक रूप से हमारे यहां बढ़ रही हैं और जिनसे खतरा पैदा हो गया है। आज देश और प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक तत्व बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज देश के अन्दर प्रतिक्रियावादी शक्तियां संगठित हो कर खतरा पैदा कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार शिक्षा के अन्दर इस ओर क्या कदम उठा रही है ? क्या यह सत्य नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा का जो पैटर्न था, वही पैटर्न थोड़ा बहुत आज भी हमारे यहां चल रहा है। प्राइमरी स्कूलों में जाइये तो आप को मालूम होगा कि वहां के अध्यापक आज भी बच्चों के अन्दर साम्प्रदायिकता का विष डालते हैं। बच्चों का जिस समय मस्तिष्क तीव्र होता है, उस समय उनको साम्प्रदायिकता का विष दिया जाता है। आज वही पुराने अध्यापक हैं, वही पुराना उनका दृष्टिकोण है, वही पुराना पढ़ाने का तरीका है। ४४ रुपये एक अध्यापक को देकर आप उससे इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वह बच्चों को उच्च प्रकार की शिक्षा देगा। आपने ४ रुपये की उनके वेतन में बढ़ोत्तरी कर दी। आप यह नहीं कह सकते कि आपने उनकी मांगों को मान लिया। मैं चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उसी अनुपात में आप उनका वेतन भी बढ़ाइये। ४ रुपये बढ़ा कर आप उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। आप अपने दिल पर हाथ रख कर इन बातों को सोचिये और फिर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाइये।

सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने भी आपको कुछ पिछले दिनों में सुझाव दिये। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उन पर क्या विचार किया ? जब

आप दूसरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कदम उठाते हैं, तो उनके सुझावों की ओर भी आप ध्यान क्यों नहीं देते। आज जो उनकी मांगें हैं, जो उनमें असमानतायें हैं, जो भेदभाव हैं, उनको समाप्त करने के लिये, मैं पूछता हूं, आपने क्या कदम उठाये हैं? आपने अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिये भी क्या कदम उठाये? विदेशों में अध्यापकों का और छात्रों का जो रेश्यो है वह १:४ से लेकर १:८ तक है। लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर, यूनिवर्सिटी के अन्दर १ और २० का रेश्यो है, प्राइमरी स्कूल के अन्दर १ और ४० का रेश्यो है, लेकिन ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक अध्यापक के पीछे सौ और सवा सौ लड़के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की आशा की जा सकती है कि छात्रों और अध्यापकों का यह अनुपात होगा तो अध्यापक को छात्रों के लिए जो विशेष ध्यान देना चाहिए जो उनके निजी सम्पर्क में आने से बच्चे के सुधार और विकास की सम्भावनाएं होती हैं वह हो सकेंगी। इन बातों की तरफ सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमन्, इसी प्रकार से हमारे शिक्षा प्रशासन के सम्बन्ध में देखने को मिलता है। पिछले दिनों में बराबर मांग की गयी कि इंटरमीडियेट और हाई स्कूल बोर्ड के अन्दर प्रशासन में परिवर्तन होना चाहिए। जिस समय बोर्ड बना था उस समय हमारे प्रदेश के जो परीक्षार्थी होते थे, जो स्कूलों की संख्या थी वह वास्तविकता यह है कि इतनी नहीं है। आज बोर्ड का प्रशासन इस योग्य नहीं है कि प्रदेश के पैमाने पर उनकी परीक्षा ले सके और इन स्कूलों का निरीक्षण कर सकें। इसलिए यह बार-बार कहा गया कि रीजनों के आधार पर इनके प्रशासन में परिवर्तन होना चाहिए। सरकार वचन-बद्ध हुई और उसने कहा था कि इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं कि प्रशासन को हम कैसे बदलें, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

इसी तरह से हमारी पूरी शिक्षा का जो प्रशासन है, चाहे सेक्रेटेरियट के स्तर पर या डायरेक्टोरेट के स्तर पर या इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के स्तर पर, सरकार जानती है और मानती है कि हम जितनी एफिश्येंसी के साथ इस प्रशासन को चला सकते हैं उतना नहीं चला पा रहे हैं। सिवाय एक दो पद तोड़ दिये जायं, किसी को सेक्रेटेरियट से हटा कर रीजन में बैठा दिया जाय और किसी को रीजन से दूसरी जगह भेज दिया जाय, इससे कोई हल होने वाला नहीं है। इस पर आमूल सोचने की बात है कि बढ़ती हुई छात्रों की संख्या और स्कूलों की संख्या को और बदले हुए उद्देश्य को देखते हुए हम अपने प्रशासन में कैसा परिवर्तन करें कि सही मानों में हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और हर एक स्तर पर उनसे सीधा-साधा सम्बन्ध हो सके। ये ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अन्त में मैं सरकार से कहूंगा कि हमारे प्रदेश की सरकार इस बात को आज गम्भीरता से सोचे कि सही माने में यदि हमें इन मान्यताओं के आधार पर प्रदेश के नागरिकों का जीवन सुन्दर और सुचारु बनाना है, यदि हमें राष्ट्र प्रेम, देश-भक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति आस्था रखने वाले नागरिक पैदा करने हैं, तो हमें निश्चित रूपसे अपनी शिक्षा की नीति के अन्दर परिवर्तन करने चाहिए, निश्चित रूप से हर एक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार "Right to education and right to employment" इस प्रदेश में अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि सरकार का ध्यान हमारे प्रदेश के उन लाखों गरीब मजदूरों और किसानों की तरफ भी जाना चाहिए जिनमें निरक्षरता बड़े पैमाने पर फैली हुई है। सरकार का धर्म होता है कि ऐसे अतिरिक्त स्कूल चलाये जो उनके खाली घंटों में मजदूरों को साक्षर बनाने का काम कर सकें और किसानों को साक्षर बनाने का काम कर सकें। हमारे यहां ऐसी लाइब्रेरी बनें, ऐसे एजूकशनल क्लब्स बनें जो कि देहातों में बड़े पैमाने पर साक्षरता को फैलाये। सरकार साक्षरता को फैलाने के लिए, प्रदेश की निरक्षरता को दूर करने के लिए यह कदम भी उठाये कि हमारा हर एक नागरिक जो सरकारी सेवा के अन्दर जाना चाहता है, कम से कम एक वर्ष देहातों में जाकर लोगों

[श्री चन्द्रजीत यादव]

को उसे साक्षर करना पड़ेगा, उसके बाद उसे हम नौकरी में लायेंगे, तो मैं उसका स्वागत करूंगा, प्रदेश की जनता करेगी, ताकि हमारे देश में सही तौर से शिक्षा का प्रसार हो सके और निरक्षरता का अन्धकार जो प्रदेश में छाया हुआ है वह दूर हो सके।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य जी की स्पीच सुनने के बाद कोई बहुत तीव्र आलोचना की जरूरत तो नहीं रह जाती इसलिये कि जितना समय उनको काम संभाले हुए हुआ उसमें उनसे बहुत बड़ी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती थी और न उतने समय में वे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन ही कर सकते थे। फिर भी एक सदस्य के नाते, शिक्षा अनुदान के संबंध में जो कुछ भी मेरे विचार हैं, और जिनको पहले भी मैं व्यक्त कर चुका हूं, उनको फिर से सदन के सामने आपके जरिये पेश करना चाहता हूं।

इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जहां तक उसके भौतिक रूप का ताल्लुक है, विस्तार हुआ है, खर्चा भी बढ़ा है। सरकार की ओर से अनुदान की मात्रा भी बराबर बढ़ती जा रही है और प्राइवेट लोगों ने भी बहुत काफी तादाद में स्कूल खोले हैं जिनको सरकार से मदद मिलती है। इसलिये जहां तक शिक्षा के इस रूप का ताल्लुक है कि शिक्षा में विस्तार हुआ है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जिस शिक्षा को हम चाहते हैं और उस शिक्षा से जिस प्रकार की उपज अथवा जिस प्रकार का मानव हम चाहते हैं, वह हमको मिलता है या नहीं मिलता है।

हम दो ही दृष्टि से शिक्षा के ऊपर विचार कर सकते हैं। एक तो शिक्षा का काम यह है कि वह समूची जनता के अन्दर जहां वह उसके दिमाग की तरक्की करे जहां एक नयी चेतना जाग्रत करे वहां उसका दूसरा काम यह भी है कि जिस किस्म के लोगों की जरूरत समाज को है, उनको तैयार करे। इन दृष्टियों से शिक्षा की सफलता जांचनी पड़ती है।

हमारी जो मौजूदा शिक्षा है उसकी मैं तीन-चार देन समझता हूं। यद्यपि उसका फैलाव हुआ है, जैसा कि मैं समझता हूं कि फैलाव हुआ है, लेकिन उससे जो उपज हुई है वह नयी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है और उसके बारे में मैं यह भी कहने में न हिचकूंगा कि सोशलिज्म किस्म के नजरिये से वह वेस्ट ही हुआ है। यानी किसी चीज पर अगर पैसा खर्च होता है, उसका फैलाव होता है और फैलाव के बाद जो चीज हम चाहते हैं, जिस किस्म के युवक हम चाहते हैं, वे अगर हमें नहीं मिल पाते तो हमें गंभीरता के साथ यह सोचना पड़ेगा कि कहीं वह वेस्ट तो नहीं है।

उस खयाल से मेरा विश्वास है कि मौजूदा शिक्षा से जो युवक निकलते हैं उनमें चार चीजें पायी जाती हैं। इस शिक्षा की एक उपज इस्पलिट पर्सनेलिटी है जो जीवन को ऐसे विभागों में बांट देती है जिसमें एक विभाग का संबंध दूसरे विभाग से नहीं रहता और उसका असर ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलता है। वह इस प्रकार से कि आज यदि कोई लेबर सेक्रेटरी है तब उसकी एक राय होती है लेकिन कल को अगर वह इन्डस्ट्री सेक्रेटरी हो जाता है तो उसकी बिलकुल दूसरी राय हो जाती है, यानी विभागों के बदलने से उसकी राय भी बदल जाती है। इस शिक्षा का यह सबसे बड़ा नुक्स है। इससे इस्पलिट पर्सनेलिटी के आदमी पैदा होते हैं जिन्हें कोई भी काम दे दीजिये होम सेक्रेटरी कर दीजिये, पी० एम० जी० कर दीजिये, डायरेक्टर आफ एजूकेशन कर दीजिये, जो कुछ उसे बना दीजिये, वह उतने समय में उसकी ओर दिमाग लगा कर काम करता है लेकिन उसकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह मैं शिक्षा का बहुत बड़ा दुर्गुण समझता हूं।

दूसरे यह शिक्षा बच्चों को प्रोडक्शन से हटाती है। इस शिक्षा का यह असर पड़ता है कि जब गांवों के बच्चे पढ़ते हैं तो पहला काम वह यह सीखते हैं कि उनका बाप जो काम करता है

वह छोटा काम है। इस शिक्षा से काम के प्रति प्यार नहीं रहता। पुराने बाप के काम को वे हेच समझते हैं। इसका कारण यही है कि इस शिक्षा में किसी रूप में भी प्रोडक्शन की शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चे का ध्यान शुरू से उत्पादन की ओर नहीं लगाया जाता जो कि सोशलिस्टिक एजूकेशन में किया जाता है। जिसमे बच्चों को शुरु में तालीम दी जाती है कि वे खेतों में जाकर छोटे-छोटे काम करें और प्राइमरी स्कूल के बच्चे किसी न किसी रूप में प्रोडक्शन में सहयोग दें। चाहे लड़ाई का काम हो, चाहे जमीन ठीक करनी हो, चाहे छोटी छोटी क्यारियां तैयार करनी हों, उनको एक ऐसे बड़े पैमाने पर काम करना चाहिये जिससे इस प्रोडक्शन और एजूकेशन का कोई रिश्ता हो।

तीसरी खतरनाक चीज जो इस एजूकेशन से पैदा होती है वह यह कि आदमी देखने भालने में बड़े प्रोग्रेसिव मालूम होते हैं लेकिन बातचीत करने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि मामूली बात भी कहनी होगी तो भाषा को तोड़ कर ऐसे झटके से बोलते हैं जो मेरे खयाल से उनके रिएक्शनरी होने की पहचान है। यह मैं बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोगों की बात कहता हूं और रिएक्शनरी मैंने इसलिये कहा कि जो हमारे टाप पर लोग हैं उनके अन्दर भी कास्टिज्म की भावना आ गयी है। हमेशा उनके सामने एक ही नजरिया रहेगा कि इतने कायस्थ हैं, इतने बनिया है। इसका असर सब पर पड़ता है। बदनसीबी से आज सियासत पर भी इसका असर पड़ने लगा है और सियासतदां लोग भी इसी ढंग से सोचने लगे हैं। कास्टिज्म का असर इतना फैलने लगा है कि अगर उसको रोका न गया तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मौजूदा एजूकेशन मिनिस्टर इसके लिये फौरन तो कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसके लिये कुछ कर सकती थी लेकिन उधर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमें संजीदगी के साथ अपनी शिक्षा का रिश्ता अपने ध्येय के साथ मजबूती से नहीं जोड़ना चाहिये। पहले जो किताबें लिखी जाती थीं उसमें इस तरह की बातें होतीं थी जिसका असर शुरू से ही बच्चों पर पड़ जाता था। मिसाल के तौर पर दुनिया में राज्यशाही में शुरू में बच्चों को पढ़ाया जाता था कि राजा ईश्वर का बेटा है। तो शुरु में एक फेथ विश्वास अपने नये जेनरेशन के अन्दर पैदा करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ईश्वर के साथ हम राजा को जोड़ें तो बच्चे के दिमाग में इस तरह की बात बैठ जाती है। संजीदगी के साथ हमको इस पर विचार करना है कि हमें किस तरह से जेनरेशन पैदा करना है। उनके अन्दर क्या खूबी होनी चाहिये, उनके सोचने का क्या ढंग होना चाहिये, उनकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिये, उसके ऊपर हम गम्भीरता के साथ नहीं सोच सके हैं।

मैं आपके जरिये मौजूदा एजूकेशन मिनिस्टर को एक बात की याद दिलाना चाहूंगा कि जब मैंने इस बात की बहुत चर्चा की तो पिछले एजूकेशन मिनिस्टर ने एक कमेटी मुकर्रर की कि बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जाय जिसमें देशभक्ति की बातें हों तथा और भी इसी किस्म की बातें हों, और कमेटी तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे। मेरा ख्याल है कि कमेटी को अपना काम खत्म करने में दो ढाई साल लग गये। मुझे मालूम नहीं कि उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन एक बात मैं और भी बतला दूं। हर कमेटी जो होती है उसकी खास बात यह होती है कि उसके दो तिहाई मेम्बर ऐसे होने चाहिये जिनका उस विषय से कोई वास्ता न हो, मौजूदा पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कमेटी का कम्पोजीशन ऐसे ही होता है। जब मैंने इस सवाल को उस कमेटी में उठाया जिसका मैं भी मेम्बर था तो एक मेम्बर ने कहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर कोआपरेशन को फैलाना है तो बच्चों की शिक्षा शुरू से ही ऐसी होनी चाहिये कि वे मिलजुल कर काम करना सीखें। वे कोई आफिशियल मेम्बर थे, बड़े इंटेलीजेंट थे, उनको कहीं एक किताब में एक स्टोरी मिल गयी जिसकी हेडिंग थी "साझे की खेती"। वे बड़े खुश हुए और उन्होंने आते ही कहा कि साहब हमने तो अपनी किताबों में इस तरह के लेसन को पहले ही से रख दिया है, क्या आप समझते हैं कि मेरा उधर कोई ध्यान ही नहीं है? मैंने कहा कि लेसन में यह बात कैसे आ गयी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कभी ऐसी थिंकिंग मंजूर ही नहीं की। फिर उन्होंने किताब खोल कर दिखला दी जिसकी हेडिंग थी "साझे की खेती" परन्तु उसका मैटर था कि हरगिज साझे की खेती नहीं होना चाहिये।

[श्री गोविन्दसहाय]

इसमें किसी का कसूर नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो शिक्षा का विभाग है उसका एजूकेशन की पालिसी से कोई वास्ता नहीं है वह तो केवल ग्रान्ट इन एड देने का एक मोहकमा ही होकर रह गया है। वह स्कूलों को रुपया देता है और मार्च के महीने में तो उसकी बड़ी भारी वकत होती है, चारों तरफ से लोग आते हैं कि ग्रान्ट मिल जाय। तो वह एक ग्रान्ट इन एड देने का मोहकमा है उसका एजूकेशन की पालिसी से अभी तक कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है। बेसिक, प्राइमरी, हायर सेकेन्डरी और यूनिवर्सिटी स्टेज तक की किसी भी एजूकेशन पालिसी पर उसका कोई असर नहीं है। अगर यह सवाल उठाया जाय कि असर क्यों नहीं है तो लोग यह भी कहते हैं कि असर होना भी नहीं चाहिये, कुछ लोगों का खयाल है कि वह तो दखल देना ही जायगा और हम उसको छू भी नहीं सकते। सौ साल के बाद या और अधिक समय के बाद हमारे यहां भी अब यह कनसेप्शन आया है कि दखल नहीं दे सकते। अगर दखल नहीं दे सकते तो इससे सरकार को भी मदद मिल जाती है।

अब इन कारणों से जो मौजूदा स्ट्रक्चर है जो हमारा ढांचा है जैसे इन्टरमीडियेट बोर्ड को ही ले लीजिये, वह इतनी ताकतवर आर्गेनाइजेशन है कि हमने आज तक उसमें हाथ नहीं डाला, उसका इतना पावरफुल मेकेनिज्म बन गया है कि अगर हाथ डाला जाय तो उन की बड़ी भारी पलटनें हैं, जिनको जीतना मुश्किल है। कोई कह दे कि परीक्षायें न होनी चाहिये, यह सिस्टम ठीक नहीं है तो इसके खिलाफ न मालूम वहां कितने लोग हैं, एगजामिनर हैं, मेनीपुलेटर हैं इनविजिलेटर हैं बड़ी भारी पलटन उनकी है, उन सबसे जरा सी नीति परिवर्तन में संघर्ष में आना होगा। अगर आप कहेंगे कि किताबें ऐसी छपें, सस्ती बनें तो फौरन सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंच जायेगी कि संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है और दखल दिया जा रहा है। अब अगर आप उसमें दखल करना भी चाहें, तो जो स्ट्रक्चर आप को मिला है उसमें आपने शुरू में दखल, छेड़खानी की नहीं और उसको चलने दिया और आज जब दस साल हो गये तो उसी में न जाने कितने स्कूल खुल गये कितने कालेज खुल गये और फैलाव हुआ तो अब कोई तब्दीली लाना और भी कठिन हो गया है। जो लड़के और लड़कियां वहां से निकलते हैं वह आज अपने को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं जो इन्सान वहां बन रहा है वह समाज में अपने को कहीं खड़ा नहीं कर पा रहा है। हमें देखना होगा कि हमारी गलती कहां है। राजेन्द्र बाबू या डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, प्रेसीडेंट आफ इंडिया से राम गोपाल तक कोई ऐसा नहीं है जो यह न कहता हो कि हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी है। अगर बुरी है तो फिर अच्छी कैसे बनाई जाय, उसके स्ट्रक्चर का बेसिस कैसा हो इस दिशा में हम हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। सरकारें भी निश्चित नहीं हैं कि क्या किया जाय, एक खौफ सा है कि पता नहीं कि तब्दीली में क्या क्या न हो जाय इसलिये उस झगड़े में कोई नहीं पड़ता और हर सरकार की ख्वाहिश सिर्फ इतनी रहती है कि जितना रुपया पहले खर्च किया गया है उससे दस प्रतिशत हम ज्यादा खर्च करें। आज अब समय आ गया है कि हम अपनी शिक्षा नीति को आज के समाज के हालात के मुताबिक तब्दील करें। सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर आफ सोसायटी तो अब आयेगा और बनेगा, हमारे आप के चाहने और न चाहने का सवाल नहीं है, उसका बनना और आना तो इनएवीटेबिल है, उसको लाकर कांग्रेस कोई इनायत नहीं कर रही है, वह तो एक लाजमी चीज है, एक इतिहास की देन है जिसको कि दुनिया की ताकत आने से रोक नहीं सकती, सिर्फ थोड़ी-सी देर कर सकती है और उसको लाने का जो सिलसिला है उसको थोड़ा-सा ब्रेक कर सकती है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वह कुछ थोड़ी-सी कमेटियां बनाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में लोगों के दिमागों को काम में लगाने का जो एक सिलसिला है उसको आप यकायक बदल भी नहीं सकते लेकिन अगर आप शिक्षा के सम्बन्ध में कोई कमेटी बनाना ही चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप को एक कमेटी इस परपज के लिये बनाना चाहिये क्योंकि मैं अदब से कहूंगा कि

जब कमेटी बनती है तो हमारे दिमागों पर एक अजीब बुखार है कि एजूकेशन की कमेटी हो तो एजूकेशन एक्सपर्ट्स आने चाहिये। मेरी ईमानदारी से राय है कि मुल्क की तरक्की करनी है तो एक्सपर्ट्स से बचिये। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वह प्रोडक्ट्स हैं एजूकेशन के मौजूदा सिस्टम के, यह समिति में क्या करते है ? दो-चार प्लेन करके, कुछ फिजूली सिफारिशें करके और कुछ नहीं करते हैं। तो कमेटी को सोशलिस्ट बाएस्ड होना चाहिये। उसमें वह लोग होने चाहिये जिनका सोशलिज्म की व्यावहारिकता और उपयोगिता में अटूट विश्वास हो। एजूकेशन को आपको उस मकसद के साथ जोड़ना पड़ेगा जैसी की आप सोसायटी बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यदि मुझे कोई सुझाव देना हो तो मैं यह पसन्द करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जेनरेशन तैयार हो तो कोई मूल आधार हमारी शिक्षा का होना चाहिये। आज की हमारी शिक्षा का कोई आधार नहीं है। उसका इसी से पता चल सकता है कि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें किसी एक चीज पर आपको एम्फेसिस नहीं मिलेगा। एजूकेशन एक्सपर्ट्स से पूछिये कि ये किताबें क्यों लिखी गईं जिनमें कि एक चीज पर एम्फेसिस नहीं है तो वह कहेंगे कि मौजूदा एजूकेशन जो है वह किसी एक चीज पर जोर नहीं देती, चारों तरफ की चीजें उसमें होनी चाहिये। मैं इसे गलत और अव्यावहारिक समझता हूं।

आज जो किताब बच्चे पढ़ते हैं उसमें शुरू का लेसन हुआ ईश बन्दन ॥ इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज का कोई सवाल भी नहीं है। उसके बाद राजा दशरथ आ गये और फिर नैपोलियन बोनापार्ट आ गये और जवाहरलाल नेहरू आ गये और फिर उसके बाद कुछ तितलियों की कहानी आ गई। कोई परपज नहीं मैटर का, अरेंजमेंट का। जो बच्चों को आज शिक्षा दी जाती है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो हिस्टरी पढ़ाई जाती है उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स होती हैं। ज्यादातर हिस्टोरियन वह हैं जो कि जुज नहीं रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन हिस्ट्री की लिखाई जाय तो उसके लिये प्रोफेसर होता है यूनिवर्सिटी का जो कि मूवमेन्ट का जुज नहीं रहा। वह उसके अन्दर वह चीज नहीं डाल सकता है जबतक कि वह उसका जुज न हो। आज बी०ए० और एम०ए० में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें यह कहीं नहीं मिलेगा १९१९ से १९४६ तक के नेशनल मूवमेंट के लिये जिसमें हर मूवमेन्ट के बारे में ज्ञान हो कि क्या बैकग्राउन्ड थी, क्या स्लोगन था, कौन लोग शरीक हुये थे और क्या स्ट्रेटजी थी।

आप कहते हैं कि लड़कों में अनुशासन नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय और दे दें तो....

श्री उपाध्यक्ष--पांच मिनट और ले लीजिये।

श्री गोविन्दसहाय--मुझे इन बातों में तो दिलचस्पी नहीं है कि कहां स्कूल बढ़ें और कहां नहीं बढ़ें। जहां आप खोल रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो समुदाय है उसका पुरानी जेनरेशन से कोई रिश्ता नहीं है। लड़का आता है स्कूल में, एक खास आब-हवा में जो घर से जुदा है, उसके अन्दर नई तमन्ना पैदा होती है जिसको वह पूरा नहीं कर सकता है और नतीजा यह होता है कि फ्रिस्ट्रेशन होता है। एक संतान उपज होती है सारे सोशल सिस्टम की। महज एजूकेशन डिसिप्लिन नहीं पैदा कर सकती। मुझे यह गलतफहमी नहीं है कि यदि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट चाहे तो अनुशासन पैदा कर दे। कितनी ही बातों का उसपर असर पड़ता है। अकेली एजूकेशन उसको नहीं कर सकती है। लेकिन क्या एजूकेशन के जरिये वह कोशिश की जा रही है ? मेरा ख्याल है कि कोई कोशिश नहीं का जा रही है और इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये शिक्षा मंत्री जी से चाहूंगा अब आठ-नौ महीने रह गये हैं, कोई बहुत ज्यादा जोश उनको नहीं है लेकिन कोई काम कर जायं तो अच्छा है चूंकि वह एजूकेशनिस्ट हैं, एक नेशनल मूवमेन्ट के प्रोडक्ट हैं। आप नहीं कर पायेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। एक दागबेल जरूर डाल जाइये ताकि ६२ में सोशलिज्म की तरफ शिक्षा प्रणाली का मोड़ हो जाय जो आज नहीं है।

[श्री गोविन्दसहाय]

आजकल बड़ी चर्चा है कास्टिज्म की। स्कूलों के नाम के आगे अग्रवाल, ठाकुर तथा कायस्थ लिखा है और सबको एड मिल रही है। उसके लिये एक ही तरीका है कि जो डिसकाउन्ट आप देते हैं ऐसी संस्थाओं को मत दीजिये। इसके अलावा सर्विसेज में जहां प्रोमोशंस होते हैं वहां इंटर कास्ट मैरिजेज के लिये भी कुछ प्रिफरेंस रखा जा सकता है। सही वाकया यह है कि हमने कोशिश ही नहीं की कि हम कास्टिज्म के खिलाफ जद्दोजहद करें। हमने किया यह है कि एक दूसरे को कहते रहते हैं यह कास्ट वाला है, यह कास्ट वाला है और झुकते चले जा रहे हैं कास्टिज्म की ही तरफ और मर्ज यहां तक बिगड़ गया है कि पोलिटिकल हायर लेविल पर भी इसका असर पड़ गया है। इसको हटाने के लिये सिस्टेमेटिक एफर्ट्स करने होंगे। हमें देश प्रेम तथा मिल जुल कर काम करने की प्रवृत्ति पैदा करनी होगी। किताबें हों जिनमें देश प्रेम की चर्चा हो।

मेरा ख्याल है कि १५ साल के अन्दर जो हमारा इंफार्मेशन डिपार्टमेन्ट है, जिसका काम है लोगों को इंफार्म करना आज तक उसके जरिये एक भी पुस्तिका नहीं निकली, न एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के जरिये ही निकली जिसमें देश तथा प्रदेश के बारे में शहरी जबान में लड़कों को जानकारी कराई गई हो। ऐसी एजूकेशन का क्या परिणाम हो सकता है? पांच परसेंट टाप आदमी आप सेक्रेटेरियट लेविल पर और ५ परसेंट पोलिटिकल लेविल पर ले लीजिये जो यह बतला सकें कि इस सूबे में सन् १९५२ में एजूकेशन की यह हालत थी और अब सन् १९६१ में यह हालत है। किसी सेक्रेटरी से पूछिये, एजूकेशन सेक्रेटरी से पूछिये कि एजूकेशन की क्या प्रोग्रेस है तो वह फाइल मंगा कर देखेंगे। यह आलम सबका है। अगर देश प्रेम आपको पैदा करना है तो बच्चों को गांव के बारे में, प्रदेश के बारे में ज्ञान होना चाहिये कि यह प्रोग्रेस हुई है। मेरा खयाल है कि मेटीरियल प्रोग्रेस हो भी गई हो लेकिन अहसास न हो तो लोग उसे नहीं देख सकते हैं। इसलिये बड़ी चीज है एक अच्छी आबोहवा का पैदा करना। जो लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि देश प्रेम मिटता जा रहा है, तो मिटता अपने आप जा रहा है। पुराने जमाने का देश प्रेम नहीं रह सकता, अंग्रेजी जमाने में दूसरे किस्म का देश प्रेम था। वह यह था "love for country and hatred for British." लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद नया नेशनलिज्म तथा सोशलिज्म लाने के लिये आपको नये आधार, नई बुनियादें रखनी होंगी। वह हमने नहीं किया है।

मैं आशा करता हूं कि एजूकेशन मिनिस्टर महोदय के दिमाग में एक आध बात उतर गई तो प्रदेश का बड़ा हित होगा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं अमल की बात करने को कह रहा हूं। जो कुछ आपने किया है यह अच्छा ही किया है लेकिन आप कुछ बदलाव करें और दो तीन बातें और कर लीजिये। एक तो टेक्निकल एजूकेशन को आप अपनी शिक्षा पद्धति में जोड़ लीजिये। लड़की का जो इंजीनियरिंग कालेज है उसका एजूकेशन से कोई वास्ता नहीं। अगर सोशल सिस्टम आपको लाना है तो उसका एक बायस होता है। पुरानी एजूकेशन का बायस यह था कि लड़के को व्यावहारिकता से हटाओ। आज सोशलिस्टिक एजूकेशन का जो बायस है वह यह है कि उसमें लव फार वर्क पैदा करो। टेक्निकल एजूकेशन इसके लिये होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुराने जमाने से जैसा चला आ रहा है वैसा ही आज भी है लड़की कालेज के सम्बन्ध में। एजूकेशन मिनिस्टर से कहा एक दफा तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी पेचीदगी होती है। जो लोग वहां हैं वे बुरा मानेंगे। तो यह तकल्लुफात छोड़ दीजिये। एक राशनल बेसिस पर आप अपनी एजूकेशन को लावें। एजूकेशन, इंफार्मेशन, टेक्निकल एजूकेशन यह एक मोहकमा बजात खुद मुकम्मल है और अगर इस तरह से चालू करें कि जहां तक बेसिक एजूकेशन का ताल्लुक है, एक रिपोर्ट में पढ़ दिया गया कि यू०पी० के सारे स्कूलों में बेसिक एजूकेशन हो गयी तो उससे क्या फायदा होगा? बेसिक एजूकेशन करने वालों का क्या यकीन है। एक डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन जो बेसिक एजूकेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने एक कांफ्रेंस में कहना शुरू किया कि

"What is basic education ? The addition of one more craft is basic education."

हमारा मोहकमा ग्रांट-इन-एड बांटने का मोहकमा नहीं होना चाहिये बल्कि पालिसी मेंकिंग होना चाहिये और उसके लिये मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद अपने एजूकेशन के लिये तैयार रहता हूं, कि एजूकेशन डायरेक्टोरेट का रिएजुकेशन कराने की जरूरत है। यह डायरेक्टोरेट बिल्कुल ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, एजूकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ऐग्रीकल्चर के महकमे में डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिस का ऐग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ तबादलों में लगा रहता है। इसलिये टाप के भी रिएजुकेशन की बड़ी जरूरत है।

एक बिल हमने सदन में पास किया कि प्राइवेट स्कूलों में बड़ी खराबी है, गबन है, इंटरमीडियेट कालेजेज में बड़ी बदइंतजामी है। तो बिल तो पास कर दिया मगर मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि आज प्राइवेट स्कूल के लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं हुआ। पहले वह भावनाएं हम में थीं, अब जो डिस्ट्रिक्ट एजूकेशन आफिस है उसमें हैं। वहां अगर कोई काम आ गया तो वह हो नहीं सकता चूंकि क्लारिकल ब्यूरोक्रेसी है। क्लारिकल ब्यूरोक्रेसी के भी कई तरीके हैं और वह बहुत खतरनाक होती है। मेरा भी अपने जिले में कई स्कूलों से सम्बन्ध है। वे हर चीज को रोकेंगे क्योंकि पावर का मतलब ही यह है कि जो चीज होती हो उसको देर लगा दे। एक बड़े होशियार रिश्वत लेने वाले से पूछा गया कि रिश्वत लेने की टेक्नीक क्या है। तो उसने बताया कि जो काम होता हो उसमें देर कर दो, यही टेक्नीक है। तो महज सरकार का स्कूलों पर कंट्रोल हो जाय यह कोई प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। सरकारी मशीनरी के आउटलुक में जब नया बदलाव होगा तभी वह उस मकसद को पूरा कर सकेगी। जो बिल हमने पास किया है उसमें हमने एक प्राइवेट डिसआर्गेनाइज्ड मशीनरी के मुकाबिले में एक रूथलेस और वेल आर्गनाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को अधिकार दिया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कानून के जरिये से हो। वैसे कानून के जरिये भी बहुत-सी बातें होती हैं। मुझे अपना जाती तजुरबा है कि एक मर्तबा बिजनौर में मीटिंग हो रही थी। उसमें बहुत से डिपार्टमेन्ट्स के आदमी थे, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के भी थे। तो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के एक आदमी उठे और बड़े तपाक से उन्होंने नमस्ते किया। तो मैंने कहा कि आज तुम्हारी नमस्ते में कुछ जान नहीं मालूम देती। कहने लगे कि साहब, हम तो आपका पहले भी आदर करते थे लेकिन अब ऊपर से हुक्म आ गया है कि हमें पब्लिक के नुमाइन्दों के साथ अच्छा व्यवहार करना चहिये। तो सदाचार एक ऐसी चीज है जिसमें कानून से कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। मेरा यह विश्वास है कि अगर इन मसलों को अगले ३,४, ५ साल में हल नहीं किया गया तो इतिहास हमें बहुत-सी चीजों के लिये माफ नहीं करेगा। जैसा कि दुनियां में हो रहा है, रेवोल्यूशन के मुकाबिले में काउन्टर-रेवोल्यूशन अपने को ज्यादा सुदृढ़ करता चला जा रहा है। इसलिए और भी जरूरी है कि अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो अपनी यंगर जनरेशन को अपना साथी बनायें, उनमें सही माने में देश प्रेम पैदा करें, उनमें यह भावना जाग्रत हो उसके लिये वैसा साहित्य इकट्ठा करें, उस किस्म की शिक्षा का निर्माण करें।

एक शब्द और कह कर मैं खत्म करता हूं। यूनिवर्सिटी आटोनामी के बारे में मैं फिर उस चीज को दोहराता हूं, मेरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो एकोनामिक्स और हिस्ट्री पढ़ायी जाती है यह बिलकुल एंटी-थीसिस है सोशलिज्म के। मैं नहीं कहता कि आप अपना कंट्रोल बढ़ायें लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज को जहां लाखों रुपये देते हैं तो अपनी पालिसी भी उनको दें कि हमारी जो पालिसी है उस पर हमारे होने वाले बच्चों में, सोशलिज्म में और प्लानिंग में आस्था पैदा करें और जो उस पालिसी की डाक्टरिन्स हैं उन पर इम्फेसिस दें। लेकिन आजकल तो यूनिवर्सिटीज में सोशलिज्म एक चलता फिरता विषय है जिस पर प्रोफेसर भी पढ़ाते समय कह देता है कि इस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो प्राइमरी स्टेज, हायर सेकेन्डरी स्टेज और यूनिवर्सिटी स्टेज तक आपको वायस बदलना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप दखल बढ़ाइये। मुझे आदमी के बारे में इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दिलचस्पी मेरी इस बात पर है कि वायस बदल जाय और सच्चे ढंग से बदल जाय। तब हम देश में समाजवाद की सफलता के लिये उपयोगी वातावातरण पैदा कर सकेंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि हम अपने मुल्क को बनाने के लिये जो हमारी मौजूदा पढ़ी है या नई पीढ़ी है उसको इस लायक बना सकें कि देश की बहुमुखी प्रगति के लिये वह सहायक हो सके और हर दृष्टि से और हर पहलू से सहायक हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली को उसी पहलू से और उसी दृष्टि से बदलती हुई परिस्थितियों में ढालने की चेष्टा करें।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी के भाषण को हम बहुत गौर से सुन रहे थे। आंकड़ों द्वारा कुछ वक्तव्य देने के पश्चात् माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दूसरी तरफ के एक शब्द को पकड़कर कहा कि हमने आल राउन्ड प्रोग्रेस कर दी है। मैं इन आंकड़ों को उनके मुखारबिन्दु द्वारा सुनना नहीं चाहता था। वह तो हमें विभागीय रिपोर्ट आदि की पुस्तिकाओं में मिल जाते हैं, पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप सरकार ने तैयार किया है वहां से भी वह प्राप्त हो जाते हैं। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के १३ साल बाद निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी के मुखारबिन्दु से हम यह सुनना चाहते थे कि आखिर जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा के ऊपर एक भारी रकम हम खर्च कर रहे हैं उस शिक्षा की हमारी नीति क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम अपने शिक्षा जगत को कहां ले जाना चाहते हैं।

मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है और मंत्री जी भी शायद मानेंगे क्योंकि किसी अवस्था में, किसी मौके पर हमें यह बताने की कोशिश नहीं की गई कि हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि यह सही है कि हमने शिक्षा की नीति के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि "We are groping in the dark" अंधकार में हम ढूंढ़ रहे हैं। एक जुम्ले में कह सकता हूं। रुपया हम खर्च करते हैं और स्कूल खोलते चले जा रहे हैं और हमारा हर प्रयास जारी है लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? यह मंत्रिमंडल और किसी व्यक्ति से छिपा नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विभाग है जिसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और यह कीमती तजुरबे जो चला रहे हैं, इनका हमारे प्रदेश और समाज पर क्या परिणाम होगा इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। शिक्षा के जिस पहलू पर भी हम गौर करें चाहें वह प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे वह माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वह जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा हो, टेक्निकल शिक्षा हो, या यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, जिधर भी हम अपनी दृष्टि डालते हैं, माननीय मंत्री जी को यह गर्व हो सकता है कि उन्होंने आल राउन्ड प्रोग्रेस की है, लेकिन मैं निहायत ईमानदारी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति को कोई नजरअन्दाज नहीं कर सकता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने आल राउन्ड डेटरिओरेशन देखा है। शिक्षा के हर स्तर पर गिरावट दिखायी पड़ती है। लक्ष्यहीन, नीतिहीन कोई भी विभाग हो, चाहे वह शिक्षा का या अन्य कोई विभाग हो, उसका वही परिणाम होगा जो हम आज देख रहे हैं।

मुझे एक बात याद आ गयी। आज वह माननीय मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। जब अविश्वास के प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे थे तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि हमारे भारतीय संविधान में लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं है अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लिये। अनुच्छेद ४५ हमारे संविधान का डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकारें इस संविधान के लागू होने के १० वर्ष के भीतर अपने प्रदेश के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर देंगी। माननीय मंत्री जी के आंकड़े ही हमें यह बताते हैं कि आज लगभग १ करोड़ बच्चे जिनको दो साल पहले निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा प्रदान कर देनी चाहिये थी, उनमें से केवल ३६ लाख को हम स्कूल भेज सके हैं। मंसूबे बहुत अच्छे बनाये जाते हैं। बनने भी अच्छे चाहिये। लेकिन मंसूबा ऐसा होना चाहिये जो असलियत से मुताबिकत रखता हो। तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ८० प्रतिशत बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी के कथनानुसार और योजना

के प्रारूप से हमें मिलती है। लेकिन जो प्रगति चल रही है, जिस प्रकार नये स्कूलों के खोलने की व्यवस्था है जिस प्रकार बालकों का प्रवेश हो रहा है, उस रफ्तार के साथ में कह सकता कि केवल ५२-५३ प्रतिशत तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था कर पायेंगे। प्राइमरी शिक्षा, में भी दो तरह की शिक्षा हमें दिखायी पड़ती है, एक बेसिक शिक्षा, और दूसरी नान बेसिक शिक्षा दो तरह के पाठ्यक्रम हैं। जब हम एक जगह एक समान प्राइमरी शिक्षा मान्यवर, नहीं दे सकते—और यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही जड़ है तथा यहीं से बालक के जीवन की शुरुआत होती है और प्राइमरी शिक्षा का बहुत गहरा असर सारे जीवन के ऊपर पड़ता है, तो प्राइमरी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस को भी हम यह नहीं कह सकते कि वह कोई उसूली पाठ्यक्रम है और प्राइमरी स्कूलों की जो दशा है, जो उसका प्रबन्ध है चाहे वह सरकारी हो चाहे स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूल हों, उसे देखकर ही हम आज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आखिर हमारी शिक्षा का स्तर गिरने का क्या कारण है? प्राइमरी स्कूलों की इमारतों को जाकर आप देखें, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि आज ज्यादा नहीं तो कम से कम २० प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर बच्चों को बैठने के लिये छतें नहीं हैं, बरसात और गर्मियों की धूप तथा पानी से बच कर पढ़ने का कोई प्रबन्ध नहीं है। अध्यापकों की क्या हालत है? नार्मल स्कूल कुल आप तीन खोल रहे हैं नये वर्ष में। प्रशिक्षित अध्यापकों की आज कितनी कमी है, इससे माननीय मंत्री जी इनकार नहीं कर सकते हैं और एक प्रशिक्षित अध्यापक ही सही ढंग की शिक्षा हमारे बच्चों को दे सकता है इसके बारे में भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। आज अधिकांश स्कूल मान्यवर, आप को ऐसे मिलेंगे जहां पर अगर चार अध्यापकों की आवश्यकता है तो वहां केवल एक या दो अध्यापक हैं। अध्यापकों की हर जगह कमी है और ट्रेन्ड अध्यापकों की तो और भी ज्यादा कमी है। जिस रफ्तार से आप नार्मल और ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं उस रफ्तार से तो हम यह समझते हैं कि ट्रेन्ड अध्यापकों की जो कमी है उस को आप कभी पूरा नहीं कर सकते और सही शिक्षा हम अपने बालकों को कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। स्कूलों में बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं है। टाट भी नहीं मिलता है बच्चों को बैठने के लिये। बच्चे जब घर से निकलते हैं, मान्यवर, आप ने भी देखा होगा, एक तरफ वह अपनी किताब लेते हैं तो दूसरी तरफ वह टाट या बोरा भी अपने साथ लपेट कर ले जाते हैं। यह तो माननीय मंत्री जी का प्राइमरी स्कूलों का प्रबन्ध है और इस पर भी अगर माननीय मंत्री जी को गर्व है तो उनको गर्व रहे लेकिन मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों की दशा गिरती जा रही है। अध्यापकों की कमी, इमारतों की कमी, बैठने के लिये टाटों की कमी, किसी चीज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरे देशों से मुकाबिला करने में तो आप बहुत पीछे रहते हैं, अपने ही देश में आज हमारा नम्बर जब शुरू से देखा जाय तो हम हिचकते हैं। हमें शर्म लगती है कहने में, आखीर से हमारा, मान्यवर, दूसरा नम्बर है। शुरू से तो सोलहवां नम्बर है और आखीर से दूसरा या तीसरा नम्बर है। हमारे इतने बड़े देश का उत्तर प्रदेश सब से बड़ा सूबा है। सात करोड़ यहां की आबादी है और सात करोड़ की आबादी की यह हालत उस की प्राइमरी शिक्षा की है।

इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूलों की बात है और हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की बात है। आज अपने प्रदेश में यह बात बिलकुल साफ है कि प्राइवेट एजेंसीज ही माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध कर रही हैं। कुल १,६४३ रेकग्नाइज्ड स्कूल हैं। उनमें से सरकार की ओर से चलने वाले १३३ स्कूल हैं और बाकी १,५१० गैरसरकारी साधनों से संचालित होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा का पूरा भार प्राइवेट मैनेजमेंट के ऊपर होता है। मान्यवर, इस १५१० में भी कुल १,२६७ हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं, माननीय मंत्री जी के आंकड़ों के हिसाब से, जिनको कि अनुदान प्राप्त है, एडेड स्कूल जिनको कहते हैं। अभी कल या परसों की बात है, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि नियम यह है कि प्राइवेट स्कूलों में जो खर्चा होता है, आमदनी से जितना ज्यादा खर्चा होगा उसका ५० प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा सरकार एड देती है। लेकिन म यह दावे से कह सकता हूं कि इस नियम की

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव---]

पाबन्दी सरकार नहीं कर पायी है और आज बहुत से ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, २४३ संख्या इस वक्त है, जिन को कोई भी सहायता इस राज्य सरकार की तरफ से नहीं प्राप्त है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ६०० माध्यमिक शिक्षा संस्थायें ऐसी हो जायेंगी जिनको राज्य सरकार अनुदान नहीं दे पायेगी।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जिन को आज मान्यता प्राप्त है हम उन सब को दे देंगे।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव---यह आप मुझे समझा दीजियेगा। मैं तो जो आप के आंकड़े हैं उनके आधार पर कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो वे स्कूल जिनका मैं जिक्र कर रहा था वे व्यक्तिगत साधनों पर चलेंगे लेकिन देहातों में जो आमदनी का जरिया था वह खत्म हो गया है या बिल्कुल कम हो गया है, प्राइवेट मैनेजमेंट्स बहुत ही दिक्कत का अनुभव करते हैं उन स्कूलों को चलाने में। अब अगर सरकार भी उन संस्थाओं की सहायता नहीं करती तो उनका चलना मुश्किल हो जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार उन को सहायता दे।

मान्यवर, आज चारों ओर समातना, बराबरी, समाजवाद, जनतंत्र और बड़े बड़े उसूलों का नाम लिया जाता है लेकिन क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि कान्वेन्ट स्कूल्स क्या एक प्रिविलेज्ड क्लास आफ एडमिनिस्ट्रेटर पैदा नहीं करते हैं? उन स्कूलों का अलग से कैरीकुलम है, अलग से शिक्षा की व्यवस्था है और उन में कौन लोग पढ़ते हैं। आप के आफिसरान जो इस हुकूमत की रीढ़ बने हुये हैं उन्हीं के बच्चे उन स्थानों पर शिक्षा पा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव नहीं रखता केवल बोल रहा हूं। श्रीमन्, मैं शिक्षा को इस योजना के युग में आधारशिला मानता हूं जिस को इस योजना में प्रमुखता मिलनी चाहिये। जितनी योजनायें चल रही हैं उनमें और कल्याणकारी राज्य में मानव को कैसे बनावें और किस तरह से उनका उपयोग करें, उन को संचालित करें यह बहुत प्राथमिक आवश्यकता है और इसलिये मैं शिक्षा को आधारशिला मानता हूं।

दूसरी बात मैं यह भी मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार सन् ४७ से है और अभी भी नई सरकार और पुरानी सरकार की बात जैसा कि माननीय गोविन्दसहाय जी ने कहा, नहीं मानता। यह कांग्रेस की सरकार है। व्यक्ति तो बदलते रहते हैं लेकिन एक सिद्धान्त है और जो भी मंत्री होगा उस को उस आधार पर चलना पड़ेगा। व्यक्तियों के बदलने से नीति बदल जाय मैं ऐसा नहीं मानता। इसी आधार को लेकर कि कौन शिक्षा रहनी चाहिये मुझे आशा है माननीय मंत्री जी को उस को देखना चाहिये और मैं भी उसी विचार से अपने सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

मैं इस प्रदेश की शिक्षा के ४ विभाग कर रहा हूं---पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा।

हमारे प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति शून्य के बराबर है। मान्यवर, आजकल शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो यह प्रश्न बहुत व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है। अमरीका आदि में शिक्षा ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत प्रगति की है। पहले यह ध्यान था कि बच्चा मनुष्य का एक पाकेट एडीशन है, एक छोटी वस्तु है। मैं समझता हूं कि यह वस्तुस्थिति नहीं है। बच्चे का एक अलग जगत् होता है, उस की बुद्धि, उस के विचार, उस के तौर तरीके सभी अलग होते हैं इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना आवश्यक है। लड़कों

को किस तरह से आगे के जीवन के लिये तैयार करना चाहिये वह इसी स्थान पर होता है इसलिये यह प्रश्न बहुत महत्व पूर्ण है। मान्यवर, जो साहित्य हमको यहां शिक्षा के संबंध में मिला है उसे देखने से पता लगता है कि हमारे प्रदेश में कुल मिलाकर ९६२ स्कूल ऐसे हैं कि जो शिशु शिक्षा के लिये हैं और उनमें ५,५१४ छात्र पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल हैं ३९ हजार और जिनमें ३७ लाख छात्र पढ़ते ह। हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं १६७८ जिनमें २६३ लड़कियों के लिये हैं और १,४१५ लड़कों के लिये और ८ विश्वविद्यालय इस प्रदेश में हैं। तो साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में केवल ६२ प्रि-प्राइमरी एजूकेशन के विद्यालय हैं। यह संख्या बहुत ही न्यून है और इसी आधार पर हमने मांग की है कि जब मनोवैज्ञानिक आधार पर हमारी शिक्षा है तो हमारे बच्चे जो शिशु विद्यालय में पढ़ेंगे उनकी भावना भी उसी प्रकार विकसित होनी चाहिये। वह ऐसी अवस्था है कि जब बच्चों में संस्कार पड़ जाते हैं और उनके अनुसार ही उनका विकास होता है, उस समय अगर उनमें गलत संस्कार पड़ जाते हैं तो उसी प्रकार उनका विकास होगा।' हमारे प्रदेश में शिशु विद्यालय की कोई खास व्यवस्था नहीं है और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विद्यालयों पर आप का ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये क्योंकि प्राइमरी एजूकेशन के विद्यार्थियों की संख्या के साथ इन विद्यार्थियों की संख्या का कोई मुकाबला नहीं है।

शिक्षा का दूसरा अंग है लड़कियों की शिक्षा। १६०० विद्यालयों में कुल २५० लड़कियों के स्कूल हैं। हमारी आबादी बराबर की है और लड़कियों की तादाद भी बराबर है। वे होने वाली मातायें हैं, हमारे घरों का कामकाज देखने वाली हैं और हमारे भावी बच्चों को उन से ही संस्कार मिलने वाले हैं। इसलिये उनकी शिक्षा का एक बड़ा काम है क्योंकि बिना उसके यहां का मानव विकसित नहीं हो पायेगा।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरी योजना माध्यमिक शिक्षा की है। माध्यमिक शिक्षा में करीउ ४,१५८ जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें ८५,३६४ छात्र पढ़ते हैं। एक दृष्टि से पिछले ५, १० साल में इसमें काफी प्रगति हुई है किन्तु नियोजित ढंग से प्रगति नहीं हुई है। इन्टरमीडिएट बोर्ड को दो, दो लाख बच्चों की एक साथ परीक्षा लेनी पड़ती है। उसमें लड़के नकल करते हैं, फेल होते हैं और उन सब की व्यवस्था में बोर्ड को साल साल भर लग जाता है। इस सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। इतना विशाल काम हो गया है कि जिससे कठिनाई पैदा हो गई है इसीलिये इसको नियोजित करने की मांग की गयी थी। क्योंकि यही एक स्तर ऐसा है कि जहां से आप को क्लर्क मिल सकते हैं, अध्यापक मिल सकते हैं, साधारण नागरिक उसमें से ही निकलता है, इसलिये उसका महत्व है और इसका नियोजित ढंग से इस प्रकार वर्गीकरण करना चाहिये कि व्यक्ति अगर उच्च शिक्षा न भी प्राप्त कर सके तो भी इस शिक्षा के बाद अपने नागरिक के कर्त्तव्यों को पूरी तरह से अदा कर सके। यह नहीं हो पा रहा है और इस लिये अनियोजित ढग से वह शिक्षा प्रणाली चल रही है। यदि हम इसका नियोजन ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो आगे चल कर कठिनाई पैदा होगी। सदन में इसके लिये बार बार एक आयोग बैठाने की मांग हुई थी और तीन चार वर्ष की मांग के बाद एक आयोग बना भी है, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या विचार कर के से बदला और एक छोटी कमेटी बनाने की बात कही। कहा कि वह डिपार्टमेंटल कमेटी होगी। पूर्व में हमारे आयोग इस विषय मे बन चुके हैं और उनकी सिफारिशें भी हैं, हम क्यों नहीं उनके सुझावों को ही मान लेते ? लेकिन सरकार अफसरों की एक डिपार्टमेंटल कमेटी बना कर एक योजना चलाना चाहती है। मैं गोविन्द सहाय जी से सहमत नहीं हूं कि वे हमारे लिये कोई नीति दे सकेंगे। नीति निर्धारण तो सदन का, सरकार का काम है। सरकार नीति का निश्चय करती है और उस को कार्यान्वित करना अधिकारियों का काम है। वह नीति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

[श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी]

ब्योरोक्रेसी (नौकरशाही) की बड़ी दोहाई दी जाती है। हर दिन यह सुनने में आता है कि ब्योरोक्रेसी बढ़ रही है, ब्योरोक्रेसी का बोलबाला है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि नीति निर्धारित करना और उसके अनुसार कार्य करना यह दोनों बातें एक जगह नहीं होनी चाहिये। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं अगर वे ही नीति बनायेंगे और वे उनका पालन करेंगे तो ब्योरोक्रेसी बढ़ती ही जायगी। अगर नीति निर्धारित करने वाले लोग दूसरे हों और उनके अनुसार कार्य करने वाले दूसरे हों, तो मेरा खयाल है कि शासन अच्छी तरह चल सकता है। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही, जैसी कि इस समय है, तो इस तरह की शिकायत बराबर बनी रहेगी और इसमें कमी नहीं होगी।

श्री प्रतापसिंह--आप कुछ सुझाव भी तो दीजिये?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--आप सुनिये। एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये जो इन्टरमीडिएट बोर्ड बना हुआ है और जो अपना कार्य करता है उसका संगठन पुनः होने की आवश्यकता है। उसको आज हमें फिर से बनाना चाहिये तभी हमारा कार्य अच्छे ढंग से चल सकता है। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है।

आज जरूरत इस बात की है कि हमारे यहां शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति होनी चाहिये जो समय समय पर नीतियों के बारे में अपनी राय दे। उसकी राय के अनुसार ही प्रशासन को उस पर विचार कर अपना कार्य करना चाहिये। आज जो बोर्ड बना हुआ है उसका दायरा सीमित है और उसके अन्दर नीतियों की चर्चा नहीं हो पाती। उस को इतनी फुरसत ही नहीं रहती कि वह सारी बातों पर विचार कर सके। इसलिये अगर शिक्षा विशारदों की कोई कमेटी होगी तो वह इन सभी मामलों पर विचार कर सकेगी। माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत नहीं हूं। वे उसी शिक्षा प्रणाली से निकले हैं और वे शिक्षा के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन जो नान एजूकेशनिस्ट हैं वे नीतियों के संबंध में उचित राय नहीं दे सकते। माननीय गोविन्द सहाय जी ने जिस कमेटी के बारे में कहा, मैं समझ नहीं पाया, कि उनका उससे क्या तात्पर्य था।

एक सदस्य--यह कह क्या रहे हैं?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--राधाकृष्णन् जी की राय उत्तम कही जा सकती है, लेकिन उस के मुकाबले में १०० अन्य आदमियों की राय बेकार हो सकती है। संख्या के बल पर अगर कोई लोग राय दें तो यह जरूरी नहीं कि वह राय अच्छी हो। इसलिये मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप जो इस प्रकार की आज व्यवस्था है इसमें कुछ परिवर्तन कीजिये।

यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के बारे में भी कहा गया कि उनके लिये राजनीति में पड़ना जरूरी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक किसान को राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार है, एक मजदूर को राय देने का हक है जब एक वकील को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार है, तो क्या कारण है कि एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार न हो? नान टीचर्स कभी कभी ऐसी बातें कहने लगते हैं जिन को सुनकर आश्चर्य होता है। राधाकृष्णनन् जी ने भी इस बात को माना है कि एजूकेशन में पालिटिक्स को इन्ट्रोड्यूस नहीं करना चाहिये। जो टीचर होता है वह हर विषय का अच्छा ज्ञान रखता है। वह पोलिटिक्स भी पढ़ाता है। तो वह पालिटिक्स में भाग न ले, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

एक बात और कहनी है। माध्यमिक परिषद् में थोड़े दिन हुए अध्यापकों को सुरक्षा दी गयी और वह इस प्रकार से योजना आयी कि उसके अन्तर्गत जो सुरक्षा हुई वह परिपक्व नहीं हुई है, उसमें खामियां रह गयीं और इसी बीच में कानपुर में शिक्षा मंत्री जी ने

कहा है कि शिक्षकों के लिए व्यवस्थापकों द्वारा बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल गयी हैं। तो मैं कहूंगा कि वह व्यवस्था जो आपने दी है कानून में उसका लाभ अध्यापकों को नहीं मिला है। आप उसको देखिये। अगर सुविधा ज्यादा हो तब तो ठीक है। इसीलिये अध्यापकों ने प्रदर्शन किया था। तो उस को पुनः देखें और अगर वांछित सुविधा नहीं मिली है तो वह उन को देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा के इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे शिक्षा पर बोलने का समय दिया।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने दोनों तरफ की बातें सुनीं। इसकी सचमुच में बहुत ही जरूरत है। शिक्षा ही से हमारे प्रदेश के बच्चे और बच्चियों का सुधार होना है। लेकिन, मान्यवर, मैं आप के द्वारा पहली बात यह कहना चाहती हूं कि शिक्षा का सुधार कैसे हो सकता है। आजकल जो अध्यापक और अध्यापिकाओं की तनख्वाह है उससे तो उनकी गुजर, मान्यवर, होती नहीं और इसीलिये वह दिलचस्पी से बच्चों और बच्चियों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनके साथ परिवार है और जब तक परिवार की परवरिश का कोई जरिया नहीं है, वह दूसरा काम ढूंढ़ने के लिये बाध्य हैं, इसलिये दिलचस्पी से नहीं पढ़ाते।

मैं देखती हूं कि सरकार ने काफी इन्तजाम किया। जब से कांग्रेस सरकार आयी, विश्वविद्यालय खुले, कालेज खुले, देहात में स्कूलों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन जो उन्नति और जैसी प्रगति होनी चाहिये, बच्चों और बच्चियों का सुधार होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। यह देख कर मुझे बड़ी हैरत और परेशानी होती है। इसलिये मेरा आप के द्वारा सरकार को यह सुझाव है कि अध्यापक और अध्यापिकाओं की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए जिससे कि उनके परिवार की गुजर-बसर हो ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ायें। चार रुपये से कुछ नहीं होता। वह तो काम ढूंढेंगे ही, इसीलिए दिलचस्पी से नहीं पढ़ा सकते।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहती हूं कि ये जो पाठ्य पुस्तकें बच्चों के लिये हैं, एक-एक बच्चे के पास इतनी पुस्तकें हैं कि जिनको पढ़ते-पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि दो तीन पुस्तकें ऐसी रखी जायं जो बच्चों और बच्चियों के दिमाग में घर कर जायं, पढ़ते-पढ़ते उनका हर एक शब्द उनको याद रहे। लेकिन जब इतनी इतनी पुस्तकें उन्होंने पढ़ीं तो फिर फायदा क्या हुआ उस इम्तहान का कि साल भर में ३ घंटे का टाइम परीक्षा के लिए दिया जाता है। सोचिये कि कौन-सा ऐसा दिमाग होगा कि ३ घंटे के टाइम में पूरे साल भर के कोर्स की परीक्षा दे सके? तो मेरा यह सुझाव है कि बच्चों का मासिक इम्तहान होना चाहिये, ताकि जितना अध्यापक और अध्यापिकायें पढ़ाएं वह उनको याद रहे और ठीक से उसका ब्योरा लिख सकें। पढ़ाई के नाम पर इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिये।

आज कल काफी स्कूल और काफी कालेज खुले हैं। उनमें जब तरक्की हो तो यह भी जरूरी है कि वहां बच्चों के लिए व्यायामशाला की भी व्यवस्था हो। क्योंकि अगर पढ़ते ही रहेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे या खेलेंगे नहीं तो उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? इसलिये हर स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में और देहात में भी व्यायाम- शाला जरूर होनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इसे जरूर करेंगे।

मान्यवर, जब हमारे जो स्कूल हैं उनका ही ठीक से इन्तजाम नहीं हो रहा है तो और बढ़ाने से क्या फायदा? मेरा सुझाव है कि पहले इन्हीं संस्थाओं को ठीक किया जाय जो इस समय हैं। उन्हीं से जितने लड़के-लड़कियां निकलेंगी वे ही हमारे देश के लिये काफी हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी]

वहां अध्यापक और अध्यापिकायें देखें कि इस बच्चे या बच्ची की रुचि किस विषय में है, और वही उसे पढ़ाया जाना चाहिये ताकि बच्चे का दिल लगे। हमारे स्वतंत्र देश की रक्षा करना उन बच्चे और बच्चियों के ही हाथ में है।

मान्यवर, एक मेरा आपके द्वारा यह भी सुझाव है कि जो बच्चे कमजोर हैं या पिछड़े हुये हैं पढ़ाई में, उनके लिये अलग से क्लास होनी चाहिये ताकि वे भी दूसरों के बराबर आकर तरक्की कर सकें। वहां पर यह भी देखा जाय कि कौन बच्चा पढ़ाई में या शरीर में कमजोर है। कमजोर बच्चों के लिये या सभी के लिये कुछ खाने का भी इन्तजाम होना चाहिये। जब सरकार का यह मत है और विचार है कि हमारे प्रदेश के बच्चे और बच्चियों का सुधार हो तो इस तरह से अगर काम किया जायगा, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। तरक्की तभी होगी जब हम उसे बड़े गौरव से देखेंगे।

मान्यवर, इतना ही कहने के लिये मैं खड़ी हुई थी।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती क्योंकि यदि एक रुपया कुल बजट में रह गया तो यह चलती हुई सारी ही गाड़ी रुक जायगी। मैं माननीय मंत्री जी को ऐसा सुझाव कभी नहीं दे सकती।

माननीय गोविन्दसहाय ने मेरा काम बहुत हलका कर दिया। जो कुछ मैं कहना चाहती थी, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। इसलिये उनको मैं धन्यवाद देती हूं।

अब मैं उपस्थित मांग का समर्थन करती हूं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा में उन्नति नहीं हुई, तो भी कुछ उन्नति तो हुई है और हो रही है। इतना धन खर्च करते हुए तथ्य यह है कि १० फीसदी लिटरेसी से १७ फीसदी अब कुल हुई है। और इतने वर्षों में ७ फीसदी अपनी लिटरेसी आगे बढ़ा सके तो जरा अन्दाजा लगाया जाय कि कितने गुना बजट हमको चाहिये जिससे हम यहां ८० फीसदी या शतप्रतिशत लिटरेसी ला सकें। और उस पर तुर्रा यह कि यह कुल बजट का १३ प्रतिशत है लेकिन शिक्षा का बजट जो आपने यहां प्रस्तुत किया है उसमें हमारा हिस्सा केवल १० प्रतिशत ही रखा है। कहा यह जाता है कि बहनों की जनसंख्या ५० प्रतिशत है तथा वे पिछड़ी हुई भी है, लेकिन उनके लिये बजट में रखा जाता है १० प्रतिशत। लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने ग्रामीण जनता की तरफ ध्यान देकर देहात में शिक्षा देने वाली अध्यापिकाओं के लिये होस्टल खोलने का प्रयत्न किया है। इसमें भी संदेह नहीं है कि पाठशालाओं में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अध्यापिकाओं की संख्याओं में वृद्धि हुई है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस तरफ हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते थे, उनको नहीं ले जा सके हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह था कि हमारे बच्चे चरित्रवान बनें, बुद्धिमान बनें, बलशाली बनें और आत्मविश्वासी बनें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाये।

हमारी दो प्रकार की शिक्षा है—(१) साधारण और (२) टेक्निकल। टेक्निकल शिक्षा की हालत यह है कि बच्चों को जब यह शिक्षा दी जाती है तो बड़ी बड़ी मशीनों पर दी जाती है। मान्यवर, जब वे बाहर निकलते हैं तो छोटी पूंजीवाले होने के कारण वे बड़ी मशीन नहीं खरीद सकते, इसलिये अपने को काम करने के अयोग्य पाते हैं। अतः वे नौकरी की तलाश में द्वार द्वार घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिये मौजूदा सरकार से मेरा निवेदन है कि वह छोटे छोटे औजारों पर काम सिखाये जिससे वह थोड़ी पूंजी लगाकर अपना काम कर सकें। आज हालत यह है कि मोटर मिकेनिक सरकार द्वारा सिखाया हुआ आपको ४० रुपये में मिल जायगा जब कि साधारण इधर उधर से सीखा हुआ लुहार और बढ़ई, राजगीर ३–३, ४–४ रुपया रोज से कम नहीं लेता है। इस दृष्टि से छोटी-छोटी मशीनों पर एजूकेशन देने पर ध्यान दिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि बड़ी-बड़ी टेक्निकल एजूकेशन देने की भी आवश्यकता है क्योंकि बड़े-बड़े कामों के लिये भी हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है। मैं इसमें भी एक सुझाव देना चाहती हूं। देश की गरीबी को देखते हुए और देश की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि बिड़ला, और टाटा, जिन लोगों के बड़े बड़े कारखाने हैं, उनसे कहा जाय कि अपनी फैक्टरियों के नजदीक बड़े बड़े इस प्रकार के कालेजेज खोलें और विद्यार्थियों को शिक्षा दें। इससे दो लाभ होंगे। एक तो वे अपने इंजीनियरों से उनको शिक्षा दिला लेंगे और उनको उसके लिये अधिक खर्च भी न करना पड़ेगा। इसका दूसरा लाभ यह भी होगा कि जो बच्चे वहां पढ़ने जायेंगे उनको कारखानों में प्रैक्टिकल शिक्षा मिल सकेगी और उनका जो अनुभव होगा वह बहुत अच्छा होगा।

इसके बाद साधारण शिक्षा की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। उसके लिये जितना बजट सरकार ने मांगा है वह कम ही है। ठीक है, ज्यादा होना चाहिये। लेकिन हमारा देश गरीब है इसलिये जरूरत इस बात की है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा के लिये एक कमेटी बनायी जाय जो बड़ी गंभीरता से इस ढंग की शिक्षा के लिये प्रबंध करे जिससे अधिक से अधिक लाभ लोगों को, कम से कम धन का बोझा सरकार पर डाले बिना पहुंचा सके। इन कर्मचारीवर्ग की समझ में, जो कान्वेन्ट स्कूलों में पढ़े हैं, हमारी रूपरेखा तो आ नहीं सकती। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनकी मनोवृत्ति की वजह से इस तरह की चीजें हैं। शिक्षा का ढ़ंग बिलकुल गलत है। दान का स्रोत खत्म हो रहा है। अगर हम शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको चाहिये कि प्राइवेट शिक्षा को इनकरेज करें। अगर कोई गरीब चपरासी है, मिलों के मजदूर तथा अन्य मजदूर आदि या और भी कोई सरकारी नौकर है जो नौकरी करते हुए भी, प्राइवेट शिक्षा के जरिये आगे को बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। चपरासी को भी इस बात का हक है कि प्राइवेट शिक्षा के जरिये वह अपने स्तर को ऊंचा कर सके। अगर कोई अपने छोटे पद से इम्तहान पास करके आगे बढ़ सकता है तो उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये। अगर आपको लिटरेसी बढ़ानी है तो आपको इसके लिये लोगों को उत्साहित करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जब तक हम प्रजातंत्र को मानते हैं और लोगों को मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते तब तक फीस ग्रेडेड होनी चाहिये। ग्रेडेड फीस होने का तात्पर्य यह है कि जिनकी आमदनी १०० रु० तक हो उनके बच्चे से जूनियर हाई स्कूल तक कोई फीस न ली जाय। गरीब तथा योग्य बच्चों की तो हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक भी फीस नहीं लगनी चाहिये। १०० रु० से लेकर ३०० रु० की आमदनीवालों की पूरी फीस लगे, और ३०० रु० से ५०० रु० की आमदनीवालों पर डबल फीस लगे और ५०० रू० से ऊपर की आमदनी वालों से तिगुनी फीस ली जाय, इसलिये कि गरीबों के ऊपर फीस का कोई भार न पड़े और सरकार पर भी अधिक बोझ न पड़े।

खादी को शिक्षा का आधार माना जाय और स्थानीय क्राफ्ट को भी स्थान देकर शिक्षा संस्थाएं चलाई जायं। अगर चर्खे का प्रबन्ध सब स्कूलों में अनिवार्य रूप से कर दिया जाय जहां बच्चे एक घंटा रोज सूत काता करें तो उससे भी काफी आमदनी हो सकती है। ४० विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक हो और एक घंटा वे चर्खा चलावें और गैरहाजिरी भी निकाल दी जाय तथा दो पैसे रोजाना के हिसाब से भी जोड़ें तो ३० रु० माहवार की उत्पत्ति एक कक्षा में दर्जा दो के ऊपर होने की आशा की जा सकती है। एक घंटा स्थानीय क्राफ्ट हो तो इस तरह से हम अपने गरीब देश और प्रदेश को आगे को सीमा तक ले जा सकते हैं। अध्यापकों के लिये भी यह एक सहायक चीज हो सकती है वरना वे छटपटा कर रह जाते हैं। हर ग्रामीण अध्यापिका बुनकर हो, पाठशालायें विकास केन्द्र हों। इसलिये उनके लिये कोई काम होना चाहिये।

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

दूसरी बात यह कहनी है कि अगर यह कर दिया जाय कि भेदभाव मिटाने के लिये एक यूनिफार्म ऊपर से नीचे तक के सभी स्कूल कालेजों के छात्रों के लिये कर दी जाय, पैरेन्ट्स को समय दिया जाय कि वह इतने समय में सुभीते से इस तरह की मोटे से मोटे खद्दर की सस्ती यूनिफार्म अपने बच्चों के लिये तैयार करा लें ताकि जो हमारे प्रदेश में गरीब और मध्यवर्ती पैरेन्ट्स हैं वे भी अपने बच्चों के लिये यूनिफार्म की सुविधा कर सकें। आज होता यह है कि एक तरफ तो बड़े आदमी का लड़का सौ रुपया का सूट पहन कर आता है और उस को देखकर मिडिल क्लास के पेरेन्ट्स का बच्चा भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही सूट बना दिया जाय। तो उसके दिल पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये यह अच्छा हो कि सब की ड्रेस एक-सी हो। इससे एक समदृष्टि बनेगी और लोगों में एक प्रकार की प्रेरणा पैदा होगी, और मध्यवर्ती पेरेन्ट्स के ऊपर खर्चा भी कम हो जायेगा।

एक बात और मुझे कहनी है और वह यह है कि गांवों में दो प्रकार की शिक्षा संस्थायें हों। एक तो उन बच्चों के लिये हों जिन बच्चों को हम स्कूल भेज सकते हैं यानी उन बच्चों के लिये जिनके पेरेन्टस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहां बहुत संख्या उन बच्चों की भी है कि जिन के मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि उन के लिये उनको अपने घर के और खेती के कामों में लगाना जरूरी है। अक्सर यह होता है कि गरीब गांव के लोग अपने बच्चों को गाय-भैंस चराने, या खेत रखाने, छोटे बहिन-भाइयों की देख-रेख को छोड़ देते हैं और अगर वह उनको स्कूल भेज दें तो उनका काम नहीं चल सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाय और १२ बजे से २ बजे तक पढ़ाने के लिये ऐसे बच्चों के लिये कुछ शिक्षकों को थोड़ा एलाउन्स देकर व्यवस्था कर दें ताकि उन की भी शिक्षा हो सके। अगर इस तरह से यूनिवर्सल एजूकेशन सब के लिये हो जायगी तो फिर यह न होगा कि स्कूलों में झूठा नाम लिखा कर लोग अपने बच्चों को न भेजें और कागज पर ही नाम लिखा रहे। इस से उन की सहायता भी हो जायगी और बच्चों के लिये शिक्षा का भी प्रबन्ध हो जायगा और वह आसानी से केवल १२ बजे और २ बजे के बीच में थोड़ी शिक्षा पा सकेंगे।

प्रौढ़ शिक्षा की भी अभी हमारे यहां बहुत आवश्यकता है। यदि हमारे यहां जो बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुष हैं वे भी पढ़-लिख जांय तो बहुत उत्तम है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जो लड़के हाई स्कूल, इन्टर, बी० ए० और एम० ए की परीक्षा देते हैं वह अधिकतर ३ महीने तक अपनी छुट्टियों में घूमते रहते हैं और उन में से बहुत से लोग देहात से आते हैं। यह कर दिया जाय कि उनको परीक्षा की डिग्री तभी दी जाय जब वह छुट्टियों में प्रौढ़ों को पढ़ाने का काम कर चुकें। कर्मचारी वर्ग कह सकता है कि यह चीज व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उन पर प्रतिबन्ध लगाना बड़ा कठिन है। मैं समझती हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारे देश के विद्यार्थियों में देश के लिये इतना त्याग और प्रेम होना चाहिये कि वह समझें कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, उस के हर नागरिक को योग्य बनाना है। देश के निर्माण के लिये ऐसा क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिये हर विद्यार्थी के मन में एक झलक होनी चाहिये, हर एक को समझना होगा कि हमारा यह देश है और हमें इस का निर्माण करना है और उसकी उन्नति में जैसे भी हो, योग देना है। उसको जाग्रत बनाने में हमारा भी हिस्सा है। अगर इस तरह से हम अपने देश के लिये अच्छे चरित्र का परिचय देंगे तो हमारे देश के सभी लोगों का चरित्र खुद बखुद ऊपर उठेगा। हमें जिस राष्ट्र ने पैदा किया है, जिसमें हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है उस राष्ट्र के प्रति मैं द्रोह करता हूं अगर उसका पैसा और टाइम बर्बाद करूं। यूनीवर्सिटी एजूकेशन के अन्दर भी ग्रेडेड फीस होनी चाहिये। यह न हो कि गरीब आदमी के बच्चों को भी उतना ही देना पड़े जितना कि अमीर आदमी के बच्चों को, १०० रुपया पाने वाले को भी उतना ही देना पड़े जितना कि ५०० रुपया पाने वाले को। इस तरह से गरीब देश आगे बढ़ पाएगा।

बहनों की शिक्षा की हालत को देख लीजिये। वह बहुत शोचनीय है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता में से कुल १,५०० लड़कियां जूनियर हाई स्कूल में बैठी हैं। मंत्री जी ने बार-बार कहा कि हम बहनों की शिक्षा को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसका तरीका क्या होगा? आज थोड़ी-बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां शादी होकर गांवों में जा रही हैं। तो यह मालूम किया जाय कि किस-किस गांव में पढ़ी-लिखी बहनें हैं और उन्हीं के सुपुर्द या उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर वह कार्य कराया जाय और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वह गांवों को अपना समझें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से देश के निर्माण में सहयोग हो सकेगा। एक ही क्षेत्र एक्सपेरोमेंट के लिये ले लीजिये। मैं समझती हूं कि ६ महीने के अन्दर या एक साल के अन्दर ही लोगों के अन्दर एक लहर दौड़ जायगी।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जो अनएम्प्लायमेंट का मूल है इसको अगर दूर करना है, जैसा कि सबका इरादा है, तो आरम्भ से ही बच्चों के सामने निर्माण का उद्देश्य रखिये। उस निर्माण की भावना को पैदा करके ही हम आगे चल सकते हैं। माननीय मंत्री जी को मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में खोलने के लिये धन्यवाद देती हुई मैं फिर से इस बजट का समर्थन करती हूं। मुझे आशा है कि एक कमेटी बना कर पूरी तरह से इसके ऊपर गौर करके हमारे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जायगा जिससे चरित्रवान और बलशाली लोग पैदा हो सकें।

श्री अध्यक्ष—माननीय मोतीलाल अवस्थी, जो बहस के लिये आपने प्रश्न रखा था माध्यमिक शिक्षा के लिये समिति बनाने के बारे में, तो अब चूंकि शिक्षा के ऊपर बहस हो रही है तो मैं समझता हूं कि इसी में आपको थोड़ा समय दे दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसमें कैसे होगा?

श्री अध्यक्ष—आप २५ मिनट ले लीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—उसमें तो २ घंटे होंगे।

श्री अध्यक्ष—२ घंटे आपको ही थोड़े मिलेंगे, कई लोग बोलेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसमें कैसे हो सकता है? वह तो यथावत् बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष—यही तो मैं कह रहा हूं कि जब इसमें हो जायगा तो उसकी जरूरत क्या है?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं तो चाहता हूं कि जो तारीख है उसके लिये वह तो रहे ही और आप मुझे इस वक्त जो रियायत दे सकें वह दे दें।

श्री अध्यक्ष—फिर रियायत नहीं मिलेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अभी दीपनारायणमणि जो बोल चुके हैं और अब दूसरे अध्यापक को भी आपने समय दे दिया तो और लोगों को भी समय मिलना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आज बड़े ध्यान से अपने नये मत्री जी का भाषण सुन रहा था। नये मंत्री जी आचार्य हैं। मैंने बड़ी आशा की थी कि किसी आचार्य के मुंह से मैं शिक्षा के संबंध में कुछ नई बात सुनूंगा। मुझे इसलिये भी आशा हुई कि जो हमारे अभी तक शिक्षा विभाग के मंत्री थे वह इस प्रकार से आचार्य नहीं थे और जब कभी उनसे शिक्षा सुधार के बारे में मांग की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाने के लिये सोच रही है। हां, मुझे थोड़ी-सी यह बात याद आई जो गोविन्द सहाय जी ने तर्क पेश किया, जिसके लिये शिक्षा मंत्री ने टोका भी कि किन शिक्षा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

विशारदों के बिना शिक्षा में वह परिवर्तन कराना चाहते हैं, क्या कोई कमीशन ऐसा चाहते हैं जिसमें शिक्षा विशारद न हों ? गोविन्द सहाय जी का इशारा यही था कि शिक्षा विशारदों के बिना जो सुधार हो वह देश के लिये उत्तम हो सकेगा। उनकी इस राय के बावजूद भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने जो शिक्षा सुधार के लिये एक आयोग की प्रस्तावना की थी उसमें उसके अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे और शायद इसी बात को दृष्टि में कर वह अपनी बात कह रहे थे।

आज हमारे सामने शिक्षा सुधार के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है। जो कुछ विश्व-विद्यालयों की या माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुधार का प्रयत्न किया था उस सब पर कालिमा फेर दी गयी है। एक नये प्रकार का सुधार आज शिक्षा मंत्री द्वारा सुनने को मिला। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली जिसके शब्द इस प्रकार हैं :—

"It is felt that the basic problems of Secondary Education do not need any further examination immediately."

तो मालूम यह हुआ कि वर्तमान सरकार माध्यमिक शिक्षा में कोई सुधार करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती। यह भी उन्होंने घोषणा की कि इस शिक्षा में एक दूसरा सुधार करना चाहते हैं। वह है बेसिक एजूकेशन के बारे में। उन्होंने यह १ माह पहले कहा था। अब क्यों विलम्ब हुआ और कोई कमेटी मुकर्रर नहीं हो पाई ? क्या हम आशा करें कि वह यह सोचते ही रह जायेंगे जब तक कि मंत्रिमडल में दूसरा परिवर्तन आ जाय ?

बेसिक एजूकेशन के बारे में जो सरकार ने बतलाया उसमें परिवर्तन करने के लिये उसके महत्व को हम जानते हैं। सरकार को यह महसूस कर लेना चाहिये कि शिक्षा जगत में यह प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है। हमारे वित्त मंत्री के भाषण में यह बात जाहिर हो चुकी है कि संविधान में हमें निदेश मिला हुआ है कि १४ साल तक के बच्चों को १० वर्ष में यानी १९६० तक अनिवार्य शिक्षा में शिक्षित कर दें। हम इतने पिछड़े हुए हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, कि ११ साल से १४ साल तक के बच्चों को वह १८ फीसदी शिक्षा दे पायें हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २२ फीसदी शिक्षा दे पायेंगे जबकि १०० फीसदी शिक्षा सन् ६० तक करनी थी। कितना वह पीछे हैं इसको शिक्षा मंत्री स्वयं सोच लें।

शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि शिक्षा में सुधार बेसिक एजूकेशन के जरिये करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ उन्होंने खेती के विषय को जोड़ दिया है और इससे वे खेती के व्यवसाय को तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि वह १४ हजार एकड़ जमीन पर लड़कों को लगा चुके हैं और ९ लाख रुपयों का गल्ला उन्होंने उपजाया है। मैं जानना चाहूंगा कि ये आंकड़ें उन्हें कहां से प्राप्त हुए ? यह उपज जो बतलाई गयी है वह बेसिक स्कूल में जो जमीन लगी हुई है उसमें विद्यार्थियों द्वारा की गयी उपज नहीं है। यह किराये के मजदूरों तथा बैलों द्वारा उपज है। विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया जाता है और उनका समय जो वास्तव में शिक्षा में होना चाहिये वह उनसे छीन लिया जाता है। कृषि की तरफ कितने विद्यार्थी लगाये जा रहे हैं और कृषि की ओर देश कितना बढ़ा है ? इन बच्चों को हमें नया विज्ञान सिखाना चाहिये। मुझे आशा थी कि जूनियर स्कूलों में सरकार विज्ञान के विषय को प्रोत्साहन देगी लेकिन जूनियर स्कूलों में सरकार १/३ स्कूलों में ही विज्ञान की व्यवस्था कर सकी है और हायर सैकिंडरी स्कूलों में ऐसा नियम है कि जब तक उनके पास १० हजार रुपये न हों एक्सेसरीज व इम्पलिमेंट्स न हों, साइंस के औजार न हों तबतक उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। लिहाजा होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विद्यार्थियों को साइंस पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। आखिर सरकार शिक्षा की किस प्रकार उन्नति करना चाहती है ? यह कहा गया कि ५३ लाख विद्यार्थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कूल जायंगे। इनमें से ३५ लाख विद्यार्थी तो प्राइमरी शिक्षा में हैं और ५ लाख सीनियर बेसिक स्कूल में

हैं और करीब ८ लाख उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिखायी पड़ते हैं। प्राइमरी स्कूल में तो ६ से ११ साल की उम्र के ही बच्चे होते हैं। उनको तो हम अलग छोड़ क्योंकि उनमें तो बचपने का ही स्वभाव रहेगा, लेकिन ११ से १४ साल तक के विद्यार्थियों में हम एक नयी प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी ५ लाख है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ८ लाख हैं। इन १३ लाख विद्यार्थियों को ही सरकार कोई देन दे सकती है। इन १३ लाख विद्यार्थियों को सरकार कौन-सी नयी देन देना चाहती है? मुझे आशा थी कि सरकार इन विद्यार्थियों के बारे में कुछ बतायेगी। मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक के नाते ही जब मैं विधान सभा में आया था तो यह आशा लगा कर आया था कि शिक्षा की कुछ बातें मैं सरकार से पूछूंगा और बताऊंगा लेकिन साढ़े चार साल होने के बाद भी मैंने इस सरकार से तो कुछ नहीं पाया और न वर्तमान शिक्षा मंत्री से कुछ सीखने के लिये मैं तैयार हूं। जहां तक हमारे बताने की बात है इन साढ़े चार सालों में विरोधी पक्ष का एक भी सुझाव सरकार ने नहीं माना है।

आज वर्तमान शिक्षा मंत्री के द्वारा जब यह सुनने को मिलता है कि जितने भी आयोग मुकर्रर थे वे सब समाप्त कर दिये जायंगे, हां, एक आध बेसिक कमेटी बनायी जायगी और सरकारी डिपार्टमेंटल कमेटियों के द्वारा सुधार होंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ३७ लाख विद्यार्थियों में से ५ लाख तो जूनियर बेसिक स्कूल्स में पहुंचते हैं। उसमें ८ लाख विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक में और बढ़ जाते हैं। उन ८ ल ख में से ५ लाख हायर सेकेंडरी तक जाते हैं और ३ लाख इंटरमीडियेट तक जाते हैं और उसका भी एक तिहाई हिस्सा यूनिवर्सिटी में जाता है। तो विद्यार्थियों की बहुल संख्या हम माध्यमिक शिक्षा तक ही पहुंचा पाते हैं और उनकी उम्र ११ से १७ साल की होती है। यही एक स्थान है जहां सरकार शिक्षा में एक मोड़ दे सकती है। लेकिन अभी तक मैं यही कहूंगा कि शिक्षा विभाग ने नहीं के बराबर कार्य किया है। हमारे गोविन्द सहाय जी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन या हेड आफ दि डिपार्टमेंट अगर चाहें तो एक नया मोड़ ला सकते हैं। तो क्या वे चाहते हैं कि यह सरकार अधिकारियों के पीछे चलने वाली सरकार हो? और फिर ये मंत्री लोग क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री क्या इतनी अपनी बुद्धि भी छोड़ देंगे कि वे स्वयं कोई पालिसी नहीं बनायेंगे बल्कि उन की सहायता कोई सरकारी अधिकारी करेगा?

कहा गया कि हमने इंटरमीडियेट एजूकेशन (अमेंडमेंट) बिल के जरिये बड़ा सुधार किया। इस बिल के द्वारा कुछ अध्यापकों के वेतन में और उनके संचालन का सुधार किया गया या कुछ प्रशासन योजना आदि में सुधार किया गया लेकिन शिक्षा में कौन सी नयी मोड़ लायी गयी? श्रीमन्, करीब ५ लाख ८३ हजार लोग एम्पलायमेंट एवसचेंज में लिखे हुये मौजूद हैं जिनमें केवल ७० हजार को ही आप नौकरी दे पाये। ५ लाख के करीब तो आज भी बेकार बैठे हुये हैं। मुख्य मंत्री जी ने जब अपना पद संभाला और उन्होंने भाषण दिया तो मैंने सोचा कि शायद वह कोई नई बात बतायेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम शिक्षा का दरवाजा बंद करते जायंगे और आगे चल कर विद्यार्थियों की ऐसी छटनी करेंगे जिससे बहुत कम लड़के आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब देखिये वैसे ही हमारा प्रदेश शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और इस पर भी कहते हैं कि हम शिक्षा का दरवाजा बंद करते जायंगे। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का उद्देश्य और लक्ष्य है तो मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षा का सुधार किस दिन होगा और किस दिन शिक्षा के दरवाजे सब के लिये खुलेंगे। अभी तक श्रीमन्, कोई सुधार नहीं हुआ।

आज हमारे विद्यार्थी बड़े उतावले हो रहे हैं। अभी तक तो वह शिक्षा ले कर अपना-अपना नाम बेकारों के रजिस्टर में दर्ज कराते हैं और इतना ही नहीं बल्कि आत्मघात कर लेते हैं। एक विद्यार्थी मरने जा रहा था उसको हमारे नेता के पास लाया गया। अब उसके लिये आप लोग उपाय बताइये। उसको मंत्री जी के पास भेज दूं या मुख्य मंत्री जी के

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पास भेज दूं ? उसके लिये कोई रास्ता होना चाहिये । आज एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थी रेल के नीचे कुचलने के लिये तैयार रहते हैं। क्या यह दुख की चीज नहीं है ? क्या यह आपके ध्यान देने की बात नहीं है ?

श्रीमन्, हमारे सामने बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सोच कर आश्चर्य होता है। आंग्ल भारतीय शिक्षा के बारे में सरकार ग्रांट देती थी, वह बंद हो गई है। लेकिन प्रगति की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ६,६८,००० रुपया शिक्षा संहिता के मुताबिक इन स्कूलों को ग्रांट इन एड देंगे। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जितने यह स्कूल खुले हुये हैं वहां सब चीजें विदेशी हैं और वहां के विद्यार्थी अच्छी हिन्दी भी नहीं जानते क्योंकि उनके सिलेबस में उच्च हिन्दी नहीं है और अगर है भी तो नाममात्र के लिये। उनको हिन्दुस्तान का इतिहास तक नहीं पढ़ाया जाता है....

श्री टीकाराम पुजारी—व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन्, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें तो बड़ी कृपा हो पता नहीं यह अंग्रेजी भाषा है या इन्द्र लोक की भाषा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्री टीकाराम जी को टोकने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन मैंने एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं कहा है। इस बजट में एक विचित्र बात है। इसमें लिखा हुआ है कि यूरोपियनों के लिये एक मद बनी हुई है और उसके नीचे लिखा है 'दूसरों के लिये'। अब यूरोपियनों के लिये बजट है तो क्या हम लोग 'दूसरों में' आते हैं। हम 'दूसरे' हुये और वह 'मालिक' हुये। आज भी बजट में इस स्थान पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम 'दूसरे' हुये और यूरिपियनों के लिये मांग मौजूद है। क्या इतना सुधार भी नहीं किया जा सकता है ? इनको ऐसा करने का साहस नहीं होता है क्योंकि बजट में ऐसा होता चला आ रहा है। मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने में यह प्रवीण हैं।

श्रीमन्, आज शिक्षा के संबंध में हमारे सामने २२–२३ करोड़ रुपये का बजट रखा हुआ है। इस सरकार ने एक लम्बी फेहरिस्त बताई कि हमने यह उन्नति की, वह उन्नति की। लेकिन सही बात तो यह है कि आप लोग जरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें तो आपको असलियत का पता चलेगा। जिला परिषदों की हालत यह है कि कोई नया स्कूल खोलना पसन्द नहीं करता है। वह कहते हैं कि हमारे यहां सर्वेक्षण हो चुका है कि दो तीन मील में कोई स्कूल नहीं होने देंगे। अब बताइये गांव वाले कहां जायं ? वह रुपया देने को तैयार हैं, स्कूल के लिये बिल्डिंग देते हैं लेकिन सरकारी कानून वहां स्कूल खुलने नहीं देता है। यह स्कूल, सरकार की नीति की वजह से, खुलने नहीं पाते हैं। आज सैकड़ों स्कूल हैं जो ग्रांट के लिए तरस रहे हैं लेकिन सरकार कहती है कि हम ग्रांट नहीं दे पायेंगे। जो स्कूल आज अर्द्ध शासित तरीके पर चलाये जा रहे हैं उन पर सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है।

मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से चुनौती दे कर पूछना चाहता हूं कि क्या वह विद्यार्थियों को स्वस्थ और सपुष्ट देखना चाहते हैं ? हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी किताबों का अच्छा बस्ता लेकर अकड़ कर चलें। लेकिन इतने योग्य प्रधान मंत्री होते हुए उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि वह अकड़ कर तभी चलेगा जब उसको खाने के लिए दोपहर में नाश्ता मिलेगा। आठ बजे वह अपने स्कूल के लिए चलता है। देहात से, पांच-पांच मील पर हाई स्कूल है। वहां तक वह चल कर आता है और शाम को ६ बजे घर लौटता है। आठ दस घंटे तक उसको कहीं भी नाश्ता नहीं मिलता है। यह सरकार उसको नाश्ता नहीं दे सकती है। दिल्ली में जरूर पाउडर मिल्क मिलता है जहां विदेशी लोग आते हैं, जहां रूजवेल्ट आये, रूस के ख्रुश्चेव आये, सभी देशों के प्रतिनिधि आये वहां सब कुछ है लेकिन लखनऊ और कानपुर में कोई व्यवस्था नहीं है। यहां दूध का एक कतरा भी नहीं है। सरकार कहती है कि हमने इतने सुधार किये हैं लेकिन १९ करोड़ के बजट में एक भी पाई उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत शिक्षा अनुदान का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान उस चर्चा की ओर ले जाना चाहूंगा जो कि हर कोने कोने में गांवों के ही नहीं शहरों के हर हिस्से में भी हुआ करती है। वह यह है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है। जब विभिन्न वर्गों के लोगों से इस विषय में चर्चा होती है तो उससे पता चलता है कि सभी का यह विचार है कि विद्यार्थियों की अनुशासन-हीनता का सबसे बड़ा कारण अध्यापक वर्ग है। जब से हमने उसको राजनीति में हिस्सा लेने की छूट दे दी है, हर एक जगह वह राजनीति की ही चर्चा करता है। शिक्षा की चर्चा को उठा कर उसने ताक में रख दिया है और विद्यार्थियों में वह राजनीति की चर्चा करता है। उनको वह पार्टीबन्दी के बीच ले जाने का प्रयत्न करता है जिससे वह राजनीति मे जिन्दा रहे। आज शिक्षा विशारदों और विद्वानों का यह विचार है कि विद्यार्थियों में राजनीति के घुसने का सबसे बड़ा कारण अध्यापक वर्ग है। मैं कहना चाहता हूं कि या तो वह अध्यापक रहना चाहें तो रहें या राजनीति में रहना चाहें तो अध्यापन छोड़ दें। दोनों चीजें अलग हो जानी चाहिए। बड़े-बड़े विद्वानों का अनुभव है कि अगर राजनीति से विद्यार्थी अलग हो जाय तो अनुशासनहीनता नहीं आयेगी। मैं अपने अध्यापकों से जो असेम्बली के मेम्बर हैं या काउंसिल के मेम्बर हैं जानना चाहूंगा कि जब वह यहां से जाते होंगे तो क्या वह विद्यार्थियों से यह चर्चा नहीं करते हैं कि हम ने फलां प्रश्न किया था, उसका जवाब मंत्री जी ने यह दिया? विद्यार्थी पूछता होगा कि आपके प्रश्न का क्या मतलब था? जो अध्यापक असेम्बली में बोलते हैं, उनकी आधी बातें हम लोग नहीं समझ पाते तो विद्यार्थी क्या समझता होगा?

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण अगले रोज सोमवार को जारी रखियेगा।

नियम ५० के अन्तर्गत होने वाले विवाद का स्थगन

श्री अध्यक्ष--आज जो यह बहस होने वाली थी आधे घंटे की, श्री त्रिलोकीसिंह जी ने जिस प्रश्न को उठाया था, वह बहस अब ७ तारीख को होगी। श्री त्रिलोकीसिंह जी भी इसके लिए राजी हैं और सम्बन्धित माननीय मंत्री जी भी इसके लिए राजी हैं। इसलिए अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे, सोमवार, ३ अप्रैल १९६१ के ११ बजे दिन तक के लि स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१ अप्रैल, १९६१।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १४ एल० ए०--१९६१-८४५।